एलाइंस एअर
ALLIANCE AIR
Connecting India

प्रगति के पंख विश्वास के संग

वार्षिक रिपोर्ट

— 2023-24 —

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	निगमित सूचना	3
2.	अध्यक्ष का संदेश	4
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	10
4.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	23
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	54
6.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	55
7.	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	98
8.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी	99
9.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	100
10.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी	101
11.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में टिप्पणियां	103

निगमित सूचना

निदेशक मंडल (01.08.2025 तक)

श्री अमित कुमार	अध्यक्ष
श्री असंगबा चुबा आओ	सरकारी नामित निदेशक
श्री रोहित राज	सरकारी नामित निदेशक
श्रीमती न्योनिका दत्ता	सरकारी नामित निदेशक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री राजर्षि सेन

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री अमित मिश्रा

कम्पनी सचिव
श्रीमती शिल्पा भाटिया

सांविधिक लेखा परीक्षक
बाटलीबॉय एंड पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट
नेशनल इंशुरेंस बिल्डिंग, द्वितीय तल,
204 डी एन रोड, फोर्ट, मुम्बई–400001

सचिवीय लेखापरीक्षक
टी. चटर्जी एवं एसोसिएट्स
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव
1209, 12वीं मंजिल, अंसल टॉवर 38 नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली–110019

बैंकर्स
पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, ऐक्सिस बैंक, कोटक बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक (श्री लंका)

पंजीकृत कार्यालय
एलाइंस भवन, अंतर्देशीय, टर्मिनल–1
आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037.
दूरभाष: 011–25672287, वेबसाइट: www.allianceair.in
CIN: U51101DL1983GOI016518

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी–101, 247 पार्क,
एल.बी.एस. मार्ग विक्रोली (पश्चिम)
मुम्बई–400083

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयर होल्डरों,

मुझे वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। एलाइंस एअर भारत की अग्रणी क्षेत्रीय एयरलाइनों में से एक है, 'एलाइंस एअर' ब्रांड के तहत परिचालन करते हुए हम टायर 2 और टायर 3 शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एलाइंस एअर, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है। हमारे बेड़े में 18 एटीआर 72–600, 2 एटीआर 42–600 और 1 डोर्नियर डीओ–228 सहित 21 विमान शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, हमने 56 गंतव्यों के लिए 100 से अधिक दैनिक प्रस्थान किए, जिससे लास्ट–माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में हमारी भूमिका और सुदृढ़ हुई।

अवलोकन– नागर विमानन उद्योग

बढ़ते मध्यम वर्ग और हवाई यात्रा की बढ़ती माँग के कारण भारत का विमानन क्षेत्र लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में, घरेलू यात्री यातायात में 12.97% की वृद्धि हुई, जो 153.7 मिलियन तक पहुँच गया, जबकि कुल यात्री संख्या बढ़कर 376 मिलियन हो गई, जिससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में भारत की स्थिति और सुदृढ़ हुई है।

मुख्य विशेषताएं:

- महामारी–पूर्व स्तर की तुलना में घरेलू हवाई यातायात में 47% की वृद्धि (डीजीसीए)।
- बढ़ती मांग और सरकारी समर्थन से प्रेरित टायर 2 और टायर 3 कनेक्टिविटी का विस्तार।

- एटीएफ की कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं, जो परिचालन लागत का लगभग 40% है, तथा एयरलाइंस इसे जीएसटी के अंतर्गत शामिल करने की मांग कर रही हैं।
- नए क्षेत्रीय वाहकों के प्रवेश और मौजूदा कंपनियों के विस्तार से कम सेवा वाले बाजारों तक पहुंच को व्यापक बनाने में मदद मिली।

हवाई यात्रा में वृद्धि एवं भावी योजनाएं

इस क्षेत्र का विकास जारी है, कुल यात्री संचालन क्षमता 460 मिलियन से बढ़कर 530 मिलियन से अधिक हो गई है। हमें मजबूत आर्थिक विकास, अनुकूल जनसांख्यिकी और बुनियादी ढाँचे में निवेश के कारण भारतीय विमानन क्षेत्र में बड़े बदलावों की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान कम्पनी का निष्पादन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 246.43 करोड़ रुपये का निवल हानि (ईबीआईटी) दर्ज की, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में 73.50 करोड़ रुपये की निवल हानि हुई थी। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का कर के बाद निवल हानि 619.56 करोड़ रुपये था, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में कर के बाद निवल हानि 565.77 करोड़ रुपये था।

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) एवं नए वीजीएफ मार्ग

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस–उड़ान) भारत के वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा रही है। वित्त वर्ष 2023–24 में, इस योजना ने 1,000 से अधिक उड़ान मार्गों के संचालन, क्षेत्रीय क्षेत्रों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि और 100 से अधिक सेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों के विकास के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की, जिससे हवाई यात्रा आम नागरिकों के और करीब आ गई।

एलाइंस एअर अपनी शुरुआत से ही उड़ान–आरसीएस मिशन का एक प्रतिबद्ध भागीदार रहा है। हमने 165 आवंटित मार्गों में से 139 का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिससे क्षेत्रीय विमानन में हमारी अग्रणी स्थिति और पुष्ट हुई है। अकेले वित्तीय वर्ष 2023–24 में, हमने अमृतसर–कुल्लू–अमृतसर, दिल्ली–बठिंडा–दिल्ली, बेंगलुरु–सलेम–बेंगलुरु, सलेम–कोच्चि–सलेम और अमृतसर–शिमला–अमृतसर जैसे नए आरसीएस मार्ग शुरू किए हैं। भारत के पहले उड़ान लॉन्च वाहक (शिमला–दिल्ली, 27 अप्रैल 2017) के रूप में, हम विशेष रूप से पूर्वोत्तर जैसे भौगोलिक रूप से कठिन और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लास्ट–माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में गहराई से लगे हुए हैं।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) सहायता के तहत, एलाइंस एअर ने इन राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए मार्गों पर उड़ानें शुरू कीं। सुझाए गए मार्ग न केवल दूरियों को पाटते हैं, बल्कि सीमित पहुँच वाले क्षेत्रों में आवश्यक कनेक्टिविटी भी प्रदान करते हैं।

हम अपनी क्षेत्रीय पहुंच का विस्तार करने के लिए उड़ान बोली के भविष्य के दौर में आक्रामक रूप से भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पुरस्कार

एलाइंस एअर ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के लिए विंग्स इंडिया 2024 पुरस्कार जीता।

भावी योजनाएं

आगे बढ़ते हुए, हमारा लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024–25 में अपने बेड़े और आरसीएस मार्गों का और विस्तार करना है। हमारा ध्यान चुनौतीपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवाओं का विस्तार करने और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों अवसरों की खोज पर होगा।

निगमित प्रशासन

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड ने वर्ष के दौरान, जहाँ भी लागू हो, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट

गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही/वार्षिक रिटर्न निर्धारित समय के भीतर संबंधित अधिकारियों के पास दाखिल किए गए। स्व–मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु 'उत्कृष्ट' ग्रेड प्राप्त हुआ है।

धन्यवाद प्रस्ताव

मैं नागर विमानन मंत्रालय के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं डीजीसीए, बीसीएएस, एएआई और अन्य हवाई अड्डा संचालकों, वित्तीय साझेदारों और नियामक प्राधिकरणों को भी उनके निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने साथी बोर्ड सदस्यों को भी उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए उनका आभार और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके बिना हम अब तक जो कुछ भी हासिल कर पाए हैं, वह संभव नहीं होता।

बोर्ड की ओर से, मैं आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम एक मजबूत, अधिक कनेक्टेड एलाइंस एअर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

हस्ता./–
(अमित कुमार)
अध्यक्ष

विज़न

"एक सुरक्षित और विश्वसनीय एयरलाइन होने के नाते, हम अपने यात्रियों को सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करते हैं।"

लक्ष्य

"हमारा लक्ष्य, यात्रियों स्थानों और संस्कृतियों को जोड़ना है। हमारा लक्ष्य यात्रियों को विश्व स्तरीय विमानन वातावरण में सुरक्षित, टिकाऊ और किफायती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि हमारे यात्रियों के लिए हर उड़ान विशेष और यादगार बने।"

फ्लीट

एटीआर 72-600 (18 विमान) 70/72 सीटर

एटीआर 42-600 (2 विमान) 48 सीटर

डोर्नियर डीओ-228 (1 विमान) 17 सीटर

नेटवर्क

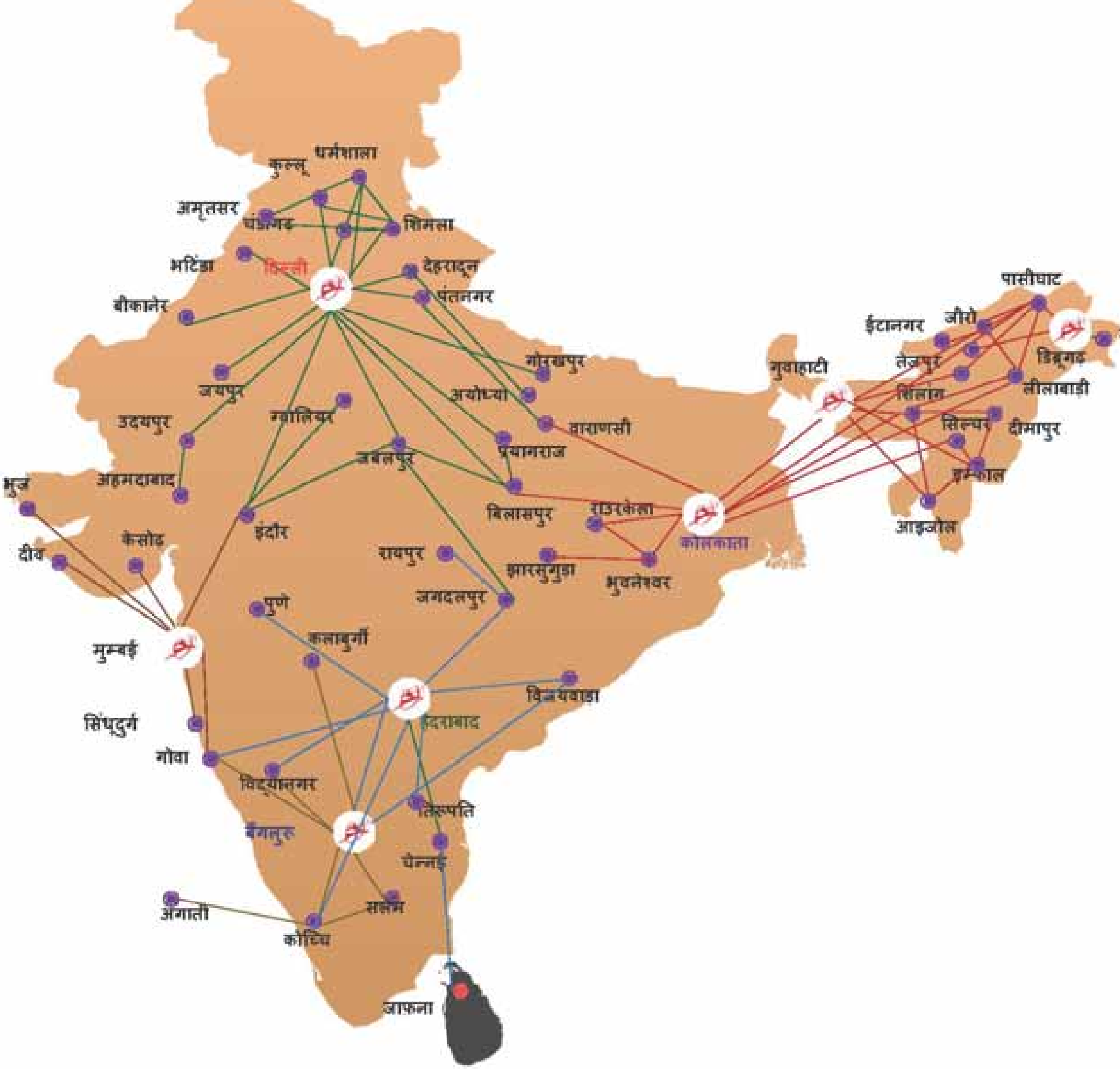

कृपया ध्यान दें कि मार्ग और सेक्टर बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तनीय हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके निदेशक एलाइंस एअर एविएशन लि. (एएएल) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ 41वीं (इकतालिसवीं) वार्षिक रिपोर्ट को सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. कम्पनी का वित्तीय निष्पादन

गत वर्ष 2023–24 की तुलना में समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन इस प्रकार हैं :–

(करोड़ रु.में)

विवरण	2023-24	2022-23
प्रचालन राजस्व		
निर्धारित राजस्व	**603.77**	654.14
गैर निर्धारित राजस्व	**333.16**	375.91
अन्य प्रचालन राजस्व	**17.84**	68.37
अन्य आय	**7.79**	6.54
कुल राजस्व	**962.55**	1,104.96
कुल व्यय	**1583.57**	1,671.53
कर व्यय	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**1.46**	0.80
वर्ष के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	**(621.02)**	(566.57)
वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) व्यापक आय	**(619.56)**	(565.77)
शेयर पूंजी	**1,002.25**	402.25

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल राजस्व 962.55 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में यह 1,104.96 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल व्यय 1,583.57 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में यह 1,671.53 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कर और समग्र आय के बाद निवल हानि 619.56 करोड़ रुपये रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में यह 565.77 करोड़ रुपये थी।

2. कम्पनी के मामलों की स्थिति के बारे में सूचना

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएल) एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी हवाई परिवहन के व्यवसाय में है जिसमें भारत में मुख्य रूप से यात्री और कार्गो सेवाएं और अन्य संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया रिपोर्ट के प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को देखें।

3. शेयर पूंजी

<u>प्राधिकृत शेयर पूंजी</u>

31 मार्च, 2024 को कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2,000 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति के 20 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

<u>जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी</u>

31 मार्च, 2024 को कम्पनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 1,002.25 करोड़ रु. थी जो 100/– रु. प्रति शेयर के दस करोड़ दो लाख पच्चीस हजार इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4. शेयर पूंजी में परिवर्तन, यदि कोई हो।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने का.ज्ञा. संख्या 27(01)/पीएफसी–I/2023, दिनांक 20 अप्रैल 2023 के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दे दी थी। पूर्वकथित का.ज्ञा. में एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड में निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड को आगे के निवेश के लिए होल्डिंग कंपनी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, इक्विटी निवेश के रूप में 600 करोड़ रुपए (300 करोड़ रुपये की दो समान किस्तों में) दिए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कम्पनी ने एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को अधिकार के आधार पर 100 रु. प्रति शेयर के 6,00,00,000 (छः करोड़) इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए हैं, जो कुल मिलाकर 600,00,00,000 (छः सौ करोड़) हैं। इस प्रकार आबंटित इक्विटी शेयर कंपनी के मौजूदा शेयरों के साथ समतुल्य हैं।

एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी को समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान सही आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	आबंटन की तिथि	100 रु. प्रति अंकित मूल्य के आबंटित इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल विमर्श
1.	27.06.2023	3,00,00,000	300,00,00,000
2.	17.02.2024	3,00,00,000	300,00,00,000

परिणामस्वरूप कंपनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी 31 मार्च, 2024 तक बढ़कर 1002.25 करोड़ रु. हो गई है जो 100/– रु. प्रति शेयर के 100,225,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

5. वित्तीय विवरण या बोर्ड की रिपोर्ट के संशोधन का ब्यौरा

कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 (1) में उल्लिखित किसी के संबंध में अपने वित्तीय विवरण या बोर्ड रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया है।

6. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है।

7. लाभांश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 123 के अनुसार कम्पनी की संचित हानि को देखते हुए किसी लाभांश पर विचार नहीं किया गया है।

8. दावे नहीं किए गए लाभांश को इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में अंतरित करना

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 125 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते चूंकि पिछले वर्षों में अप्रदत्त/अदावाकृत कोई भी लाभांश नहीं दिया गया।

9. रिजर्व में स्थानांतरित राशि

संचित हानि को देखते हुए, वर्ष के दौरान कम्पनी के बोर्ड द्वारा रिजर्व में, कोई भी राशि स्थानांतरित ना करने का निर्णय लिया गया।

10. मानव संसाधन

वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी में कर्मचारी क्षमता, कॉन्ट्रैक्चूअल कर्मचारियों की संख्या 882 (952) थी, एआईईएसएल से प्रतिनियुक्ति पर आए 4 और भारतीय वायु सेना से प्रतिनियुक्ति पर आए 05 कर्मचारी शामिल नहीं हैं। कम्पनी के सभी कर्मचारी नियत अवधि संविदा के आधार पर कार्यरत हैं। 882 संविदात्मक कर्मचारियों में से 260 (29.48%) महिला कर्मचारी हैं।

श्रेणी के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक, अ.जा के 131 कर्मचारी, अ.ज.जा. के 55 कर्मचारी और अन्य पिछड़ा वर्ग के 157 कर्मचारी थे।

क्षेत्रवार 31 मार्च, 2024 को 531 कर्मचारी उत्तरी क्षेत्र में, 76 कर्मचारी पश्चिमी क्षेत्र में, 143 कर्मचारी पूर्वी क्षेत्र में, 131 कर्मचारी दक्षिणी क्षेत्र में और 01 कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हैं।

11. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 1975 में जारी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार व वर्ष 1991 और 1996 में संशोधित निर्देशों के साथ आरक्षण नीति लागू की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग–31 मार्च, 2024 को कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा. के कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.ज.जा कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.ज.जा कर्मचारियों का प्रतिशत	अ.पि.वर्ग के कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.पि. वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिशत
882	131	14.85	55	6.24	157	17.80

12. राजभाषा कार्यान्वयन–हिन्दी का प्रयोग

सरकार की राजभाषा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कम्पनी ने सभी स्तरों पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी में अहम् भूमिका निभाई है। अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में अधिकाधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजभाषा के उत्तरोतर विकास हेतु हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने विविध प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया व समारोह आयोजित कर विजेताओं व प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

13. राजकोष में अंशदान

कम्पनी द्वारा सरकार के राजकोष में बिक्री कर तथा विमानन टर्बाइन ईंधन पर लगाए जाने वाले अन्य करों के रूप में 14.19 करोड़ रुपए (19.25 करोड़ रुपए) का अंशदान दिया गया।

14. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन

कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना के अधिकारों के प्रावधानों का कम्पनी में अनुपालन, सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर रही है।

आवेदनों और अपीलों के समय पर निपटान के लिए कम्पनी में सीपीआईओ (केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी) और अपीलीय प्राधिकारी हैं।

2023–24 की अवधि के दौरान 5 अनुरोध/अपील प्राप्त हुए। एलाइंस एअर से संबंधित सभी आरटीआई अनुरोध/अपील का 2023–24 के दौरान निपटान कर दिया गया है।

15. सहायक कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों/सम्बद्ध कम्पनियों से संबंधित सूचना

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम या सम्बद्ध कम्पनी नहीं है।

16. महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं

धारा 134 (3)(1) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2024 से बोर्ड की रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जिसने इसे प्रभावित किया हो।

क) 23 अप्रैल 2024 को एएएएल के कैमो कार्यालय में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। यह परिसर लीज पर था और कार्य केंद्र के रूप में अस्थायी संरचना एयर इंडिया से विरासत में मिली थी। आग में कंप्यूटर सिस्टम सहित लगभग 0.07 मिलियन रु. मूल्य की संपत्ति नष्ट हो गई। इसके लिए आवश्यक लेखांकन वित्त वर्ष 2024–25 में प्रभावित होगा।

ख) व्हिसलब्लोअर की शिकायत और लंबित जांच : जून, 2024 में पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के विरूद्ध कुछ आरोपों के संबंध में अध्यक्ष के समक्ष एक व्हिसलब्लोअर द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। इन्हीं आरोपों के आधार पर मामले की जांच हेतु कार्यालय आदेश संख्या दिनांक 10.06.2024 के तहत एक आंतरिक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को और तत्पश्चात 15 जुलाई, 2024 को अध्यक्ष को प्रस्तुत की।

वर्तमान में इस मामलेकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। जब तक सतर्कता विभाग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

ग) बोर्ड की अनुमति के बिना पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को भुगतान किए गए वेतन की संभावित वसूली के लिए प्रावधान बनाया गया है, जो 0.21 मिलियन रु. है।

घ) फर्जी चालान के आधार पर मैसर्स एली वायर्ड सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड को कथित भुगतान के संबंध में "बकाया वसूली" श्रेणी के तहत 4.85 मिलियन रु. की संभावित वसूली का प्रावधान बनाया गया है।

खंड (ग) और (घ) के अंतर्गत दोनों प्रावधानों को अन्य चालू परिसंपत्तियों के रुप में वर्गीकृत किया गया है। यह घटना इंडएएस 10 (रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं) के अंतर्गत एक समायोजन घटना के अनुकूल है। प्रावधानों को समायाजित किया जाएगा और सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

17. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का ब्यौरा अलग से दिया गया है।

18. निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मण्डल की (स्थगित व पुनः स्थगित बैठकों सहित) 9 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गई।

क्र.सं.	बैठक की तिथि	बोर्ड स्ट्रैंथ	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	14.06.2023	4	4
2	20.06.2023	4	3
3	27.06.2023	4	4
4	23.08.2023	4	4
5	22.09.2023	4	4
6	15.01.2024	3	3
7	12.02.2024	4	3
8	17.02.2024	4	4
9	22.03.2024	4	4

19. निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कम्पनी के निदेशक मंडल पुष्टि करते हैं:–

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ख) निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन तथा उन्हें संगत रूप से लागू किया गया है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यो की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निदेशकों के निर्णय एवं आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।

(ग) कंपनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने व फॉड की रोकथाम व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित व पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

(घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे ''गोईंग कन्सर्न'' आधार पर तैयार किए हैं।

(ड.) कम्पनी के अनलिस्टिड होने के कारण धारा 134(3) का उपखण्ड (ड.) लागू नहीं।

(च) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों द्वारा समुचित प्रणाली बनाई गई है तथा इस प्रकार की प्रणाली समुचित है तथा प्रभाव पूर्ण ढ़ग से कार्य कर रही है।

20. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में 4 निदेशक हैं कम्पनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, सरकारी निदेशकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता की जाती है।

31 मार्च 2024 तक लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

निदेशकों के नाम	समिति में पद	निदेशकों की श्रेणी
श्री प्रांजोल चन्द्रा	अध्यक्ष	सरकारी नामित निदेशक
श्री असंगबा चुबा आओ	सदस्य	अध्यक्ष (सरकारी नामित निदेशक)
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	सरकारी नामित निदेशक
श्रीमती न्योनिका दत्ता	सदस्य	सरकारी नामित निदेशक

बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है।

21. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के तहत दिनांक 13–07–2017 की अधिसूचना सं. जीएसआर 880(ई) के द्वारा एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की एक गैर–सूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इन प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

22. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा **मैसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित** को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक, दिल्ली नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लेखित योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां जिन पर प्रबंध वर्ग के उत्तर सहित स्पष्टीकरण/व्याख्या अपेक्षित है, की रिपोर्ट संलग्न हैं।

वित्तीय विवरणी पर नोट स्वतः स्पष्ट हैं, और इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

23. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ धारा 143 (6) के तहत अपेक्षित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर ''शून्य'' टिप्पणियां जारी की हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक **(सी एंड एजी)** की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

24. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुसार बोर्ड ने **मैसर्स टी चटर्जी एंड एसोसिएट्स**, कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2023–24 की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों रिपोर्ट की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं:

<u>सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार है:</u>

<u>लेखापरीक्षक अवलोकन</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे प्रावधान को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित करते हुए, 01–04–2023 से 11–02–2024 तक महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में। हालाँकि, 12–02–2024 से श्रीमती न्योनिका दत्ता को कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है।

<u>प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां</u>

यह कथन सही है।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के अनुसार, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड भारत सरकार के परामर्श से कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करेगी।

01–04–2023 से 11–02–2024 तक बोर्ड में कोई महिला निदेशक नियुक्त नहीं है। यह मामला एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष उठाया गया था।

चूंकि, उक्त अवधि के दौरान नियुक्ति प्रतीक्षित थी, इसलिए धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा सका।

25. ऋण, गारंटी व निवेश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अन्तर्गत कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई गारन्टी व निवेश नहीं किया है। अतः अनुच्छेद 186 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं हैं।

26. ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेशन तथा विदेशी मुद्रा आय व आउटगो

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के तहत, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीक समावेशन से संबंधित आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं।

(क) ऊर्जा का संरक्षण–

प्रबंधन सभी प्रचालन स्तरों पर विशेष रूप से विमानन टर्बाइन ईंधन जो विमानन गतिविधि के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पर ऊर्जा के संरक्षण की गंभीरता के प्रति अत्यधिक जागरूक है। जब भी सम्भव हो ऊर्जा कुशल उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में इंजन और एयरफ्रेम का रखारखाव, उड़ान योजना, प्रचालन कर्मचारियों को प्रशिक्षण, नियमित विश्लेषण आदि शामिल हैं।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण–

(i) **प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास–** वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई नई आईटी परियोजना लागू नहीं की गई है। हालाँकि, कर्मचारियों के डेटा, फॉर्म 16 और वेतन पर्ची वितरण के लिए एक इन हाउस कर्मचारी पोर्टल बनाया गया है। डीजीसीए के नियमों के अनुसार, परीक्षण हेतु यादृच्छिक कर्मचारियों के चयन हेतु ब्रीथ एनालाइजर सॉफ्टवेयर विकसित करके मेडिकल विभाग को सौंप दिया गया है।

(ii) **उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए हैं।** – वर्ष 2023 से आगे के लिए ग्रीन फील्ड कार्यान्वयन हेतु एस4एच के रूप में एसएपी अवसंरचना का निर्माण किया गया और एयर इंडिया एसएपी प्रणाली से प्राप्त पुराने डेटा को भरने के लिए पुरानी विरासत एसएपी अवसंरचना का निर्माण किया गया। इसे पहुँच के लिए सुरक्षित वीपीएन सुरंगों के माध्यम से एएएएल आईटी नेटवर्क अवसंरचना के साथ एकीकृत किया गया। 49 से अधिक हवाई अड्डों का प्रबंधन एलाइंस भवन से किया जाता है, जहाँ इन हवाई अड्डों पर कोई भी आईटी इंजीनियर मौजूद नहीं होता। इससे वर्ष में लगभग 1 करोड़ रुपये की बचत होती है।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)

(क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरणः विमान संचार पता और रिपोर्टिंग प्रणाली (एसीएआरएस)।

(ख) आयात का वर्षः 2021–2022

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई हैः प्रौद्योगिकी कार्यान्वियन के चरण में है और 2025–26 तक पूर्ण रुप से लागू होने की उम्मीद है। इसका संचालन और उड़ान ट्रैकिंग डीजीसीए सीएआर के अनुसार की जाती है। हालाँकि, भारत में 2025–26 के शेष समय के लिए 28 और वीएचएफ (अति उच्च आवृत्ति) स्टेशन स्थापित करने की योजना है।

(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और उसके कारण क्या है औरः यह प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइन के अनुसार है और कुछ हिस्सा कार्यान्वयन विनियामक मंजूरी के कारण लंबित है जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्ययः कोई नहीं

(ग) विदेशी मुद्रा आय व आउटगो

	विवरण	चालू वर्ष 2023–24 (करोड़ रु. में)	गत वर्ष 2022–23 (करोड़ रु. में)
क)	**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आयात (सीआईएफ) पर व्यय**		
	– विमान पूर्जे और औजार	**35.75**	33.39
	– पूंजीगत मदें–स्थल सहायता उपस्कर एयरफ्रेम रोटेबल एवं एरो इंजीनियरिंग रोटेबल	**कोई नहीं**	18.18
ख)	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान खपत पर व्यय**		
	– आयातित–पूर्जे और कंपोनेंट	**28.30**	21.15
	– स्वदेशी पूर्जे	**कोई नहीं**	कोई नहीं
ग)	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	– इंटरलाइन राजस्व	**12.43**	2.51
घ)	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	– विमान लीज़ और अनुरक्षण प्रभार	**502.89**	394.63
	– भंडार और उपस्करों की खरीद	**35.75**	51.57
	– तकनीकी साहित्य	**3.80**	3.10
	– प्रशिक्षण और यात्रा	**0.19**	0.11
	– विधिक प्रभार	**कोई नहीं**	0.25
	– ईंधन एवं अवतरण/पार्किंग	**4.38**	4.23
	– पीएसएस संबंधित	**1.46**	1.37

27. जमा

वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया।

28. एमएसई अनुपालन

एएएएल का हमेशा से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन देने का प्रयास रहा है। एएएएल ने एमएसई से निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति को लागू करने सहित कई कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एमएसई से वास्तविक खरीद 12.29 करोड़ रुपये थी।

29. महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कम्पनी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रचालन व गोइंग कंसर्न पर प्रभाव डालने वाले कोई महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश नियामकों या कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा जारी नहीं किए गए।

30. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान, कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया है।

31. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का अनुपालन

वर्ष 2023–2024 के दौरान कम्पनी में रिपोर्ट किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है।

i. संबंधित वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतें – कोई नहीं

ii. 90 दिनों से अधिक लम्बित मामलों की संख्या– कोई नहीं

iii. यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं या जागरुकता कार्यक्रमों की संख्याः 01

सामान्यतः सामान्य जागरुकता कार्यक्रम आवधिक रुप से आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, कार्यस्थल पर "क्या करें और क्या ना करें," यौन उत्पीड़न संबंधी पोस्टर सभी कार्यस्थलों पर डिस्पले किए गए।

iv. कम्पनी द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायः

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार शिकायतों के निपटान व संगठन में जागरूकता लाने हेतु आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

32. निगमित प्रशासन

कम्पनी द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलावा निगमित प्रशासन की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों को **अनुलग्नक–क** में संलग्न किया गया है।

33. जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने की प्रक्रिया में हैः

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का एक ओवरव्यू प्रदान करें।

- जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्पष्ट करें।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करें।
- एक "जोखिम" संस्कृति विकसित करें जो सभी कर्मचारियों को जोखिमों और संबंधित अवसरों की पहचान करने और प्रभावी कार्यों के साथ उनका जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करे।
- कंपनी की मानव, वास्तविक और वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए न्यूनतम व्यवधान और लागत के साथ योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से मौजूदा और नए जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन करें।

34. वार्षिक रिटर्न

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुच्छेद 92(3) और धारा 134(3)(क) के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://allianceair.in/financials पर डाली जाएगी।

35. स्वतंत्रता की घोषणा

एएएल, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होगी, जिनमें से सभी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो भारत सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करेंगी।

36. प्रबंधन

36.1 निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी (केएमपी)

(i) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कम्पनी के निदेशकों व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नानुसार परिवर्तन हुए:–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समापन की तिथि	समापन का तरीका
1.	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक	01–03–2023	31–12–2023	अध्यक्ष एवं निदेशक पद से पदमुक्त
2.	श्री असंगबा चुबा आओ	अध्यक्ष	29–02–2024	11–03–2025	अध्यक्ष पद से पदमुक्त
3.	श्रीमती न्योनिका दत्ता	नामित निदेशक	12–02–2024	–	–

(ii) वित्तीय वर्ष 2023–24 की समाप्ति के बाद और रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी के निदेशकों व महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नानुसार परिवर्तन हुए:–

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समापन की तिथि	समापन का तरीका
1.	श्री प्रांजोल चन्द्रा	नामित निदेशक	11–02–2022	13–12–2024	निदेशक पद से पदमुक्त
2.	श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव	नामित निदेशक	18–01–2023	28–03–2025	निदेशक पद से पदमुक्त

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समापन की तिथि	समापन का तरीका
3.	श्री अमित कुमार*	नामित निदेशक एवं अध्यक्ष	13–03–2025	–	–
4.	श्री रोहित राज**	नामित निदेशक	18–03–2025	–	–
5.	श्री विनीत सूद	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	31–07–2021	21–09–2024	मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद से पदमुक्त
6.	श्री रामबाबू सी.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	21–09–2024	07–05–2025	मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद से पदमुक्त
7.	श्री राजर्षि सेन	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	07–05–2025	–	–
8.	श्री अम्बर कुमार मंडल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	26–07–2019	31–07–2024	मुख्य वित्तीय अधिकारी पद से पदमुक्त
9.	श्री अमित मिश्रा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	31–01–2025	–	–
10.	श्रीमती शिल्पा भाटिया	कम्पनी सचिव	14–01–2022	–	–

*नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी आदेश, फाइल संख्या ए.वी.17015/02/2015–एआई, दिनांक 11–03–2025 के अनुसार, श्री अमित कुमार को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 30.06.2027 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगी। हालाँकि, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति उनके निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्राप्त करने की तिथि अर्थात 13–03–2025 से प्रभावी हो गई।

**नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन, फाइल संख्या ए.वी.17046/56/2019–एआई दिनांक 13–12–2024 के अनुसार, श्री रोहित राज को एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के बोर्ड में 13–12–2024 से नामित किया गया था। हालाँकि, नामित निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति उनके निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने की तिथि अर्थात 18–03–2025 से प्रभावी हो गई।

37. बोर्ड की समितियों और व्यक्तिगत कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय जो कि कम्पनी का प्रशासनिक प्रभारी है, द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। सरकारी कम्पनी होने के कारण एलाइंस एअर

एविएशन लि. का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

38. निदेशकों के चयन तथा नियुक्ति व उनके पारिश्रमिक के लिए नीति

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(ई) के तहत एलाइंस एअर एविएशन लि. को सरकारी कम्पनी होने के कारण सूचना प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है।

39. कर्मचारियों का विवरण

सरकारी कम्पनी होने के कारण एलाइंस एअर एविएशन लि. के निदेशक सरकारी/डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किए जाते हैं जिसमें वेतन मानदंड, योग्यता निर्धारण तथा अन्य मदें भी शामिल होती हैं।

निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार धारा 134 (3)(ई) के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं हैं। परिणाम स्वरुप धारा 178(3) के तहत निदेशकों की नियुक्ति पर कम्पनी की नीति संबंधी विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं।

परिणामस्वरुप प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक व मध्यम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन तथा ऐसे अन्य विवरण नहीं दिए गए हैं, जिसमें कम्पनी के ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का नाम तथा अन्य विवरण दर्शाती सूची शामिल है जिन्होंने नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त किया था।

40. संबंधित पार्टियों के साथ कॉन्ट्रेक्ट या व्यवस्था का विवरण

वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन–देन, आर्म लैंथ आधार पर व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया अनुसार थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों महत्वपूर्ण कार्मिकों या अन्य पद नामित व्यक्तियों के साथ कोई तात्विक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं किया गया, जिसका कम्पनी के हित से कोई संभावित टकराव हो।

किसी सरकारी कंपनी को आम बैठक में कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में धारा 188 की उप–धारा (1) के पहले और दूसरे नियम से किसी अन्य सरकारी कम्पनी के साथ उसके द्वारा किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में छूट प्रदान की गई है।

सभी संबंधित पार्टी लेनदेन लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के अनुमोदन के लिए भी प्रस्तुत किए जाते हैं।

फॉर्म एओसी–2 में अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण **अनुलग्नक–ख** में संलग्न है।

41. लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं आयी, जिसके लिए संवैधानिक लेखा परीक्षकों को अधिनियम की धारा 143(12) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लेखा परीक्षा समिति और/या बोर्ड को रिपोर्ट करना आवश्यक था। हालाँकि, कंपनी को जून 2024 में व्हिसल ब्लोअर की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा आंतरिक नियंत्रण के उल्लंघन और आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार/अवहेलना करने के कई मामलों पर प्रकाश डाला गया है, जिनकी सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

42. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग और कानूनों और विनियमों के अनुपालन में प्रचालन क्षमता, सटीकता और मुस्तैदी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और क्षमता की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित

है, जिसमें इसकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं और विनियमों का अनुपालन शामिल है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाती है, जो आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की भी समीक्षा करती है।

43. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या किसी लंबित प्रक्रिया का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कंपनी के नाम पर कोई आवेदन नहीं किया गया है या कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।

44. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों का, एकमुश्त निपटान नही किया गया है।

45. लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, लागत रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 का प्रावधान कंपनी पर लागू नही होता है।

46. धन्यवाद प्रस्ताव

कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बोर्ड, भारत और विदेशों में कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों की ईमानदारी से सराहना करता है और उनके निरंतर समर्थन और विश्वास की अपेक्षा करता है।

बोर्ड, कंपनी के संचालन और विकास योजनाओं के लिए एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है। बोर्ड डीजीसीए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षकों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइंस एवं एजेंट का भी आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है।

कृते व निदेशक मण्डल की ओर से

हस्ता./–
अमित कुमार
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.07.2025

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

राजस्व

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल राजस्व 962.55 करोड़ रु. था, जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में यह 1,104.96 करोड़ रु. था।

व्यय

वित्तीय वर्ष के दौरान कुल व्यय 1,582.11 करोड़ रु. था जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 में यह 1,670.73 करोड़ रु. था।

मानव संसाधन

कर्मचारियों की संख्या

31 मार्च, 2024 को एएएल में नियत अवधि रोजगार अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की संख्या 882 रही। इसके अतिरिक्त एआईईएसएल से 04 कर्मचारी और भारतीय वायु सेना से 05 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध दृश्य शान्तिपूर्ण रहा।

विमान बेड़े की स्थिति

31 मार्च, 2024 को एएएल के विमान बेड़े में विमानों की स्थिति इस प्रकार रही:–

विमान	एमएसएन	टाइप
वीटी–एआईआई	1197	एटीआर 72–212ए
वीटी–एआईटी	1226	एटीआर 72–212ए
वीटी–एआईयू	1246	एटीआर 72–212ए
वीटी–एआईवी	1252	एटीआर 72–212ए
वीटी–एआईडब्ल्यू	1272	एटीआर 72–212ए
वीटी–एआईएक्स	1268	एटीआर 72–212ए
वीटी–एआईवाई	1273	एटीआर 72–212ए
वीटी–एआईजैड	1279	एटीआर 72–212ए
वीटी–आरकेसी	1381	एटीआर 72–212ए
वीटी–आरकेडी	1383	एटीआर 72–212ए
वीटी–आरकेई	1421	एटीआर 72–212ए
वीटी–आरकेएफ	1423	एटीआर 72–212ए
वीटी–आरकेजी	1427	एटीआर 72–212ए
वीटी–आरकेएच	1434	एटीआर 72–212ए
वीटी–आरकेजे	1439	एटीआर 72–212ए
वीटी–आरकेके	1445	एटीआर 72–212ए
वीटी–आरकेएल	1456	एटीआर 72–212ए
वीटी–आरकेएम	1463	एटीआर 72–212ए
वीटी–यूडीए	1606	एटीआर 42–500 (600 वर्जन)
वीटी–यूडीबी	1609	एटीआर 42–500 (600 वर्जन)
वीटी–केएनपी	4130	डीओ–228–4130

समय पर निष्पादन और तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता

i) **वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान समय पर निष्पादन निम्नानुसार था:**

समय पर निष्पादन (ओटीपी)	
अवधि	**ओटीपी**
वित्तीय वर्ष 2023–24	**70.00**

ii) **वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विमान तकनीकी प्रेषण विश्वसनीयता निम्नानुसार थी:**

विमान प्रकार	अवधि	तकनीकी प्रेषण उपयोगिता
एटीआर 72–600	वित्तीय वर्ष 2022–23	99.06%
एटीआर 42–500		99.38%
डीओ–228		99.13%
एटीआर 72–600	वित्तीय वर्ष 2023–24	98.70%
एटीआर 42–500		99.57%
डीओ–228		99.30%

विमान उपयोगिता

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विमान उपयोगिता इस प्रकार रही:

वित्तीय वर्ष	उड़ान घंटे उपयोगिता	ब्लॉक घंटे उपयोगिता
2023–24	39451:57	49523:49

विपणन पहल

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निष्पादन निम्नानुसार था:

स्टेशनों की सं.: 59

प्रस्थान प्रतिदिन: 101

<u>राजस्व निष्पादन</u>

माह	यात्री राजस्व	यात्री राजस्व, ईबीटी, मेल कार्गो	आरसीएस + वीजीएफ (राजस्व)	चार्टर राजस्व	अन्य राजस्व	कुल प्रचालन राजस्व
अप्रैल–2023	136655	476.08	281.35	2.70	27.42	**787.56**
मई–2023	178649	649.38	282.59	6.17	37.73	**975.87**
जून–2023	139527	508.66	272.69	0.83	37.11	**819.29**
जुलाई–2023	121786	393.27	275.78	9.95	35.39	**714.40**
अगस्त–2023	124445	406.95	288.20	1.18	29.92	**726.25**
सित.–2023	119010	426.73	259.11	2.57	31.95	**720.36**

माह	यात्री राजस्व	यात्री राजस्व, ईबीटी, मेल कार्गो	आरसीएस + वीजीएफ (राजस्व)	चार्टर राजस्व	अन्य राजस्व	कुल प्रचालन राजस्व
अक्तू.–2023	128249	484.21	249.44	5.81	36.68	**776.12**
नव.–2023	120840	458.00	248.37	24.60	30.66	**761.63**
दिस.–2023	129460	528.33	254.96	17.34	41.00	**841.63**
जन.–2024	132585	477.28	262.96	5.29	34.20	**779.72**
फर.–2024	129636	478.17	264.79	4.73	35.20	**782.89**
मार्च–2024	142074	444.39	297.13	13.04	107.38	**861.93**
कुल	**1602916**	**5,731.44**	**3,237.36**	**94.21**	**484.64**	**9,547.66**

वास्तविक सॉख्यिकी

माह	अनुमानित सीट क्षमता	% सीट फैक्टर	ओटीपी	प्रस्थानों की कुल संख्या
अप्रैल–2023	196966	69.38%	79%	3447
मई–2023	223013	80.19%	69%	3778
जून–2023	190507	73.24%	61%	3233
जुलाई–2023	178310	68.30%	77%	3043
अगस्त–2023	178672	69.65%	73%	2997
सित.–2023	173991	68.40%	72%	2980
अक्तू.–2023	179774	71.17%	74%	3061
नव.–2023	166286	72.67%	68%	2833
दिस.–2023	168480	76.84%	58%	2888
जन.–2024	165545	80.09%	72%	2815
फर.–2024	164492	78.81%	71%	2764
मार्च–2024	181750	78.17%	77%	3076
कुल	**2168579**	**73.91%**	**70%**	**36915**

वित्तीय वर्ष 2023–24 में आरंभ किए गए नए मार्ग

मार्ग	उड़ान का प्रकार	आवृत्ति
भुवनेश्वर / राउरकेला	आरसीएस	1,2,3,4,5,6,7
राउरकेला / भुवनेश्वर	आरसीएस	1,2,3,4,5,6,7
कुल्लू / अमृतसर	आरसीएस	1,3,5,7
अमृतसर / कुल्लू	आरसीएस	1,3,5,7
बैंगलूरु / सलेम	आरसीएस	1,2,3,4,5,6,7

मार्ग	उड़ान का प्रकार	आवृत्ति
सलेम / कोच्चि	आरसीएस	1,3,4,5,6,7
कोच्चि / सलेम	आरसीएस	1,3,4,5,6,7
सलेम / बैंगलूरू	आरसीएस	1,2,3,4,5,6,7
देहरादून / अयोध्या	वीजीएफ	1,3,5
अयोध्या / देहरादून	वीजीएफ	1,3,5
देहरादून / पंतनगर	वीजीएफ	2,4,6
पंतनगर / वाराणसी	वीजीएफ	2,4,6
वाराणसी / पंतनगर	वीजीएफ	2,4,6
पंतनगर / देहरादून	वीजीएफ	2,4,6
अमृतसर / देहरादून	वीजीएफ	2,4,6
देहरादून / अमृतसर	वीजीएफ	2,4,6
दिल्ली / बिलासपुर	वीजीएफ	3,6
बिलासपुर / दिल्ली	वीजीएफ	1,5,6
कोलकाता / बिलासपुर	वीजीएफ	2,4
बिलासपुर / कोलकाता	वीजीएफ	2,4
जबलपुर / जगदलपुर	वीजीएफ	1,5
जगदलपुर / जबलपुर	वीजीएफ	3
भुवनेश्वर / राउरकेला	आरसीएस	1,2,3,4,5,6,7
राउरकेला / भुवनेश्वर	आरसीएस	1,2,3,4,5,6,7
कुल्लू / अमृतसर	आरसीएस	1,3,5,7
अमृतसर / कुल्लू	आरसीएस	1,3,5,7
बैंगलूरू / सलेम	आरसीएस	1,2,3,4,5,6,7
सलेम / कोच्चि	आरसीएस	1,3,4,5,6,7
कोच्चि / सलेम	आरसीएस	1,3,4,5,6,7
सलेम / बैंगलूरू	आरसीएस	1,2,3,4,5,6,7
देहरादून / अयोध्या	वीजीएफ	1,3,5

उपलब्धियां

- वर्ष, 2022 में एअर इंडिया से विनिवेश के बाद एलाइंस एअर के पास 31 मार्च, 2024 तक नेटवर्क में प्रत्यक्ष बिक्री के लिए 819 एजेंट हैं।
- विनिवेश के बाद सोशल मीडिया की दुनिया में एयरलाइन की उपस्थिति स्थापित करने के लिए आर. के. स्वामी को हमारे सोशल मीडिया में सेवा प्रदात्ता के रुप में नियुक्त किया गया है।
- एलाइंस एअर ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन में सभी महिला क्रू के साथ एक उड़ान प्रचालित की।
- भारत और श्रीलंका में एयरलाइन के संपूर्ण नेटवर्क को कवर करने के लिए एजेंट को क्षेत्रीय रुप से वितरित और बिक्री टीम को आबंटित किया गया है।

- एलाइंस एअर 21 अप्रैल से 23 अप्रैल, 2023 तक शिमला में आयोजित एमटीबी साइकिल रेस के लिए आधिकारिक उड़ान भागीदार था।
- संपूर्ण एलाइंस एअर नेटवर्क पर नियमित प्रमोशनल सेल का आयोजन किया गया है।
- एजेंटों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 8 जुलाई, 2023 से 7 अक्तूबर, 2023 तक उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) प्रस्तावित किया गया।
- पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की गई हैं।
- एलाइंस एअर को बढ़ावा देने के लिए राज्य पर्यटन बोर्ड से संपर्क किया गया है।
- 01 अगस्त, 2023 से 10 अगस्त, 2023 तक शीर्ष 15 एजेंटों को फ्लाइट लोड बढ़ाने के लिए, चयनित उड़ानों और क्षेत्रों पर अतिरिक्त बैकएंड प्रोत्साहन प्रदान किया गया।
- जीरो महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक विशेष पहल शुरू की गई।
- एलाइंस एअर में 02 अक्तूबर, 2023 को स्वच्छता अभियान और गांधी जयन्ती का आयोजन किया।
- 28 अक्तूबर, 2023 तक बिक्री और यात्रा के लिए संपूर्ण नेटवर्क पर बेचे गए टिकटों पर कट एंड पे प्रोत्साहन शुरू किया गया।
- एयरलाइन ने चेन्नई से जाफना तक 200 उड़ानें सफलतापूर्वक पूरी की।
- संरक्षा विभाग ने उत्कृष्टता की अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई।
- एलाइंस एअर ने 30 नवम्बर से 03 दिसम्बर, 2023 तक श्रीलंका में एमआईसीई कार्यक्रम में गर्व के साथ भागीदारी की।
- पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विपणन प्रयासों में दृश्यता बढ़ाने के लिए दिल्ली के सभी सात पूर्वोत्तर भवनों में स्टैंडियां लगाना शामिल था।
- हमने विंग्स इंडिया में भाग लिया और अपनी एयरलाइन की वर्चस्व का प्रदर्शन किया।
- एयरलाइन ने इंटरलाइन कनेक्टिविटी के लिए पवन हंस के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- एलाइंस एअर ने हिसार से नए रूट शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- एलाइंस एअर ने 18 जनवरी, 2024 से 21 जनवरी, 2024 तक हैदराबाद में फिक्की द्वारा आयोजित विंग्स इंडिया 2024 में भाग लिया।
- एयरलाइन ने लीन सीजन के दौरान बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 15 जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक शीर्ष 15 एजेंटों और प्रत्येक क्षेत्र (दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलूरु, कोलकाता और मुंबई) के तीन एजेंटों को पीएलबी योजना की पेशकश की।
- एलाइंस एअर ने राज्य पर्यटन बोर्ड और यात्रा एजेंटों के साथ एसएटीटीई, (एसएटीटीई) 2024 में भाग लिया।
- एयरलाइन ने नई दिल्ली के पार्क होटल में टीएएफआई (टीएएफआई) मीट, 2024 में भाग लिया।
- कोलकाता टीम ने कोलकाता में आयोजित टीएएआई (टीएएआई) मीट में भाग लिया।
- एयरलाइन ने 7 मार्च से 18 मार्च, 2024 तक यात्रा बिग ट्रैवल फेस्ट में भाग लिया।
- एलाइंस एअर ने 13 मार्च से 22 मार्च, 2024 तक क्लियर ट्रिप मेगा सेल कार्यक्रम में भाग लिया।

- विशिष्ट मार्गों पर विशेष मूल्य वाले किराए की पेशकश की गई है, जिससे इन गंतव्यों के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती हो गई है।

पुरस्कार

एलाइंस एअर ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के लिए विंग्स इंडिया 2024 पुरस्कार जीता।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किराए

एयरलाइन द्वारा 2023–2024 की अवधि के दौरान विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित बाजार मूल्य की पेशकश की:

मौसमी बदलाव: मांग में उतार–चढ़ाव को दर्शाने के लिए कीमतों को वर्ष के समय के आधार पर समायोजित किया गया था। छुट्टियों और गर्मियों की छुट्टियों जैसे व्यस्ततम यात्रा सीजन में आमतौर पर कीमतें अधिक होती थीं, जबकि ऑफ–पीक सीजन में अधिक प्रतिस्पर्धी दरें उपलब्ध थीं।

उड़ान आवृत्ति: टिकट की कीमतें विशेष मार्गों पर उड़ानों की आवृत्ति से प्रभावित होती थीं।

डायरेक्ट/इन–डायरेक्ट मार्ग: मूल्य निर्धारण इस बात पर भी निर्भर था कि मार्ग सीधा था या उसमें ठहराव की आवश्यकता थी।

प्रतिस्पर्धी किराया: एयरलाइन ने अपने प्रतिस्पर्धियों के किराए पर लगातार नजर रखी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके किराए ग्राहकों के लिए आकर्षक बने रहें।

वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ)/क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) सेक्टर: वीजीएफ और आरसीएस पहल के तहत सब्सिडी वाले मार्गों के लिए विशेष मूल्य निर्धारण रणनीतियों को लागू किया गया ताकि संपर्क बढ़ाया जा सके और अल्पसेवित वाले क्षेत्रों में हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाया जा सके।

प्रमोशनल योजना

- नियमित प्रचारात्मक सेल की पेशकश की गई – ग्रीष्मकालीन सेल की शुरुआत, ग्रीष्मकालीन सेल मानसून सेल, सीजन के अंत की सेल, स्वतंत्रता दिवस सेल, पूर्व उत्सव सेल, महीने के अंत की सेल, उत्सव सेल, शीतकालीन सेल, वर्ष के अंत की सेल, गणतंत्र दिवस सेल, फरवरी सेल, ग्रीष्मकालीन अवकाश सेल और होली सेल
- आकर्षक कटौती और वेतन प्रोत्साहन के साथ–साथ पीएलबी योजना की भी पेशकश की गई। इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य ट्रैवल एजेंटों को अपनी सेल और प्रदर्शन बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था।
- बाजार में समूह किराये की पेशकश की गई। इस रणनीति का उद्देश्य ग्राहक आधार बढ़ाना और उड़ानों में ज्यादा सीटें भरना था, जिससे एलाइंस एअर और यात्रियों, दोनों को फायदा हुआ।

यात्रियों की शिकायतों का समाधान

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान अग्रसक्रिय शिकायतों का समाधान किया गया:–

तिमाही	प्राप्त शिकायतें	बंद शिकायतें
1 तिमाही	141	141
2 तिमाही	103	103
3 तिमाही	137	137
4 तिमाही	175	175
वित्तीय वर्ष 2023–24	**556**	**556**

इंजीनियरिंग पहल

विशिष्ट मदों/क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए, बचाई गई राशि का परिमाण करते हुए, अपनाए गए किफायती उपाय और उपलब्धियां:

- मैसर्स एटीआर के साथ जीएमएसए की बातचीत की गई और कुल बिलिंग में से लगभग 2.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (17.5 करोड़) का क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ।
- अनुकूलित विमान रखरखाव कार्यक्रम।
- एलाइंस एअर एसटीएसी नीति को एआईईएसएल एमओई में शामिल किया गया।
- दिल्ली बेस पर चरणबद्ध कार्यों, संशोधनों, संरचनात्मक निरीक्षण सहित 5000 एफएच/15000 एफसी/2 वर्ष तक एटीआर 42–ए जांच के लिए अनुमोदन।
- दिल्ली बेस पर एटीआर 72–सी जांच को मंजूरी।
- बेड़े की अधिक उपलब्धता प्राप्त करने हेतु निर्धारित रखरखाव पर कम टीएटी।
- सही सामग्री, सही समय पर सही जगह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी खरीद और लॉजिस्टिक अनुभाग को सुव्यवस्थित किया गया।

इंजीनियरिंग और रखरखाव गतिविधियों का बेस, नई शॉप, प्रमुख कार्यों, बाहरी स्टेशनों सहित विवरण

- नाइट हॉल्ट बेस की संख्या–06 (दिल्ली, हैदराबाद कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर और गोवाहाटी)।
- दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में एआईईएसएल और अन्य अनुमोदित वैण्डर की शॉप पर एएएल के रोटेबल पूर्जों (अग्निशमन, ऑक्सीजन की बोतलें, बैटरी, एसएससीवीआर, एसएसएफडीआर, ईएलटी, व्हील एसे, ब्रेक आदि) की सर्विस की जा रही है।

अन्य एयरलाइंस/संगठन को प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग सेवाओं का विवरण और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम:–

एआईईएसएल और एएएल के बीच हस्ताक्षरित मास्टर सेवा समझौते के अनुसार, एआईईएसएल एएएल कर्मचारियों और एएएल में प्रतिनियुक्त एआईईएसएल कर्मचारियों को नियमित इंजीनियरिंग प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

विमान उपयोगिता, इंजीनियरों की उपलब्धता, नए मार्गों/सेवाओं, सुविधाओं के उपयोग आदि के संदर्भ में 2024–25 की योजना और बेड़े के विस्तार की योजना।

- डोर्नियर परियोजना में, कैश्न मुद्दे के कारण एक अन्य विमान वीटी–केएनक्यू के शामिल होने की प्रतीक्षा है।
- हम अपने विमान के उपयोग को बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं।

उड़ान संरक्षा

कम्पनी का अपना स्वतंत्र उड़ान सुरक्षा विभाग है जो डीजीसीए की आवश्यकताओं के अनुसार प्रोएक्टिव तरीके से काम करता है। उड़ान सुरक्षा विभाग प्रोएक्टिव कार्यों के तहत एफडीएमए (उड़ान डाटा नियंत्रण और विश्लेषण) जिसमें नियमित रूप से उड़ान डाटा की निरंतर मॉनिटरिंग आदि जैसे एसएसएफडीआर व सीवीआर तथा बेस स्टेशनों की आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा तथा लाइन स्टेशनों की सुरक्षा जांच जिसमें एयरफील्ड निरीक्षण, स्पॉट चैक और रैम्प जांच की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 में कुल 89 घटनाएँ रिपोर्ट की गईं, जिनमें से 48 मामलों की जाँच कंपनी के स्थायी जाँच बोर्ड (पीआईबी) ने डीजीसीए के साथ मिलकर की। शेष 37 घटनाओं को डीएएस (उ.क्षे.) कार्यालय द्वारा पीआईबी के लिए

महत्वपूर्ण नहीं माना गया, लेकिन एलाइंस एअर के उड़ान संरक्षा विभाग द्वारा आंतरिक जाँच की गई। सभी पीआईबी मामलों का समाधान कर उन्हें बंद कर दिया गया है। शेष 04 मामले डीजीसीए द्वारा जाँच के अधीन हैं, जो इस प्रकार हैः–

i. दिनांक 17.05.2023 को टीए/आरए से संबंधित वीटी–एआईवाई का 01 मामला डीजीसीए द्वारा जांच के अधीन है।

ii. मुंबई में दिनांक 03.07.2023 को वीटी–आरकेएम का 01 मामला डीजीसीए द्वारा जांच के अधीन है।

iii. 23.11.2023 को दिल्ली एयरपोर्ट पर रनवे पर अतिक्रमण का 01 मामला डीजीसीए द्वारा जांच के अधीन है।

iv. दिनांक 18.03.2024 की स्ट्रिप रिपोर्ट के कारण #2 ऑयल लो प्रेशर का 01 मामला सामने आया जिसकी डीजीसीए द्वारा जाँच चल रही है।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 में कुल 13 बर्ड हिट/स्ट्राइक की घटनाएँ दर्ज की गईं और विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ। संबंधित एरोड्रम प्राधिकरणों के साथ–साथ डीजीसीए को भी इन घटनाओं के बारे में सुधारात्मक उपायों के लिए सूचित किया गया।

विमान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उड़ान संरक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गएः

i. बेस स्टेशन (दिल्ली) का आंतरिक लेखा परीक्षा और 23 लाइन स्टेशनों की सुरक्षा लेखा परीक्षा अनुमोदित योजना 2023–24 के अनुसार की गई।

ii. प्रशिक्षण सत्र के दौरान एफडीएमए प्रवृत्तियों को महत्व देने के लिए तिमाही आधार पर प्रशिक्षण विभाग के साथ साझा किया गया।

iii. एफडीएपी कार्यक्रम के अनुसार क्रू को रेड की अधिकता के लिए समय पर सावधान किया गया, सलाह दी गई और परामर्श दिया गया।

iv. एसएजी (सुरक्षा कार्रवाई समूह) की बैठकें हर महीने आयोजित की जाती हैं और कर्मचारियों को स्वैच्छिक रिपोर्ट जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2023–2024 के लिए कुल 63 स्वैच्छिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और बंद कर दी गई।

v. संबंधित बेड़े की लोड और ट्रिम शीट का मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है और सीएआर के अनुसार स्पॉट जांच की जा रही है।

vi. स्थायी जांच बोर्ड की सिफारिशों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

vii. इन–हाउस एसआरएम/एसआरबीएम जुलाई (2023), अक्तूबर (2023), मार्च (2024) और मई (2024) के माह में (तिमाही) आयोजित किए जाते हैं।

viii. वित्तीय वर्ष 2023–2024 में, उड़ान संरक्षा विभाग ने निम्नलिखित आईएटीए प्रशिक्षण आयोजित किए हैं।

- आईओएसए ऑडिटर प्रशिक्षण 22 से 25 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा।
- संरक्षा जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण 29 से 31 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा।
- आईएटीए प्रशिक्षक को प्रशिक्षित प्रशिक्षण 25 से 27 अक्तूबर 2023 तक आयोजित किया गया।
- आईएटीए प्रचालन जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण 20 से 24 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया।
- आईएटीए एविएशन लीड ऑडिटर प्रशिक्षण 11 से 13 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया।

ix. वित्तीय वर्ष 2023–2024 में, उड़ान संरक्षा विभाग ने संबंधित विभाग द्वारा नामित एलाइंस एअर कर्मचारियों के लिए 14 से 15 मार्च, 2024 तक आईओएसए परिचय प्रशिक्षण का आयोजन किया है।

प्रचालन

विमानन ईंधन पर खर्च को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक संक्षिप्त नोट। उड़ान मार्गों को छोटा करने, उड़ानों के अनुकूलन, उड़ान तकनीक में सुधार/रखरखाव और प्रभावित बचत के लिए किए गए उपायों को भी इंगित किया गया है।

<u>प्रचालन विभाग द्वारा ईंधन बचत के लिए किए गए उपायः</u>

1. एलाइंस एअर की सभी उड़ानों के लिए कंप्यूटरीकृत उड़ान योजना (सीएफपी) जारी की जा रही है। सीएफपी उड़ान स्तर को अनुकूलित करता है जिससे वास्तविक हवा, यात्रा की दूरी और विमान के वास्तविक वजन के आधार पर गंतव्यों तक उड़ान भरना संभव हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल ईंधन खपत कम हो जाती है।

2. सीएफपी अतिरिक्त ईंधन की ढुलाई से भी बचाता है और विशेष रूप से आरटीओडब्ल्यू प्रतिबंधित रनवे पर अधिक पेलोड प्रदान करता है। ऐसा आवश्यक ईंधन की सटीक भविष्यवाणी के कारण होता है।

3. एलाइंस एअर की सभी उड़ानों (एटीआर 72–600 विमान) में अवतरण गति को संशोधित किया गया है, जिससे ईंधन और लागत दोनों की बचत होगी। इस परिवर्तन से उड़ान क्रू को हवाई क्षेत्रों पर स्थिर पहुँच बनाने में भी मदद मिलेगी।

4. वैकल्पिक मार्गों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे गंतव्य स्टेशन से न्यूनतम दूरी पर हों। इससे ब्लॉक ईंधन की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे अधिक पेलोड ले जाना संभव हो जाता है।

5. ईंधन टैंकरिंग की अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है और प्रचालन विभाग द्वारा मासिक आधार पर ईंधन टैंकरिंग परिपत्र जारी किया जा रहा है। प्रचालन और वित्त विभाग के बीच गहन समन्वय किया जा रहा है ताकि प्रत्येक स्टेशन पर ईंधन की सटीक, अद्यतन और संशोधित कीमतें सुनिश्चित की जा सकें, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र का प्रचालन वाणिज्यिक उड़ान या आरसीएस उड़ान के रूप में किया जा रहा है।

6. चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर होटल मोड के बजाय ग्राउंड कूलिंग यूनिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ईंधन की खपत कम हो रही है।

7. पायलटों को जहां तक संभव हो स्ट्रेट इन अप्रोच/विजुअल अप्रोच प्रचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे विमान द्वारा तय किए गए ट्रैक मील कम हो जाते हैं।

8. एटीसी प्रक्रियाओं के पालन में एलाइंस एअर कॉकपिट क्रू द्वारा पोस्ट लैंडिंग में सिंगल इंजन टैक्सी का पालन किया जा रहा है।

9. कॉकपिट क्रू को खंड के स्तर के बजाय अवरोह के शीर्ष से निरंतर अवतरण तकनीक को प्रोत्साहित किया जाता है जो ईंधन की बचत में सहायता करता है। यह आवाज़ कम करने के नियमों में भी मदद करता है।

10. एलाइंस एअर को कम न्यूनतम वाले हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए डीजीसीए से आरएनपी एप्रोच अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इससे पायलटों को अंतिम एप्रोच पर कुशल प्रक्षेप पथों पर उड़ान भरने/एप्रोच में सटीक पार्श्व मार्गदर्शन/अंतिम एप्रोच में ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन में मदद मिलती है। यह एप्रोच एलाइंस एअर की उड़ानों के संरक्षा स्तर को भी बढ़ाता है।

कमांडर और सह–पायलट के रूप में प्रशिक्षित पायलटों की विमान प्रकार–वार संख्या, प्रशिक्षण के उड़ान घंटे और प्रशिक्षण पैटर्न में बदलाव, यदि कोई हो।

प्रशिक्षित कमांडर और सह–पायलट के रूप में प्रशिक्षित पायलटों की संख्या (2023–2024)

क्र. सं.	प्रशिक्षित/अपग्रेडेड पायलटों (एटीआर 72–600) की संख्या					
	(पी1) (ट्रांजिसन कप्तानों एवं पीआईसी अपग्रेड सहित)	पी2	डीई	टीआरआई	एसएफआई	एलटीसी
कुल पायलट	23	13	02	02	0	05

प्रशिक्षित कमांडर और सह–पायलट के रूप में प्रशिक्षित पायलटों की संख्या (2023–2024)

क्र. सं.	पायलट ग्राउंड ट्रेनिंग विवरण (डीओ–228)					
	(पी1) (ट्रांजिसन कप्तानों सहित)	पी2	डीई	टीआरआई	एसएफआई	एलटीसी
कुल पायलट		3	-	-	-	0

प्रतिभागियों–पायलटों/केबिन क्रू आदि की संख्या के साथ निष्पादन/तकनीकी/अनुमोदन पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण की संख्या

क्र.सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	पी1 की संख्या	पी2 की संख्या
1	विस्तारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण	5	2
2	संयुक्त सीआरएम प्रशिक्षण	54	45
3	ऑनलाइन रिकरंट ग्राउंड प्रशिक्षण	74	72
4	फायर स्मोक डोर ड्रिल प्रशिक्षण	29	52
5	रिकरंट एलटीसी ग्राउंड प्रशिक्षण	4	-
6	रिकरंट डीजीआर प्रशिक्षण	30	53
7	सुधारात्मक सीआरएम प्रशिक्षण	3	5
8	प्रारंभिक डीजीआर प्रशिक्षण	12	25
9	रिफ्रेशर ग्राउंड प्रशिक्षण	-	2
10	रिकरंट टीआरआई ग्राउंड प्रशिक्षण	1	-
11	विस्तारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण के साथ ओसीसी	8	10
12	पीआईसी अपग्रेड ग्राउंड प्रशिक्षण	-	9
13	सुधारात्मक ग्राउंड प्रशिक्षण	4	4
14	प्रारंभिक एलटीसी अपग्रेड ग्राउंड प्रशिक्षण	2	-
15	एसएफआई ग्राउंड प्रशिक्षण	1	-
16	टीआरआई अपग्रेड ग्राउंड प्रशिक्षण	2	-
17	डीओ–228 पीआईसी अपग्रेड ग्राउंड प्रशिक्षण	-	1
18	एटीआर 72–500 से एटीआर 72–600 तक ओसीसी	-	5
19	प्रारंभिक सीआरएम प्रशिक्षण	6	12
20	डीओ–228 रिकरंट विस्तारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण	2	4
21	ऑफलाइन रिकरंट ग्राउंड प्रशिक्षण	3	5

दिए गए सिम्युलेटर प्रशिक्षण का विवरण (2023–2024)।

<u>सिम्युलेटर प्रशिक्षण विवरण</u>

क्र.सं.	सिम्युलेटर प्रशिक्षण विवरण	समेकित विवरण पी1 और पी2 के लिए घंटों की संख्या
1	अप्रैल, 2023	203:00
2	मई, 2023	335:45
3	जून, 2023	191:00
4	जुलाई, 2023	222:30
5	अगस्त, 2023	104:15
6	सितम्बर, 2023	183:15
7	अक्तूबर, 2023	215:00
8	नवम्बर, 2023	224:15
9	दिसम्बर, 2023	131:30
10	जनवरी, 2024	229:15
11	फरवरी, 2024	248:15
12	मार्च, 2024	241:00

ईंधन टैंकरिंग:

प्रत्येक स्टेशन पर स्थानीय करों की भिन्नता के कारण विमान ईंधन की लागत स्टेशन में अलग–अलग होती है। ईंधन पर खर्च को कम करने के लिए, अतिरिक्त ईंधन उठाने के प्रयास किए जाते हैं जहां से ईंधन की कीमत सस्ती होती है यदि पेलोड अनुमति देता है (लोड स्थिति के तहत) और विनियमित लैंडिंग वजन (आरएलडब्ल्यू) और विनियमित टेक–ऑफ वजन (आरटीओडब्ल्यू) के भीतर सीमाएं. ऐसे अन्य कारक भी हैं जो मौसम और पेलोड जैसे ईंधन की अतिरिक्त खपत का कारण बनते हैं।

वर्तमान में, एलाइंस एअर औसतन 60 सेक्टरों में मासिक आधार पर ईंधन टैंकरिंग कर रही है। प्रचालन विभाग महीने में एक बार ईंधन टैंकरिंग परिपत्र जारी करता है। ईंधन की कीमत में अंतर के आधार पर, ईंधन टैंकरिंग के क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया जाता है।

विभिन्न आर्थिक उपायों को अपना कर विशिष्ट वस्तुओं/क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए बचाई गई राशि की मात्रा का निर्धारण

प्रचालन विभाग द्वारा अपनाए गए प्रमुख आर्थिक उपाय निम्नानुसार हैं:–

- ईंधन/ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपाय: ईंधन टैंकरिंग की बारीकी से निगरानी की जा रही है और ईंधन टैंकरिंग परिपत्र आवधिक जारी किया जाता है।
- क्रू की उपलब्धता/उपयोगिता की योजना बनाई जाती है और इष्टतम तरीके से निगरानी की जाती है।
- कॉकपिट क्रू और केबिन क्रू के लिए प्रशिक्षण इस तरह से आयोजित किए जाते हैं कि इसमें क्रू की न्यूनतम गतिविधि शामिल हो।
- राजस्व सृजन पहल के रूप में ग्राहक एयरलाइनों को अनुबंधित राशि पर पायलट सहायता प्रदान की जाती है।
- सभी विदेशी पायलट भारतीय अनुबंध के समान शर्तों और नियमों पर एएएल में एफटीईए के आधार पर कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं।

- वाहन उपयोग को कम करने वाले सभी मार्गों पर क्रू परिवहन को क्लब किया जा रहा है, इससे कंपनी की परिवहन लागत काफी कम हो गई है।
- उड़ान प्रचालन के सुचारु परिवर्तन के लिए सभी बेसों पर कॉकपिट क्रू का इष्टतम उपयोग।
- उड़ान प्रचालन और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए एसओडी मूवमेंट की निगरानी। लागत बचत उपायों के रूप में यथासंभव 9I उड़ानों पर एसओडी एसीएम की योजना बनाई गई है।
- बेस को स्वतंत्र बनाने तथा होटल और एसओडी पर अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए कॉकपिट और केबिन क्रू की स्थायी तैनाती।
- एसओडी/परिवहन/हॉटैक/भोजन पर होने वाली लागत को कम करने के लिए वेबेक्स/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें/परामर्श/ब्रीफिंग/साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। यह समय बचाने का भी एक उपाय है.
- चार्टर संचालन के लिए मार्केटिंग/नेटवर्क प्लानिंग और अन्य संबंधित विभागों को हर समय पूर्ण समर्थन दिया जाता है। संगठन द्वारा किसी भी राजस्व सृजन अवसर को प्रोत्साहित किया जाता है।
- एएएल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने आंतरिक एलएंडटी प्रशिक्षकों का उपयोग करता है। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के लिए प्रति अभ्यर्थी एक निश्चित राशि पर लोड और ट्रिम प्रशिक्षण, बेसिक और रिकरंट दोनों प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। ऐसे प्रशिक्षणों का बिल विक्रेता को भेजा जाता है, जिससे या तो राजस्व प्राप्त होता है या समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार कंपनी के बकाया को कम करने के लिए समायोजित किया जाता है।
- क्रू मूवमेंट, होटैक और यात्रा में लगने वाले समय से बचने के लिए एवीएसईसी प्रशिक्षण संबंधित बेस पर आयोजित किए जाते हैं।
- एयरलाइन टाइप रेटिंग प्रोग्राम (एटीआरपी): एलाइंस एअर ने जून 2019 में एटीआरपी की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत औसतन 70 में से लगभग 25 सह–पायलटों को प्रशिक्षित किया गया। प्रति उम्मीदवार 25 लाख रुपये की दर से 25 पायलटों को कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 6.25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
- डीजीसीए से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार कॉकपिट क्रू/केबिन क्रू/डिस्पैचर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की योजना रिकरंट/रिफ्रेशर के रूप में बनाई गई है।
- अन्य एयरलाइन पायलटों और केबिन क्रू के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, इससे एलाइंस एअर को अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिल रही है। एएएल प्रशिक्षकों का उपयोग अन्य संगठनों के सिम्युलेटर प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है जिससे अतिरिक्त राजस्व अर्जित हो रहा है।
- कमांड अपग्रेड के दौर से गुजर रहे पायलटों से अपग्रेडेशन के बाद एयरलाइन को उनकी निरंतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक बांड लिया जा रहा है।
- त्यागपत्र के बाद, एलडी/अपग्रेड/एलटीसी बांड राशि की वसूली हेतु कंपनी छोड़ने संबंधी औपचारिकताओं का कड़ाई से पालन किया जाता है। वसूली योग्य राशि की वसूली और कंपनी की संपत्ति की वापसी पर विभागीय मंजूरी दी जाती है।

गोइंग कंर्सन

कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी के नाते एअर इंडिया के विनिवेश के बाद कंपनी को पूरी तरह से चालू करने के लिए भारत सरकार से पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

कंपनी ने अपनी परिचालन क्षमता और लागत नियंत्रण उपायों में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं।

31 मार्च 2024 तक कम्पनी के पास कुल 21 विमानों का बेड़ा है। सभी विमान देश के छोटे/असेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों पर सेवा देने के लिए उपयुक्त हैं।

एलाइंस एअर को दूरदराज के क्षेत्रों में आरसीएस एवं वीजीएफ योजना के अन्तग विशेष रूप से उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक लागू करने के लिए और महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्रों के लिए उड़ान भरने की चुनौती को हमेशा स्वीकार करते हुए आबंटित मार्गों को संचालित करने का काम सौंपा गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार टायर II और टायर III शहरों को जोड़ने और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए उड़ान योजना के वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया गया।

एलाइंस एअर ने वीजीएफ योजना के तहत प्रमुख शहरों जैसे उत्तराखंड, ओडिशा, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, हिमाचल और छत्तीसगढ़ को विमान प्रचालित कर राज्यों से जोड़ने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समझौता भी किए हैं।

कंपनी भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, कंपनी द्वारा कुल 165 उड़ान मार्ग जीते गए है। आबंटित मार्गों में से, कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक 115 मार्ग (पिछले वर्ष 101 मार्ग) पर प्रचालन किया।

इसके साथ–साथ, नागर विमानन मंत्रालय ने अपने दिनांक 6 अप्रैल 2023 के पत्र डीओ सं एवी.17046/72/2019–एआई, द्वारा स्पष्ट रूप से कहा कि एलाइंस एअर निरंतर आगे बढ़ रही है और आश्वासन दिया कि सरकार एलाइंस एअर को एटीएफ आपूर्ति के बकाये का भुगतान करने हेतु सभी प्रयास करेगी।

एलाइंस एअर को वित्त मंत्रालय से 20 अप्रैल 2023 को 600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई। अनुमोदन के अनुसार, एलाइंस एअर को 600 करोड़ रुपये की दोनों किश्तें जारी कर दी गई हैं, जिनमें से 300 करोड़ रुपये 26 जून 2023 को और 300 करोड़ रुपये 16 फरवरी 2024 को एआईएएचएल से इक्विटी निवेश के रूप में जारी किए जाएँगे।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड की दहलीज पर हैं और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया का एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। कोविड–19 के पश्चात् एएएएल रिकवरी की राह पर है और ईबीआईटी एक सकारात्मक रूझान दिखाता है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने की योजना बनाई और इसके बाद लाभ को और मजबूत किया।

चूंकि कंपनी को परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है और कंपनी को पूरी तरह से चलाने के लिए भारत सरकार से समर्थन प्राप्त है, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरण संचित घाटे के बावजूद "गोइंग कंसर्न" के आधार पर तैयार किए गए हैं और निवल मूल्य नष्ट हो रहा है।"

जोखिम न्यूनीकरण नीति

कम्पनी द्वारा निरन्तर जोखिम धारणाओं को मॉनीटर किया जाता है तथा विविध क्षेत्रों के जोखिम को कम करने हेतु निवारक कार्रवाई की जाती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने, जैसे कर अनुपालन, जोखिम मूल्यांकन और कमी, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करना इत्यादि हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कम्पनी, चार्टरित लेखापाल, नई दिल्ली को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

फार्म एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सभी सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड
CIN: U51101DL1983GOI016518
एलाइंस भवन, अंतर्देशीय, टर्मिनल–1
आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037.

हम **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** (इसके बाद 'कंपनी' के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के पालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर हमारी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला।

कम्पनी की लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे दूसरे रिकार्डों तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों (आरटीए सहित) एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी में, एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में **31 मार्च, 2024** को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने एतद्धीन सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया है एवं अनुपालन प्रणाली उस सीमा तक स्थापित है जैसा कि निम्नलिखित रिपोर्ट में है:–

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध करवाए गए लेखाबहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मो को निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के पोर्टल पर फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों की जांच की:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम:

ii) सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके तहत बनाए गए नियम **(कंपनी असूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए प्रावधान लागू नहीं होते हैं)**

iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत तैयार उपनियम।

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अधीन तैयार नियम व विनियम के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।)**

v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: **(कंपनी एक असूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए निम्नलिखित विनियम लागू नहीं होते हैं।)**

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं संबंधी मदे) विनियम, 2018

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूति को जारी और सूचीकरण करना) विनियम, 2021

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियमन, 2021

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करना) विनियम, 2021

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति की पुर्नखरीद) विनियम, 2018

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018

vi) प्रबंधन ने पुष्टि की है कि कंपनी पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों का विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है।

(क) एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 और उसके अधीन बनाए गए नियम

(ख) कैरिज बाई एक्ट, 1972 और उसके अधीन बनाए गए नियम

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994

(घ) एयरक्राफ्ट (खतरनाक माल की ढुलाई) नियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियम

(ङ.) नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जारी नागर विमानन आवश्यकताएं

(च) टोकियो कन्वेंशन एक्ट, 1975

(छ) एयरक्राफ्ट (सुरक्षा) नियम 2011

(ज) अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन

(झ) एंटी–हाईजैकिंग एक्ट 1982/1994

(ट) सुप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टस एगेन्स्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982/1994

(ठ) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) और आम बैठकों (एसएस–2) के सबंध में सचिवीय मानकों के लागू अनुच्छेदों के अनुपालन की भी जांच की है;

हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर, ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शनों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे प्रावधान को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठन करते हुए, 01–04–2023 से 11–02–2024 तक महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में। हालॉकि, 12–02–2024 से श्रीमती न्योनिका दत्ता को कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया।

हम यह भी सूचित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 और कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियम, 2014 के अनुपालन में राइट इश्यू जारी किए और रु. 100/– प्रति शेयर मूल्य के 6,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए। इसके बाद, कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर रु. 1002.25 करोड़ हो गई।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) कंपनी के निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशकों सहित स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे;

(ii) बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है; एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है;

(iii) बोर्ड और उसकी समितियों के सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिए गए।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर, हमारा मानना है कि कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं जो इसके आकार और प्रचालन के अनुरूप हैं, ताकि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्गदर्शनों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित की जा सके।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शनों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के कामकाज पर कोई बड़ा प्रभाव डालने वाली कोई घटना नहीं घटी है।

कृते टी. चटर्जी एण्ड एसोसिएटस
कम्पनी सचिव
एफआरएन सं. P2007WB067100

हस्ता./–
सीएस सुमाना सुभाष मित्रा
पार्टनर
एसीएस: 43291
सीओपी: 22915
यूडीआईएन: A043291G0008262505
पीर रिव्यू सं. 908/2020

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई, 2025

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे समतिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

<u>अनुलग्नक 'क'</u>

सेवा में,
सभी सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

मेरी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा व निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने आईसीएसआई लेखा परीक्षा मानक, लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन नोटों का पालन किया है, जो सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

4. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और हमारी राय देने के लिए कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद है या नहीं।

5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते टी. चटर्जी एण्ड एसोसिएटस
कम्पनी सचिव
एफआरएन सं. P2007WB067100

हस्ता./–
सीएस सुमाना सुभाष मित्रा
पार्टनर
एसीएस: 43291
सीओपी: 22915
यूडीआईएन: A043291G0008262505
पीर रिव्यू सं. 908/2020

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई, 2025

अनुलग्नक–क

निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निगमित प्रशासन पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा निगमित प्रशासन पर जारी डीपीई दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:

1. निगमित प्रशासन कोड पर कंपनी का दर्शन

कंपनी अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दृढ़ता से विश्वास करती है और लगातार अभ्यास करती रही है। कंपनी की प्रतिष्ठा को पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों द्वारा आकार दिया गया है। कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी का दर्शन अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, प्रकटीकरण करना और कानूनों और विनियमों के ढांचे के भीतर सभी हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना है।

2. निदेशक मंडल

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इसके निदेशक भारत सरकार के परामर्श से होल्डिंग कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम और बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

31 मार्च, 2024 को निदेशक मंडल

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पदनाम
1.	श्री असंगबा चुबा आओ (नोट 1 का संदर्भ) संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
2.	श्री प्रांजोल चंद्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक
3.	श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक
4.	श्रीमती न्योनिका दत्ता (नोट 2 का संदर्भ) संयुक्त निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	नामित निदेशक

नोट:

1. नागर विमानन मंत्रालय के आदेश संख्या 17046/56/2019–एआई दिनांक 26–02–2024 के द्वारा, श्री असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को 01–01–2024 से तीन महीने की अवधि के लिए या एआईएएचएल के नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा के स्थान पर, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। तदनुसार, श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा 31–12–2023 से एएएएल के नामित निदेशक एवं बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रहेंगे।

   बोर्ड ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की सराहना की।

बोर्ड के परिपत्र संकल्प संख्या एपीपी.26 दिनांक 29–02–2024 के द्वारा श्री असंगबा चुबा आओ को 29–02–2024 से और एमओसीए/होल्डिंग कंपनी से किसी भी अगले निर्देश तक एएएएल के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित और नियुक्त किया गया।

2. एआईएएचएल की सहायक कंपनियों, जिनमें एएएएल भी शामिल है, के बोर्ड में एक महिला निदेशक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड के कामकाज के लिए कोरम सुनिश्चित करने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.) ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08–02–2024 के माध्यम से एएएएल के बोर्ड का पुनर्गठन किया। तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय की संयुक्त निदेशक श्रीमती न्योनिका दत्ता को 08–02–2024 से एएएएल के बोर्ड में नामित किया गया। हालाँकि, नामित निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति उनकी निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने की तिथि, अर्थात 12–02–2024 से प्रभावी हुई।

वर्ष के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की गई।

3. बोर्ड प्रक्रिया

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। बैठकें पहले से निर्धारित की जाती हैं। आवश्यकता/अत्यावश्यकता के मामले में, प्रस्तावों को सर्कुलेसन द्वारा पारित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बोर्ड की एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक की जाती है। बैठकों का एजेंडा संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के दस्तावेज निदेशकों को अग्रिम रूप में दिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सभी जानकारियों तक पहुंच होती है और वे एजेंडे में चर्चा हेतु किसी भी मामले को शामिल करने की सलाह देने के लिए स्वतंत्र हैं। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है और अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रदान किए जाते हैं। अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टों को आवधिक तौर पर बोर्ड में रखा जाता है। कंपनी के मामलों को बेहतर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करने हेतु, बोर्ड के कुछ मामलों को, इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बोर्ड की समितियों को सौंपा जाता है।

बोर्ड की बैठकों, सामान्य वार्षिक बैठकों, निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों के निदेशक पद और समितियों में पोज़ीशन का ब्यौरा इस प्रकार है:

बोर्ड की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नलिखित तिथि के अनुसार बोर्ड की 09 बैठकें आयोजित की गईं:

14 जून, 2023 (181वीं बैठक)

20 जून, 2023 (182वीं बैठक)

27 जून, 2023 (183वीं बैठक)

23 अगस्त, 2023 (184वीं बैठक)

22 सितम्बर, 2023 (185वीं बैठक)

15 जनवरी, 2024 (186वीं बैठक)

12 फरवरी, 2024 (187वीं बैठक)

17 फरवरी, 2024 (188वीं बैठक)

22 मार्च, 2024 (189वीं बैठक)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति सहित विवरण।

निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	उपस्थिति विवरण		
		बोर्ड की बैठकों की सं.		
		आयोजित	उपस्थिति	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लि. अध्यक्ष (01.03.2023 से 31.12.2023 तक)	एमटेक (एप्लाइड जियोलॉजी) एमए (सार्वजनिक नीति) आईआरएस (आईटी:1990)	9 (केवल 5 मीटिंगों में भाग लेने के योग्य)	5	जी हां
श्री असंगबा चुबा आओ संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक एवं अध्यक्ष (18.01.2023 से आज तक निदेशक पद पर नियुक्ति एवं 29.02.2024 से 11.03.2025 तक अध्यक्ष पद पर)	एमए (अंग्रेजी साहि) एवं एमए (लोक प्रशासन)	9	9	जी हां
श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (11.02.2022 से 13.12.2024 तक)	बी.ई. मैकेनिकल	9	7	जी हां
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (18.01.2023 से 28.03.2025 तक)	स्नातकोत्तर	9	9	जी हां
श्रीमती न्योनिका दत्ता संयुक्त निदेशक नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (12.02.2024 से आज तक)	अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री	9 (केवल 3 मीटिंगों में भाग लेने के योग्य)	3	जी नहीं

बोर्ड समितियों के निदेशक और सदस्यता

कंपनी के निदेशकों द्वारा गठित विभिन्न समितियों में निदेशक और सदस्यता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

निदेशकों के नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	31 मार्च 2024 समितियों में सदस्यता
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिग लि. अध्यक्ष (01.03.2023 से 31.12.2023 तक)	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** एआई एसैट्स होल्डिग लि. 01.03.2023 से प्रभावी **अध्यक्ष** एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड 01.03.2023 से प्रभावी एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. 01.03.2023 से प्रभावी भारतीय होटल निगम लिमिटेड 01.03.2023 से प्रभावी **निदेशक** एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड 02.02.2017 से प्रभावी एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. 02.02.2017 से प्रभावी एआई एसैट्स होल्डिग लि. 22.01.2018 से प्रभावी	**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** **अध्यक्ष** एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति **सदस्य** लेखा परीक्षा समिति **एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति **एआई एसैट्स होल्डिंग लिमिटेड** अध्यक्ष नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति

निदेशकों के नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	31 मार्च 2024 समितियों में सदस्यता
श्री असंगबा चुबा आओ संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक एवं अध्यक्ष (18.01.2023 से आज तक निदेशक एवं 29.02.2024 से 11.03.2025 तक अध्यक्ष)	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** एआई एसैट्स होल्डिग लिमिटेड 01.01.2024 से प्रभावी **अध्यक्ष** एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड 01.01.2024 से प्रभावी एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड 01.01.2024 से प्रभावी भारतीय होटल निगम लिमिटेड 05.03.2024 से प्रभावी **निदेशक** रोहिणी हैलीपोर्ट लिमिटेड पवन हंस लिमिटेड एआई एसैट्स होल्डिग लिमिटेड एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि.	**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** **अध्यक्ष** लेखा परीक्षा समिति 28.02.2024 तक एचआर समिति 29.02.2024 से प्रभावी उड़ान संरक्षा समिति 29.02.2024 से प्रभावी **सदस्य** लेखा परीक्षा समिति 29.02.2024 तक एचआर समिति 28.02.2024 तक उड़ान संरक्षा समिति 28.02.2024 तक **एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड** **अध्यक्ष** कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति **सदस्य** लेखा परीक्षा समिति **एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** **अध्यक्ष** कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति **सदस्य** लेखा परीक्षा समिति **एआई एसैट्स होल्डिंग लिमिटेड** **सदस्य** स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति **पवन हंस लिमिटेड** **सदस्य** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निदेशकों के नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण	31 मार्च 2024 समितियों में सदस्यता
श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (11.02.2022 से निदेशक नियुक्त)	**निदेशक** भारतीय होटल निगम लिमिटेड	**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** **अध्यक्ष** लेखा परीक्षा समिति 29.02.2024 से प्रभावी **सदस्य** लेखा परीक्षा समिति 28.02.2024 तक एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति **भारतीय होटल निगम लिमिटेड** **सदस्य** लेखा परीक्षा समिति
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव उप सचिव नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (18.01.2023 से 28.03.2025 तक)	**निदेशक** भारतीय होटल निगम लिमिटेड	**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** **सदस्य** लेखा परीक्षा समिति एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति **भारतीय होटल निगम लिमिटेड** **सदस्य** लेखा परीक्षा समिति
श्रीमती न्योनिका दत्ता संयुक्त निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय निदेशक (12.02.2024 से आज तक)	**निदेशक** एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	**एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** **सदस्य** लेखा परीक्षा समिति एचआर समिति उड़ान संरक्षा समिति

4. आचार संहिता

निगमित प्रशासन पर सीपीएसई के लिए जारी डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को अपनाया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा, रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

5. लेखा परीक्षा समिति

निगमित प्रशासन प्रक्रिया के भाग के रूप में व कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और डीपीई के मार्गदर्शन के अनुपालन के तहत बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2024 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

श्री प्रांजोल चन्द्रा	अध्यक्ष
श्री असंगबा चुबा आओ	सदस्य
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
श्रीमती न्योनिका दत्ता	सदस्य

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- नियुक्ति, पारिश्रमिक और कम्पनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन व लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा व मॉनीटर करना।
- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना और आंतरिक व बाह्य लेखा परीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ–साथ यह तय करना कि आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य कम्पनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है या नहीं।
- लेखा परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के संबंध में चर्चा करना।
- वित्तीय विवरणी और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना, प्रबंधन की प्रतिक्रिया और सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- संबंधित पार्टियों के साथ कम्पनी के लेन–देन का अनुमोदन या तदन्तर कोई संशोधन करना।
- अन्तर कारपोरेट ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहां कहीं भी आवश्यक हो कम्पनी के उत्तरदायित्वों या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।
- पब्लिक ऑफर के माध्यम से एकत्र किए गए धन के अंतिम उपयोग की मॉनिटरिंग करना और संबंधित मामले।
- बोर्ड द्वारा वांछित अन्य मामलों पर विचार करना।

अन्य मुद्दों के साथ–साथ कम्पनी के वार्षिक लेखों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व लेखा परीक्षा समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 05 बैठकें आयोजित की गई।

14 जून, 2023 (31वीं बैठक)

23 अगस्त, 2023 (32वीं बैठक)

22 सितम्बर, 2023 (33वीं बैठक)

15 जनवरी, 2024 (34वीं बैठक)

22 मार्च, 2024 (35वीं बैठक)

लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति:

सदस्यों के नाम	बैठक में उपस्थिति की सं.
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा	3*
श्री असंगबा चुबा आओ	5
श्री प्रांजोल चन्द्रा	5
श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव	5
श्रीमती न्योनिका दत्ता	1**

*केवल तीन मीटिंगों में भाग लेने के योग्य

**केवल एक मीटिंग में भाग लेने के योग्य

6. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक आम बैठक

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी की आयोजित आम बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

वा.आ.बै./अ.आ.बै.	बैठक की तिथि एवं समय	स्थान
38वीं वार्षिक आम बैठक	12 नवम्बर, 2021 को 11:30 बजे	एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–I आईजीआई, एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037
असाधारण आम बैठक	27 जनवरी, 2022 को दोपहर 12:00 बजे	एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–I आईजीआई, एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037
39वीं वार्षिक आम बैठक	30 दिसम्बर, 2022 को 11:00 बजे	एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–I आईजीआई, एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037
40वीं वार्षिक आम बैठक	22 सितम्बर, 2023 को 13:15 बजे	एलाइंस भवन, अन्तर्देशीय टर्मिनल–I आईजीआई, एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037

कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता सी 101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग, विक्रोली पश्चिम, मुंबई 400083 है।

7. प्रकटीकरण और सांविधिक अनुपालन

निदेशक के हित, संबंधित पार्टी लेनदेन, वैधानिक रजिस्टरों के रखरखाव से संबंधित पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं और समय–समय पर निदेशक मंडल के समक्ष निर्णय लेने के लिए रखे गए हैं, बोर्ड के साथ व्यवसाय को संभालने के लिए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल की स्पष्ट नीति और नामित अधिकारियों के प्राधिकरण के साथ मायने रखता है। खुलासे, सूचना, आबंटन और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए में फाइलिंग समयबद्ध तरीके से की गई है और कोई लंबित मामला नहीं है। कंपनी, स्व–मूल्यांकन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–2023 और 2023–24 दोनों के लिए डीपीई निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए 'उत्कृष्ट' ग्रेड के अंतर्गत आती है।

8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रमाणीकरण:

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उप मुख्य वित्तीय अधिकारी(स्था.)* तथा प्रबंधक वित्त* ने वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में लिखित रूप में प्रमाणित किया है जो लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था और इस रिपोर्ट का भाग है।

*(मु.वि.अ. की अनुपस्थिति में)

9. निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट किए जाने वाले डेटा के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है।

निगमित प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग है।

कृते व बोर्ड की ओर से

हस्ता./–
(अमित कुमार)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25 जुलाई, 2025

आचार संहिता

<u>घोषणा</u>

मैं यह घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

हस्ता./–
(राजर्षि सेन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई, 2025

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

हम, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रामबाबू सी., और उप मुख्य वित्तीय अधिकारी (स्था.)*, नितीश भारद्वाज एवं गुरविन्दर सिंह, प्रबधक वित्त, (इसके बाद ''कंपनी'') एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि:—

1. हमने वर्ष के वित्तीय विवरणियों की समीक्षा की है और यह हमारी जानकारी और मत के अनुसार हैं:—

   क) इस कथन में कोई भी वास्तविक रूप से असत्य तथ्य शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे कथन शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

   ख) यह कथन कंपनी के मामलों की स्थिति और प्रचालन और नकदी प्रवाह के परिणामों का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। वित्तीय विवरणी, लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों सहित मौजूदा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ, सभी वास्तविक मामलों में अनुरूपता में तैयार किए गए हैं।

2. हमारी जानकारी और मत के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया जो धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समग्र जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। इसकी निगरानी आंतरिक लेखा परीक्षा फंक्शन द्वारा की जाती है, जिसमें पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। आंतरिक लेखा परीक्षा, प्रबंधन के सभी स्तरों और सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ काम करता है, और निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को महत्वपूर्ण मुद्दों की रिपोर्ट करता है।

   महत्वपूर्ण कमियों और महत्वपूर्ण कमजोरियों के संबंध में की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई से लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को अवगत कराया जाता है।

4. हम लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित करते हैं:—

   क) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

   ख) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

5. हम आगे घोषणा करते हैं कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

*(मु.वि.अ. की अनुपस्थिति में)

कृते **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड**

हस्ता/—	हस्ता/—	हस्ता/—
रामबाबू सी.	**नीतिश भारद्वाज**	**गुरविन्दर सिंह**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी	**उप मुख्य वित्तीय अधिकारी (स्था.)**	**प्रबंधक (वित्त)**
पैन: AGVPC9371P	पैन: AVVPB1799H	पैन: BCZPS0947L

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 जनवरी, 2025

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित प्रशासन के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

सेवा में,
सभी सदस्य
एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड
CIN: U51101DL1983GOI016518
एलाइंस भवन, अंतर्देशीय, टर्मिनल–1
आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037.

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रासंगिक पुस्तकों, अभिलेखों और विवरणों की जांच की है, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा घोषित ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों पर दिशानिर्देश'' में निर्धारित किया गया है।

निगमित प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच कंपनी द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वियन तक सीमित थी। हमारी रिपोर्ट/प्रमाणन न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

प्रस्तुत अभिलेखों, कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण की हमारी जांच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 की अनिवार्य शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि 01–04–2023 से 11–02–2024 की अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे प्रावधान के तहत कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है। हालाँकि, 12–02–2024 से, श्रीमती न्योनिका दत्ता को कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन की प्रभावशीलता की दक्षता के बारे में।

कृते टी. चटर्जी एण्ड एसोसिएटस
कम्पनी सचिव
एफआरएन सं. P2007WB067100

हस्ता. /–
सीएस सुमाना सुभाष मित्रा
पार्टनर
एसीएस: 43291
सीओपी: 22915
यूडीआईएन: A043291G000862474
पीर रिव्यू सं. 908/2020

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई, 2025

वर्ष 2023–24 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

फॉर्म संख्या एओसी–2 (अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे नियम के तहत कतिपय आर्म लैंथ संव्यवहार शामिल हैं।

1. **संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं:**

   दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित व्यवस्था या संव्यवहार, नहीं किए गए हैं, जो कि आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं।

2. **आर्म लैंथ आधार पर संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा**

   वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के अधीन कम्पनी द्वारा किए गए सभी संबंधित अनुबंध/व्यवस्था/संव्यवहार, आर्म लैंथ आधार पर व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किए गए थे। जिन्हें दिनांक 14 जून, 2023 को कंपनी द्वारा आयोजित 181वीं बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया। आर्म लैंथ आधार पर संविदाओं, व्यवस्थाओं और संव्यवहारों का ब्यौरा इस प्रकार है:

<table>
<tr><th>संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति</th><th>लेन–देन की प्रकृति</th><th>लेन–देन की अवधि</th><th>लेन–देन की मुख्य शर्तें</th><th>राशि करोड़ रु. में</th></tr>
<tr><td rowspan="4">एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) (होल्डिंग कंपनी)</td><td>व्यय</td><td></td><td>व्यय</td><td></td></tr>
<tr><td>स्थान शुल्क</td><td rowspan="2">1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024</td><td rowspan="2"></td><td>0.28</td></tr>
<tr><td>ब्याज</td><td>241.21</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td><td>241.49</td></tr>
<tr><td rowspan="5">एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल)

(एआई एसेट्स होल्डिंग लि. की सहायक कम्पनी)</td><td>व्यय</td><td rowspan="4">1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024</td><td rowspan="4">व्यय</td><td></td></tr>
<tr><td>मरम्मत अन्य</td><td>56.65</td></tr>
<tr><td>मानव शक्ति</td><td>1.08</td></tr>
<tr><td>ब्याज</td><td>21.08</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td><td>78.81</td></tr>
</table>

एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) (एआई एसेट्स होल्डिंग लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय**	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024	व्यय	
	हैंडलिंग प्रभार			31.27
	ब्याज			11.50
	कुल			**42.77**
	आय		आय	
	एसओडी, लोगो एवं एएएएल द्वारा लगाया गया जुर्माना			0.44
	कुल			**0.44**
भारतीय होटल निगम लि. (एआई एसेट्स होल्डिंग लि. की सहायक कम्पनी)	**व्यय**	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024	व्यय	
	होटल आवास			0.35
	कुल			**0.35**
	आय		आय	
	लोगो का उपयोग			0.007
	कुल			**0.007**

कृते व बोर्ड की ओर से

हस्ता./–
(अमित कुमार)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25 जुलाई, 2025

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएल) के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएल)** के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएल)** की वर्ष 31 मार्च, 2024 की वित्तीय विवरणियों की संपूरक लेखा परीक्षा की है। संपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के आधार–पत्र के बिना स्वतंत्र रुप से की गई है व प्रमुख रुप से लेखा परीक्षकों व कम्पनी के कर्मचारियों की जांच व कुछ लेखा रिकार्डो के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं, अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरी दृष्टि में आए हैं और मेरे विचार में संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट व वित्तीय विवरणियों की बेहतर समझ उपलब्ध करवाने में आवश्यक है।

मेरी संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे ज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिसके कारण अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या पूरक पर प्रकाश डालने की आवश्यकता होगी।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता./–
(प्रमोद कुमार)
अतिरिक्त उप प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 02 अप्रैल, 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क्वालिफाइड मतः

हमने, **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** (''कम्पनी'' या ''एएएएल'') के साथ इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 तक की अवधि का तुलन–पत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण सूचना (''वित्तीय विवरणों'') शामिल है।

हमारे मत में, और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नीचे उल्लिखित हमारे क्वालीफाइड मत के आधार पर, वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (''इंड एएस'') के अनुरूप कम्पनी की वास्तविक स्थिति 31 मार्च, 2024 को दी गई जानकारी तथा समाप्त वर्ष में हानि, इक्विटी और अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

क्वालिफाइड मत का आधारः

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा नमूना जाँच के आधार पर किए गए हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा मानना है कि कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर उचित आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। परिणामस्वरूप, यह वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कार्यान्वित किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समग्र प्रभावशीलता में कमी को दर्शाता है। निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पर क्वालिफाइड मत बनाए गए हैः

क) जून 2024 में, तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी (सी.एफ.ओ) के खिलाफ कुछ आरोपों के बारे में अध्यक्ष के पास एक व्हिसलब्लोअर शिकायत दर्ज की गई। व्हिसलब्लोअर की शिकायत में जाली दस्तावेजों के आधार पर एस.ए.पी विक्रेता को 4.85 मिलियन रु. की धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान का खुलासा हुआ। आंतरिक लेखा परीक्षक की 11.07.2024 की सत्यापन रिपोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि की गई। मामले की जाँच के लिए कार्यालय आदेश संख्या 10.06.2024 के माध्यम से एक आंतरिक समिति का गठन किया गया। समिति ने 15 जुलाई 2024 को अपनी रिपोर्ट सीईओ को और उसके बाद अध्यक्ष के साथ–साथ सतर्कता विभाग को भी सौंपी। यह विक्रेता भुगतान प्रामाणिकता और खरीद प्रक्रियाओं पर कंपनी के नियंत्रण में कमियों को इंगित करता है। इसके अलावा व्हिसलब्लोअर ने यह भी शिकायत की है कि कंपनी ने जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक 3 महीने की अवधि के लिए कंपनी के तत्कालीन सीएफओ को 0.2 मिलियन रुपये का अधिक पारिश्रमिक दिया है। बाद में निदेशक मंडल द्वारा इस अतिरिक्त पारिश्रमिक को मंजूरी नहीं दी गई। तदनुसार, सीएफओ से वसूली योग्य राशि को बही खातों में दिखाया गया है। हमें कंपनी द्वारा सूचित किया गया कि एक आंतरिक समिति ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट सतर्कता विभाग को सौंप दी है जो इस मामले की आगे की जांच कर रहा है। यह कंपनी के मानव संसाधन नियंत्रण और पारिश्रमिक के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं में वास्तविक कमजोरी का संकेत मिलता है।

ख) इनवेंटरी के रखरखाव और रिकॉर्डिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में कमी:

i. एएएएल ने एअर इंडिया के विनिवेश तक इनवेंटरी प्रबंधन के लिए एअर इंडिया के एमएमडी मॉड्यूल (रैमको) का उपयोग किया। एअर इंडिया लिमिटेड से विनिवेश के बाद, एएएएल का 18 मई 2022 से अपने इनवेंटरी सिस्टम लैमिनार में स्थानांतरित हो गया। 31 मार्च 2022 तक रैमको से इनवेंटरी बैलेंस को लैमिनार में स्थानांतरित कर दिया गया। 2022–23 (सितंबर 2022 तक) की खरीद और खपत प्रविष्टियों को एएएएल के एस.ए.पी सिस्टम से जोड़ा गया क्योंकि रैमको एवं एस.ए.पी. के बीच सीधा इंटरफेस था।

ii. इनवेंटरी को पहले भारित औसत के आधार पर प्रबंधित किया जाता था, लेकिन 2023–24 से इसे फीफो में बदल दिया गया है, जो कि पोस्ट–फैक्टो आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन है। एमएमडी सिस्टम (लैमिनार) में तकनीकी गड़बड़ी के कारण सिस्टम स्पेयर के यूएसडी मूल्य के आर.ओ.ई (विनिमय दर) को सहसंबंधित नहीं कर सका, जिसके कारण लैमिनार सिस्टम में वास्तविक भारतीय रुपए में आंकड़े नहीं दर्शाए जा सके। सटीक भारतीय रुपए में आंकड़ों को दर्शाने के लिए एस.ए.पी में समायोजन किया गया है, जिससे 2023–24 में वित्तीय विवरणों पर 10.00 मिलियन रु. का प्रभाव पड़ेगा।

iii. एएएएल ने लैमिनार सिस्टम रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए 31 मार्च 2024 तक इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन किया। वास्तविक स्टॉक में विसंगतियों के कारण वित्त वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरणों में 170.07 मिलियन रुपये का प्रावधान किया गया। 170.07 मिलियन रुपये की कमी की पहचान की गई, जिसके कारण कारणों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। कंपनी ने समिति के निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त करने की योजना बनाई है, और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद रिपोर्ट के आधार पर वित्त वर्ष 2024–25 में आवश्यक लेखांकन कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2021–22 के दौरान बनाई गई इनवेंटरी में कमी के लिए एक मौजूदा प्रावधान था जिसे कंपनी द्वारा वास्तविक हानि के आकलन के अधीन बनाया गया था।

वर्ष 2021–22 के दौरान पाई गई कमी के कारण कंपनी को हुई वास्तविक हानि के आकलन में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी से वास्तविक हानि के अनुमोदन के अभाव में वास्तविक सत्यापन में रिपोर्ट की गई कमी के कारण अपेक्षित हानि का प्रावधान अभी भी वित्तीय विवरणों में मौजूद है।

iv. एएएएल ने लैमिनार में स्थापना के बाद से खरीदी गई सभी इनवेंटरी को प्लॉट किया है और वास्तविक आर.ओ.ई पर विचार करने के बाद, महीनेवार खरीद और खपत का पता लगाया है, जिसका शुद्ध प्रभाव वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित 10.00 मिलियन रुपये है जिसे वित्त वर्ष 2023–24 में खरीद के रूप में दर्ज किया गया है। चूंकि यह राशि कंपनी की लेखा नीति के अनुसार वास्तविकता की सीमा के भीतर है, इसलिए पिछले वर्ष के खातों को फिर से नहीं बताया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान एस.ए.पी. और लैमिनार के बीच कोई इंटरफेस नहीं था जिसे अभी भी लागू किया जाना बाकी है।

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की **"वित्तीय विवरणियों के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों"** में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारिया हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे मत के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त है। तथापि, हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों तथा किए गए परीक्षण जांचों के आधार पर, वित्तीय विवरणों पर अनिर्धारित गलतबयानी के संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, तो भौतिक हो सकते हैं, लेकिन व्यापक नहीं होंगे।

<u>मामले का महत्व</u>

1. हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 41 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने के बारे में बताती है। कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में 5,665.73 मिलियन रुपये की शुद्ध हानि हुई है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष में 6,210.20 मिलियन रुपये की हानि को जारी रखा है, और कंपनी का शुद्ध मूल्य वर्ष के अंत की तारीख तक पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिससे कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा हो रही है।

   हालांकि, कंपनी को चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी होल्डिंग कंपनी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से 6000 मिलियन रु. की इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता मिली है। यह सहायता, नोट में विस्तृत अन्य कारकों के साथ मिलकर, चालू व्यवसाय धारणा के बारे में अनिश्चितता को कम करती है। इसलिए, वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा निर्धारित चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. हम नोट 33(क) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने कहा है कि ''23 अप्रैल 2024 को शॉर्ट सर्किट के कारण एएएल के कैमो कार्यालय में आग लग गई। परिसर लीज़ पर था और वर्क स्टेशन के रूप में अस्थायी संरचना एअर इंडिया से विरासत में मिली थी। आग से कंप्यूटर सिस्टम वाली परिसंपत्ति नष्ट हो गई, जिसकी बुक वैल्यू लगभग 0.07 मिलियन रुपये है। इसके लिए आवश्यक लेखांकन वित्त वर्ष 2024–25 में प्रभावित होगा।''

उपरोक्त मामलों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

इंड एएस वित्तीय विवरण से इतर अन्य सूचना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंध मंडल एवं निदेशक मंडल, अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट की सूचना शामिल है लेकिन इसमें इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाए तो, उनका पठन करें और ऐसा करते समय ध्यान दें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, और हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर शासन–विधि को इस संबंध मे सूचित करना होगा और संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत उचित कार्रवाई करनी होगी। हमें लेखा परीक्षा के आधार पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी को सूचित करना होगा।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है।

जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमिताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखा रिकार्ड के समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो।

इंड एएस वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोइंग कंसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणीयां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, सदैव, मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें।

एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भी:

1. वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।

2. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

3. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।

4. प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोइंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करना। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में

घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।

5. प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं।

मौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक मौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं:

(i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; तथा

(ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं।

हम शासन को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं।

<u>अन्य मामले</u>:

1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की पूर्व अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पूर्ववर्ती साविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया और उन्होंने 14 जून 2023 की अपरिवर्तित राय के साथ अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। तदनुसार, इन वित्तीय विवरणों में शामिल 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि से संबंधित आंकड़े और प्रकटीकरण, पूर्ववर्ती सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा 14 जून 2023 की अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में प्रमाणित लेखा–परीक्षणित वित्तीय परिणामों और प्रकटीकरणों पर आधारित हैं।

अन्य वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों का विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया गया है।

2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और ''**अनुलग्नक ''ख'',** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. **(क)** अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।

   2. हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित बही खाते रखे हुए हैं, जैसा कि इन बही खातों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है और कंपनी ने ऐसे बही खातों को दैनिक बैकअप इलेक्ट्रॉनिक मोड में, भारत में वास्तविक रूप से स्थित एक सर्वर में बनाए रखा है, सिवाय कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3बी(एफ) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर।

3. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता और अन्य व्यापक आय के साथ नकदी प्रवाह विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ बही खातों के अनुरुप हैं।

4. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।

5. 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए कोई भी अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2024 तक अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

6. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143(3)(ख) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 3 क (2) और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 2 ख (एफ) में बताए गए हैं।

7. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची v के खंड साथ पठित 197 के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं। एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

8. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संदर्भ में व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, कृपया **अनुलग्नक 'ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।

(ख) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी **(लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में।**

क. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित लिटिगेशन के प्रभाव का प्रकटन अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में किया है – वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं के लिए नोट सं. 29 का संदर्भ लें।

ख. कंपनी के पास डेरिवेटिव संविदा सहित कोई भी दीर्घकालिक संविदा नहीं थी जिसके कारण कोई भी पूर्वानुमानित हानि हुई हो।

ग. ऐसी कोई राशि नही थी जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

घ. (i) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट्स में बताया गया है, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाएँ ("मध्यस्थ") को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के रूप मे) के रूप मे प्रदान नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा कि मध्यस्थः

- कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में, चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश ("अंतिम लाभार्थी") या

- अंतिम लाभार्थियों को उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करें या प्रदान किए जाने की संभावना हो।

(ii) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियां') सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं शामिल हैं,, इस संज्ञान के साथ चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष (''अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर घ (i) एवं (ii) के तहत प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलतबयानी शामिल है।

ङ. कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है;

च. लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बही खातों को कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो कि कंपनी पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। हमारी जांच के आधार पर जिसमें नमूना जांच शामिल थी और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत ऑडिट ट्रेल पर रिपोर्टिंग पर कार्यान्वयन मार्गदर्शिका की आवश्यकताओं के अनुसार, नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर, कंपनी ने अपने बही खातों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है।

(i) कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए किसी भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन को लॉग करने के लिए डेटाबेस स्तर पर ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा सक्षम नहीं की गई थी।

(ii) हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा डेटाबेस स्तर पर सक्षम थी, ताकि किसी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता द्वारा संचालित उन सॉफ्टवेयरों के लिए किसी भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन को लॉग किया जा सके और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता पर नियंत्रण के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की अनुपस्थिति में खरीद आदेशों को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जा सके।

(iii) इसके अलावा, जहां ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा सक्षम थी और पूरे वर्ष संचालित की गई थी, हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

(iv) कंपनी लैमिनार (एमएमडी सॉफ्टवेयर) नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जिसमें डेटा निकाला जाता है और बही खातों में खपत को रिकॉर्ड करने के लिए एसएपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है। यह काम मैनुअल रूप से किया जा रहा है और इन दोनों सॉफ्टवेयर के बीच कोई सीधा इंटरफेस नही है। इसलिए ऑडिट ट्रेल उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक डेटा एसएपी सॉफ्टवेयर मे अपलोड किया जाता है।

कृते बाटलीबॉय एंड पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 101048W

हस्ता./–
सीए रमन हैंगेकर
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं: 030615
यूडीआईएन: 25030615BMOCNZ3297

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 16.01.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक क''

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक क के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं'' पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 1 के संदर्भ में।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर बही खातों तथा सामान्य लेखा–परीक्षण प्रक्रिया में हम कहते हैं किः

(i) (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के परिमाणात्मक विवरण और स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी द्विवार्षिक आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन करती है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2021–22 मे किया गया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष के बाद लेखा परीक्षक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन किया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए कंपनी पर आदेश के खंड 3(i)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(घ) 31 मार्च, 2024 तक बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद में इनवेंटरी का सत्यापन कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ प्रबंधन द्वारा किया गया।

(ख) कुल विसंगतियां मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक थी, हालांकि उन्हें बही खातों में सही प्रकार से निपटान किया गया है। इनवेंटरी में कमी को खपत के तहत दर्ज किया गया है और उस सीमा तक प्रावधान बही खातों में दर्शाया गया है। इसे प्रारंभिक निष्कर्षों और प्रबंधन द्वारा की जाने वाली लंबित जांच के आधार पर बनाया गया है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लंबित होने पर, कमी के लिए चालू वित्त वर्ष में 46.99 मिलियन रुपये (वित्त वर्ष 21–22 के लिए) के मौजूदा प्रावधान के अलावा 170.07 मिलियन रुपये की शुद्ध राशि का प्रावधान किया गया है और उससे उचित तरीके से निपटान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पाई गई कमी के कारण कंपनी को हुई वास्तविक हानि के आकलन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट में हुई कमी के कारण अपेक्षित हानि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से वास्तविक हानि के अनुमोदन के अभाव में वित्तीय विवरणों में अभी भी मौजूद हैं। हमारी जानकारी के अनुसार हमें पिछले सत्यापनों में पहचानी गई कमियों के लिए कंपनी से वास्तविक हानि के आकलन के लिए कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। (नोट संख्या 30 (ख) देखें जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है।)

(ग) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से कोई

कार्यशील पूंजी सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को रक्षित या अरक्षित रूप में कोई निवेश, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, खंड 3(iii)(क) से (छ) के प्रावधान के आदेश, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) ऐसे कोई ऋण, निवेश और गारंटी एवं सुरक्षा नहीं हैं जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(v) कंपनी ने न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियम के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जमा माना जाता है। तदनुसार, खंड 3(v) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

(vii) (क) कंपनी ने आम तौर पर आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस और जीएसटी अधिनियम के तहत टीडीएस को छोड़कर उपयुक्त प्राधिकारी के पास माल और सेवा कर, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, सैस और अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया नियमित रूप से जमा कराया है।

स्रोत पर कर कटौती (आयकर अधिनियम और माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत) नियमित रूप से जमा नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम के तहत, जुलाई से नवंबर 2022 के महीनों के लिए 225.56 मिलियन रुपये और अप्रैल 23 से जुलाई 23 के महीने के लिए 168.82 रुपये की राशि 31 मार्च 2024 तक 6 महीने से अधिक समय से बकाया है, जबकि माल और सेवा कर अधिनियम के मामले में, 2.39 मिलियन रुपये 6 महीने से अधिक समय से बकाया हैं।

ख) उप–खण्ड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया का विवरण, जो किसी विवाद के कारण 31 मार्च, 2024 तक जमा नहीं किया गया है, निम्नानुसार है:

अध्यादेश का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (मिलियन रु. में)	राशि से संबंधित अवधि	फोरम जहां विवाद लम्बित है।
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	22.57	निर्धारण वर्ष 2000–01	आईटीएटी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	28.04	निर्धारण वर्ष 2004–05	आईटीएटी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	766.86	निर्धारण वर्ष 2022–23	सीआईटी–अपील (राष्ट्रीय फेस लैस निर्धारण)

(viii) कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी लेन–देन निष्पादित या प्रकटन नहीं किया है, जो पहले कर निर्धारण में लेखा बहियों में आय के रूप में लेखांकिन न किया गया हो।

(ix) (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक

नहीं की है। हालाँकि, होल्डिंग कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से लिए गए कुल 26,753.98 मिलियन रु. के ऋण के संबंध में, उस पर पुनर्भुगतान की शर्तें और समय–सारिणी निर्धारित नहीं की गई है और तदनुसार हम ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। पुनर्भुगतान की शर्तों और नियमों के लंबित रहने के कारण, इस अग्रिम को अल्पकालिक उधार के रूप में गिना गया है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी द्वारा कोई सावधिक ऋण नहीं लिया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(घ) कंपनी ने अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नहीं किया है। इसलिए, खंड 3 (ix) (घ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ङ) कंपनी ने किसी भी इकाई या व्यक्ति या उसे पूरा करने के लिए इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्व से कोई धन नहीं लिया है इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ङ.) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है। वर्ष के दौरान कंपनी ने राइट इश्यू योजना के तहत 100 रुपये अंकित मूल्य वाले 6,00,00,000 इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू किया है। परिणामस्वरूप, कंपनी की जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर 10,022.50 मिलियन रुपये हो गई है और राइट इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे जुटाया गया था।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान, शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (क) कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के बही खातों और अभिलेखों की जांच के दौरान, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार की गई और व्हिसिलब्लोअर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर हम यह बताना चाहेंगे कि वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले देखे या रिपोर्ट किए गए हैं। चूंकि व्हिसिलब्लोअर द्वारा उजागर किए गए मामले न्यायालय में विचाराधीन और जांच के अधीन हैं, इसलिए वास्तविक धोखाधड़ी और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का पता सतर्कता विभाग द्वारा जांच के पूरा होने पर चलेगा।

(ख) कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के बही खातों और अभिलेखों की जांच के दौरान, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार की गई और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में अधिनियम की धारा 143 (12) के तहत रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ दायर करने की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसिलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वित्तीय विवरणी की तिथि के बाद एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा आंतरिक नियंत्रण के उल्लंघन और आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना के कई महत्वपूर्ण मामलों को उजागर किया गया, जो सतर्कता विभाग द्वारा जांच के अधीन हैं।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiii) संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और ऐसे लेन–देन का ब्यौरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) (क) कंपनी के आकार और प्रकृति के अनुरूप, कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है। लेकिन व्हिसलब्लोअर द्वारा उजागर की गई विभिन्न खामियों के कारण इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) कंपनी ने निदेशकों या निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है तदनुसार, पैराग्राफ 3(xv) के आदेश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क) और (ख) लागू नहीं होते हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं होते हैं।

(ग) समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xvi)(घ) की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।

(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण (मिलियन में)	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
कर पश्चात् निवल लाभ एवं पूर्व अन्य व्यापक आय	(6210.20)	(5665.73)
जोड़: गैर–नकद व्यय		
क) मूल्यह्रास एवं परिशोधन	2729.07	2617.77
ख) विदेशी मुद्रा पर अप्राप्य लाभ/हानि	(138.42)	(285.88)
वर्ष के दौरान नकद हानि	**(3619.55)**	**(3333.84)**

(xviii) वर्ष के दौरान साविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है और तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

(xix) वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अवधि और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और भारत सरकार द्वारा समर्थित प्रबंधन योजनाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलन–पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन–पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा अदा किया जाएगा।

(xx) (क) कंपनी को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए, धारा–135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, तदनुसार आदेश के खंड 3 (xx)(क) और (ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xxi) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते बाटलीबॉय एंड पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 101048W

हस्ता./–
सीए रमन हैंगेकर
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं: 030615
यूडीआईएन: 25030615BMOCNZ3297

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 16.01.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ख''

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरणीयों के लिए एलाइंस एअर एविएशन लि. के सदस्यों को "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खण्ड के तहत" हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में।

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) के दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	वित्तीय स्थिति पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। 1. नोट संख्या 30(ख) के साथ लेखापरीक्षा नोट संख्या 32 के अनुसार सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के परिणामस्वरूप बुक की जाने वाली इनवेंटरी में कमी दर्ज की गई है। मामला जांच के अधीन है। हालांकि, तब तक प्रावधान चालू वर्ष के लिए उस सीमा तक बही खातों में बनाए जा रहे हैं क्योंकि कमी के वास्तविक कारण की जांच लंबित है। जांच के निष्कर्ष पर, उपभोग में अतिरिक्त प्रावधान या प्रावधान को वापस लिखा जा सकता है। 2. हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 33 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने कहा है कि व्हिसलब्लोअर द्वारा की गई शिकायत के अनुसार क्रमँः एसएपी विक्रेता को भुगतान किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को अधिक पारिश्रमिक दिया गया है। दोनों मामलों की सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है। मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को दिया गया अधिक पारिश्रमिक को उनसे वसूला जा सकता है।	कोई नहीं

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) के दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	वित्तीय स्थिति पर प्रभाव
2.	क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन/छूट/ब्याज राइटऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदिएक सरकारी कंपनी ऋणदाता है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर, कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है। जहां तक मूल कंपनी से लिए गए ऋण का सवाल है, मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है या कंपनी की चालू स्थिति में बने रहने में असमर्थता के कारण ऋण/उधार/ब्याज में कोई छूट/बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था नहीं की गई है।	कोई नही
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) प्राप्त धनराशि/प्राप्य की समुचित गणना/इसको निबंधन और शर्तो के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं।	क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) और वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राप्त राशि/प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है, जिसका बही खातों में लेखा–जोखा समुचित रूप से उपयोग किया गया है।	कोई नही

कृते बाटलीबॉय एंड पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 101048W

हस्ता./–
सीए रमन हैंगेकर
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं: 030615
यूडीआईएन: 25030615BMOCNZ3297

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 16.01.2025

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी के यू/एस 143(5) के निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के खातों का ऑडिट किया है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते बाटलीबॉय एंड पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 101048W

हस्ता./–
सीए रमन हैंगेकर
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 030615
यूडीआईएन: 25030615BMOCNZ3297

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 16.01.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड (i) के अनुच्छेद 143 के उप खंड 3 के अधीन आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 के एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (''कम्पनी') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, समतिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन और निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित इंड एएस वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिर्पोटिंग (मार्गदर्शन नोट) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार, जैसा बताया गया है कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू की है दोनों भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंडेंट द्वारा जारी किए गए हैं। हमें नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए हैं तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे।

हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमियां विद्यमान रहने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु इंड एएस वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:–

1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाया गया है।

2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, इंड एएस वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं।

3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।

वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिली भगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

क्वालिफाइड मत का आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा नमूना जाँच के आधार पर किए गए हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा मानना है कि कंपनी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर उचित आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किए गए हैं। परिणामस्वरूप, एक सामग्री की पहचान की गई है जो वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कार्यान्वित किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समग्र प्रभावशीलता में कमी को इंगित करती हैः

क) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा और व्हिसलब्लोअर की शिकायत की समीक्षा ने कंपनी की खरीद–से–भुगतान और मानव संसाधन प्रक्रियाओं में भौतिक कमी की पहचान की है। व्हिसलब्लोअर की शिकायत से पता चला कि जाली दस्तावेजों के आधार पर एक एस.ए.पी विक्रेता को धोखाधड़ी से भुगतान किया गया था, जैसा कि 11.07.2024 की आंतरिक लेखा परीक्षक की सत्यापन रिपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई है। मामले की जाँच के लिए कंपनी द्वारा गठित आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सीईओ और सतर्कता विभाग को सौंप दी है। साथ ही, बोर्ड की मंजूरी के बिना तीन महीने (जनवरी से मार्च 2024) के लिए सीएफओ को 0.21 मिलियन रु. की उच्च पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया गया, जिसमें सतर्कता विभाग द्वारा जाँच लंबित रहने तक वसूली योग्य अतिरिक्त राशि दर्ज की गई। इसके अलावा, शिकायत से यह भी पता चला कि सीएफओ द्वारा कुछ पार्टियों को नामांकन के आधार पर अनुबंध दिए गए थे, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों से भिन्न थे। ये मुद्दे कंपनी की खरीद और पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण नियंत्रण कमियों को उजागर करते हैं।

ख) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा ने इनवेंटरी प्रबंधन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण कमियों को चिन्हित किया है, जिसमें लैमिनार इनवेंटरी सिस्टम और एस.ए.पी अकाउंटिंग सिस्टम के बीच एकीकरण की कमी शामिल है, जिसके कारण मैन्युअल डेटा अपलोड करना जरूरी होता है, जिससे त्रुटियों का जोखिम बढ़ जाता है। लैमिनार में एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण पिछले वर्ष में इनवेंटरी लेनदेन की अधूरी रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें व्यापक सामंजस्य के बिना चालू वर्ष में सुधार किए गए। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022–23 में पिछले रैमको सिस्टम से लैमिनार में संक्रमण की अपर्याप्त निगरानी की गई, जिससे इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन और सामंजस्य में देरी हुई। इसके अलावा, पिछली अवधियों से 46.99 मिलियन रु. की महत्वपूर्ण इनवेंटरी की कमी

और वित्त वर्ष 2023–24 में दर्ज अतिरिक्त 170.07 मिलियन रु. की कमी अभी भी अस्पष्ट है, जिसके मूल कारणों की जांच अभी भी लंबित है। ये कमजोरियाँ इनवेंटरी सटीकता और सामंजस्य प्रक्रियाओं पर कंपनी के नियंत्रण में कमियों को दर्शाती हैं।

व्हिसलब्लोअर शिकायत और इनवेंटरी के संबंध में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जैसा कि हमारी मुख्य रिपोर्ट 'क्वालिफाइड मत के आधार' में पूरी तरह से समझाया गया है, प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी समायोजन के लिए प्रावधान नहीं कर पा रही थी, यदि कोई हो, जिसे किए जाने की आवश्यकता हो सकती है और इसका वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव पड़ सकता है।

'भौतिक कमी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में वास्तविक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

क्वालिफाइड मतः

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, क्वालिफाइड मत के आधार में बताए गए मामलों को छोड़कर, कंपनी को, सभी भौतिक मामलों में, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को मजबूत करने की आवश्यकता है और सतर्कता विभाग द्वारा जांच लंबित होने तक हम यह बताने में सक्षम नहीं हैं कि क्या इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर हैं।

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर चिन्हित और रिपोर्ट की गई भौतिक कमी पर विचार किया है, और भौतिक कमी ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर एक क्वालिफाइड मत जारी किया है।

कृते बाटलीबॉय एंड पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 101048W

हस्ता./–
सीए रमन हैंगेकर
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं: 030615
यूडीआईएन: 25030615BMOCNZ3297

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 16.01.2025

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां
इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट **क्वालिफाइड मतः** हमने, **एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड** ("कम्पनी" या "एएएल") के साथ इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 तक की अवधि का तुलन–पत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण सूचना ("वित्तीय विवरणों") शामिल है। हमारे मत में, और हमें उपलब्ध सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नीचे उल्लिखित हमारे क्वालीफाइड मत के आधार पर, वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") के अनुरूप कम्पनी की वास्तविक स्थिति 31 मार्च, 2024 को दी गई जानकारी तथा समाप्त वर्ष में हानि, इक्विटी और अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह में परिवर्तन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरुप वास्तविक तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं।	
क्वालिफाइड मत का आधारः हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा नमूना जाँच के आधार पर किए गए हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा मानना है कि कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर उचित आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। परिणामस्वरूप, यह वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कार्यान्वित किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समग्र प्रभावशीलता में कमी को दर्शाता है। निम्नलिखित निष्कर्षों के आधार पर क्वालिफाइड मत बनाए गए हैः	

क)	जून 2024 में, तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के खिलाफ कुछ आरोपों के बारे में अध्यक्ष के पास एक व्हिसलब्लोअर शिकायत दर्ज की गई। व्हिसलब्लोअर की शिकायत में जाली दस्तावेजों के आधार पर एसएपी विक्रेता को 4.85 मिलियन रु. की धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान का खुलासा हुआ। आंतरिक लेखा परीक्षक की 11.07.2024 की सत्यापन रिपोर्ट द्वारा इसकी पुष्टि की गई। मामले की जाँच के लिए कार्यालय आदेश संख्या 10.06.2024 के माध्यम से एक आंतरिक समिति का गठन किया गया। समिति ने 15 जुलाई 2024 को अपनी रिपोर्ट सीईओ को और उसके बाद अध्यक्ष के साथ–साथ सतर्कता विभाग को भी सौंपी। यह विक्रेता भुगतान प्रामाणिकता और खरीद प्रक्रियाओं पर कंपनी के नियंत्रण में कमियों को इंगित करता है। इसके अलावा व्हिसलब्लोअर ने यह भी शिकायत की है कि कंपनी ने जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक 3 महीने की अवधि के लिए कंपनी के तत्कालीन सीएफओ को 0.2 मिलियन रुपये का अधिक पारिश्रमिक दिया है। बाद में निदेशक मंडल द्वारा इस अतिरिक्त पारिश्रमिक को मंजूरी नहीं दी गई। तदनुसार, सीएफओ से वसूली योग्य राशि को बही खातों में दिखाया गया है। हमें कंपनी द्वारा सूचित किया गया कि एक आंतरिक समिति ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट सतर्कता विभाग को सौंप दी है जो इस मामले की आगे की जांच कर रहा है। यह कंपनी के मानव संसाधन नियंत्रण और पारिश्रमिक के लिए अनुमोदन प्रक्रियाओं में वास्तविक कमजोरी का संकेत मिलता है।	समुचित प्रकटन नोट सं. 33 (ख) में दिए गए हैं।
ख)	इनवेंटरी के रखरखाव और रिकॉर्डिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में कमी: i. एएएल ने एअर इंडिया के विनिवेश तक इनवेंटरी प्रबंधन के लिए एअर इंडिया के एमएमडी मॉड्यूल (रैमको) का उपयोग किया। एअर इंडिया लिमिटेड से विनिवेश के बाद, एएएल का 18 मई 2022 से अपने इनवेंटरी सिस्टम लैमिनार में स्थानांतरित हो गया। 31 मार्च 2022 तक रैमको से इनवेंटरी बैलेंस को लैमिनार में स्थानांतरित कर दिया गया। 2022–23 (सितंबर 2022 तक) की खरीद और खपत प्रविष्टियों को एएएल के एसएपी सिस्टम से जोड़ा गया क्योंकि रैमको एवं एसएपी के बीच सीधा इंटरफेस था।	समुचित प्रकटन नोट सं. 30 (ख) में दिए गए हैं।

ii.	इनवेंटरी को पहले भारित औसत के आधार पर प्रबंधित किया जाता था, लेकिन 2023–24 से इसे फीफो में बदल दिया गया है, जो कि पोस्ट–फैक्टो आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन है। एमएमडी सिस्टम (लैमिनार) में तकनीकी गड़बड़ी के कारण सिस्टम स्पेयर के यूएसडी मूल्य के आर.ओ.ई (विनिमय दर) को सहसंबंधित नहीं कर सका, जिसके कारण लैमिनार सिस्टम में वास्तविक भारतीय रुपए में आंकड़े नहीं दर्शाए जा सके। सटीक भारतीय रुपए में आंकड़ों को दर्शाने के लिए एस.ए.पी में समायोजन किया गया है, जिससे 2023–24 में वित्तीय विवरणों पर 10.00 मिलियन रु. का प्रभाव पड़ेगा।	समुचित प्रकटन नोट सं. 30 (ख) में दिए गए हैं।
iii.	एएएल ने लैमिनार सिस्टम रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए 31 मार्च 2024 तक इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन किया। वास्तविक स्टॉक में विसंगतियों के कारण वित्त वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरणों में 170.07 मिलियन रुपये का प्रावधान किया गया। 170.07 मिलियन रुपये की कमी की पहचान की गई, जिसके कारण कारणों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। कंपनी ने समिति के निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त करने की योजना बनाई है, और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद रिपोर्ट के आधार पर वित्त वर्ष 2024–25 में आवश्यक लेखांकन कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2021–22 के दौरान बनाई गई इनवेंटरी में कमी के लिए एक मौजूदा प्रावधान था जिसे कंपनी द्वारा वास्तविक हानि के आकलन के अधीन बनाया गया था। वर्ष 2021–22 के दौरान पाई गई कमी के कारण कंपनी को हुई वास्तविक हानि के आकलन में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी से वास्तविक हानि के अनुमोदन के अभाव में वास्तविक सत्यापन में रिपोर्ट की गई कमी के कारण अपेक्षित हानि का प्रावधान अभी भी वित्तीय विवरणों में मौजूद है।	समुचित प्रकटन नोट सं. 30 (ख) में दिए गए हैं। एक समिति गठित की गई है और इनवेंटरी सत्यापन रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024–25 में लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत की जाएगी।
iv.	एएएल ने लैमिनार में स्थापना के बाद से खरीदी गई सभी इनवेंटरी को प्लॉट किया है और वास्तविक आर.ओ.ई पर विचार करने के बाद, महीनेवार खरीद और खपत का पता लगाया है, जिसका शुद्ध प्रभाव वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित 10.00 मिलियन रुपये है जिसे वित्त वर्ष 2023–24 में खरीद के रूप में दर्ज किया गया है। चूंकि यह राशि कंपनी की लेखा नीति के अनुसार वास्तविकता की सीमा के भीतर है, इसलिए पिछले वर्ष के खातों को फिर से नहीं बताया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान एस.ए.पी. और लैमिनार के बीच कोई इंटरफेस नहीं था जिसे अभी भी लागू किया जाना बाकी है।	यह कथन सही है।

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखाकंन मानकों के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की **''वित्तीय विवरणियों के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों''** में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं व इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां हमने पूरी कर दी हैं। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा प्रदान किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे मत के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त है। तथापि, हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों तथा किए गए परीक्षण जांचों के आधार पर, वित्तीय विवरणों पर अनिर्धारित गलतबयानी के संभावित प्रभाव, यदि कोई हों, तो भौतिक हो सकते हैं, लेकिन व्यापक नहीं होंगे।	
<u>मामले का महत्व</u> 1. हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 41 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने के बारे में बताती है। कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में 5,665.73 मिलियन रुपये की शुद्ध हानि हुई है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष में 6,210.20 मिलियन रुपये की हानि को जारी रखा है, और कंपनी का शुद्ध मूल्य वर्ष के अंत की तारीख तक पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिससे कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण अनिश्चितता पैदा हो रही है। हालांकि, कंपनी को चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी होल्डिंग कंपनी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से 6000 मिलियन रु. की इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता मिली है। यह सहायता, नोट में विस्तृत अन्य कारकों के साथ मिलकर, चालू व्यवसाय धारणा के बारे में अनिश्चितता को कम करती है। इसलिए, वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा निर्धारित चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।	समुचित प्रकटन नोट सं. 41 में दिए गए हैं।
2. हम नोट 33(क) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने कहा है कि ''23 अप्रैल 2024 को शॉर्ट सर्किट के कारण एएएएल के कैमो कार्यालय में आग लग गई। परिसर लीज़ पर था और वर्क स्टेशन के रूप में अस्थायी संरचना एअर इंडिया से विरासत में मिली थी। आग से कंप्यूटर सिस्टम वाली परिसंपत्ति नष्ट हो गई, जिसकी बुक वैल्यू लगभग 0.07 मिलियन रुपये है। इसके लिए आवश्यक लेखाकंन वित्त वर्ष 2024–25 में प्रभावित होगा।''	समुचित प्रकटन नोट सं. 33 (क) में दिए गए हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।	
इंड एएस वित्तीय विवरण से इतर अन्य सूचना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट कंपनी का प्रबंध मंडल एवं निदेशक मंडल, अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट की सूचना शामिल है लेकिन इसमें इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य जानकारी शामिल है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं। इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाएं जब उपलब्ध हो जाए तो, उनका पठन करें और ऐसा करते समय ध्यान दें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी सूचना या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, और हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर शासन–विधि को इस संबंध में सूचित करना होगा और संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत उचित कार्रवाई करनी होगी। हमें लेखा परीक्षा के आधार पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी को सूचित करना होगा।	
इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं निदेशक मंडल की जिम्मेदारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) सहित कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी, कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के संदर्भ में, कम्पनी के निदेशक मंडल की है।	

जिम्मेदारी में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमिताएं व धोखाधड़ी की जांच व रोकथाम हेतु अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखा रिकार्ड के समुचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करना, यथोचित व विवेकपूर्ण निर्णय व आकलन करना शामिल है तथा लेखा रिकार्डों की सटीकता व पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रभावी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, तैयार व लागू करना, जो ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में संगत हो, जो वास्तविक व स्पष्ट स्थिति दर्शाए व धोखाधड़ी व गलती के कारण होने वाली किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो। इंड एएस वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी रखने की कम्पनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा लागू हो। गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले तथा लेखांकन हेतु गोइंग कंसर्न आधार का प्रयोग प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जब तक कि प्रबंधन कम्पनी को या तो लिक्विटेड करने या प्रचालन बंद करने की मंशा रखता हो और प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प मौजूद ना हो। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।	
इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणीयां समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और हमारा मत शामिल करते हुए लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर के आश्वासन हैं, लेकिन यह इस बात की गारंटी नही दे सकते कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा, सदैव, मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगी। धोखाधड़ी और त्रुटि से गलतबयानी हो सकती है और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है यदि वे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें। एसएएस के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम भी: 1. वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी को पहचानें और आकलन करें और इन जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन व निष्पादित करें, और हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं करने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती करना, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।	

2.	लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या इस प्रकार के नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।	
3.	उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।	
4.	प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर कि गोइंग कंसर्न के रूप में कम्पनी के जारी रहने में सार्थक संदेह उत्पन्न करने वाली घटनाएं या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, तो उस स्थिति में हमें अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, यदि इस प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने मत को संशोधित करना। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे निष्कर्ष, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं तथापि भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं या परिस्थितियों के कारण कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकेगी।	
5.	प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और पता लगाना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुति करते हुए दर्शाते हैं। भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं: (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; तथा (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करना। अन्य मामलों में हम, लेखा परीक्षा को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हुए, जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात होती है, शासन से संपर्क करते हैं।	

हम शासन को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने संबंधी विवरणी उपलब्ध करवाते हैं और हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले सभी संबंधों व अन्य मामलों के संबंध में यथा लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें सूचित करते हैं।	
अन्य मामले: 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की पूर्व अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पूर्ववर्ती सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया और उन्होंने 14 जून 2023 की अपरिवर्तित राय के साथ अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। तदनुसार, इन वित्तीय विवरणों में शामिल 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि से संबंधित आंकड़े और प्रकटीकरण, पूर्ववर्ती सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा 14 जून 2023 की अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में प्रमाणित लेखा–परीक्षणित वित्तीय परिणामों और प्रकटीकरणों पर आधारित हैं।	
अन्य वैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट 1. कम्पनी अधिनियम 2013 की उपधारा (11) एवं धारा 143 के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 (आदेश) की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में लागू सीमा तक उल्लिखित मामलों का विवरण **अनुलग्नक "क"** में दिया गया है।	
2. कम्पनी के रिकार्ड और बहियों की इस जांच के आधार पर जो हमें उचित लगे और "**अनुलग्नक "ख",** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उपनिर्देशों में हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।	
3. **(क)** अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि: 1. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।	
2. हमारे मतानुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित बही खाते रखे हुए हैं, जैसा कि इन बही खातों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है और कंपनी ने ऐसे बही खातों को दैनिक बैकअप इलेक्ट्रॉनिक मोड में, भारत में वास्तविक रूप से स्थित एक सर्वर में बनाए रखा है, सिवाय कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3बी(एफ) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर।	

3. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ–हानि खाता और अन्य व्यापक आय के साथ नकदी प्रवाह विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट के साथ बही खातों के अनुरुप हैं।	
4. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।	
5. 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड किए गए कोई भी अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2024 तक अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।	
6. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143(3)(ख) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 3क(2) और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 2ख(एफ) में बताए गए हैं।	
7. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची v के खंड साथ पठित 197 के प्रावधान, जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं। एमसीए अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	
8. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संदर्भ में व इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावोत्पादकता के संबंध में, कृपया **अनुलग्नक 'ग'** में हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।	
(ख) हमारे मतानुसार व हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना व दिए गए स्पष्टीकरणों के संबंध में कम्पनी **(लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में।** क. कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित लिटिगेशन के प्रभाव का प्रकटन अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में किया है – वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं के लिए नोट सं. 29 का संदर्भ लें।	
ख. कंपनी के पास डेरिवेटिव संविदा सहित कोई भी दीर्घकालिक संविदा नहीं थी जिसके कारण कोई भी पूर्वानुमानित हानि हुई हो।	

ग.	ऐसी कोई राशि नही थी जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन व प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।	
घ.	(i) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट्स में बताया गया है, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाएँ ("मध्यस्थ") को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के रूप में) के रूप में प्रदान नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा कि मध्यस्थः • कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में, चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश ("अंतिम लाभार्थी") या • अंतिम लाभार्थियों को उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति प्रदान करें या प्रदान किए जाने की संभावना हो।	
	(ii) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियां') सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं शामिल हैं,, इस संज्ञान के साथ चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।	
	(iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर घ (i) एवं (ii) के तहत प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलतबयानी शामिल है।	
ड.	कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है;	

च.	लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बही खातों को कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो कि कंपनी पर 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। हमारी जांच के आधार पर जिसमें नमूना जांच शामिल थी और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत ऑडिट ट्रेल पर रिपोर्टिंग पर कार्यान्वियन मार्गदर्शिका की आवश्यकताओं के अनुसार, नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर, कंपनी ने अपने बही खातों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है।	
	(i) कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए किसी भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन को लॉग करने के लिए डेटाबेस स्तर पर ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा सक्षम नहीं की गई थी।	
	(ii) हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा डेटाबेस स्तर पर सक्षम थी, ताकि किसी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता द्वारा संचालित उन सॉफ्टवेयरों के लिए किसी भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन को लॉग किया जा सके और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता पर नियंत्रण के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की अनुपस्थिति में खरीद आदेशों को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जा सके।	
	(iii) इसके अलावा, जहां ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा सक्षम थी और पूरे वर्ष संचालित की गई थी, हमें अपनी लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।	
	(iv) कंपनी लैमिनार (एमएमडी सॉफ्टवेयर) नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जिसमें डेटा निकाला जाता है और बही खातों में खपत को रिकॉर्ड करने के लिए एसएपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है। यह काम मैनुअल रूप से किया जा रहा है और इन दोनों सॉफ्टवेयर के बीच कोई सीधा इंटरफेस नहीं है। इसलिए ऑडिट ट्रेल उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक डेटा एसएपी सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है।	

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''क'' पर प्रबंधन के उत्तर

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक–क के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं'' पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

लेखा परीक्षा अवलोकन	**प्रबंध मण्डल की टिप्पणियां**
हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर बही खातों तथा सामान्य लेखा–परीक्षण प्रक्रिया में हम कहते हैं किः	
(i) (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के परिमाणात्मक विवरण और स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकार्ड बनाए रखे हैं।	यह कथन सही है।
(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।	यह कथन सही है।
(ख) कंपनी द्विवार्षिक आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन करती है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2021–22 में किया गया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष के बाद लेखा परीक्षक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन किया है।	समुचित प्रकटन नोट सं. 30 (क) में दिए गए हैं।
(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए कंपनी पर आदेश के खंड 3(i)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(घ) 31 मार्च, 2024 तक बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।	यह कथन सही है।
(ii) (क) इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद में इनवेंटरी का सत्यापन कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ प्रबंधन द्वारा किया गया।	यह कथन सही है।

	(ख) कुल विसंगतियां मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक थी, हालांकि उन्हें बही खातों में सही प्रकार से निपटान किया गया है। इनवेंटरी में कमी को खपत के तहत दर्ज किया गया है और उस सीमा तक प्रावधान बही खातों में दर्शाया गया है। इसे प्रारंभिक निष्कर्षों और प्रबंधन द्वारा की जाने वाली लंबित जांच के आधार पर बनाया गया है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लंबित होने पर, कमी के लिए चालू वित्त वर्ष में 46.99 मिलियन रुपये (वित्त वर्ष 2021–22 के लिए) के मौजूदा प्रावधान के अलावा 170.07 मिलियन रुपये की शुद्ध राशि का प्रावधान किया गया है और उससे उचित तरीके से निपटान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पाई गई कमी के कारण कंपनी को हुई वास्तविक हानि के आकलन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट में हुई कमी के कारण अपेक्षित हानि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी से वास्तविक हानि के अनुमोदन के अभाव में वित्तीय विवरणों में अभी भी मौजूद हैं। हमारी जानकारी के अनुसार हमें पिछले सत्यापनों में पहचानी गई कमियों के लिए कंपनी से वास्तविक हानि के आकलन के लिए कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। (नोट संख्या 30 (ख) देखें जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है।)	समुचित प्रकटन नोट सं. 30 (ख) में दिए गए हैं। एक समिति गठित की गई है और इनवेंटरी सत्यापन रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024–25 में लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत की जाएगी।
	(ग) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से कोई कार्यशील पूंजी सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(iii)	कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को रक्षित या अरक्षित रूप में कोई निवेश, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, खंड 3(iii)(क) से (छ) के प्रावधान के आदेश, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(iv)	ऐसे कोई ऋण, निवेश और गारंटी एवं सुरक्षा नहीं हैं जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(v)	कंपनी ने न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियम के अंतर्गत कंपनी ने जनता से कोई भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे जमा माना जाता है। तदनुसार, खंड 3(v) आदेश के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(vi)	केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।	यह कथन सही है।

(vii)	(क) कंपनी ने आम तौर पर आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस और जीएसटी अधिनियम के तहत टीडीएस को छोड़कर उपयुक्त प्राधिकारी के पास माल और सेवा कर, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, सैस और अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया नियमित रूप से जमा कराया है। स्रोत पर कर कटौती (आयकर अधिनियम और माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत) नियमित रूप से जमा नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम के तहत, जुलाई से नवंबर 2022 के महीनों के लिए 225.56 मिलियन रुपये और अप्रैल 23 से जुलाई 23 के महीने के लिए 168.82 रुपये की राशि 31 मार्च 2024 तक 6 महीने से अधिक समय से बकाया है, जबकि माल और सेवा कर अधिनियम के मामले में, 2.39 मिलियन रुपये 6 महीने से अधिक समय से बकाया हैं।	यह कथन सही है।
	ख) उप–खण्ड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया का विवरण, जो किसी विवाद के कारण 31 मार्च, 2024 तक जमा नहीं किया गया है, निम्नानुसार है:	यह कथन सही है।

अध्यादेश का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (मिलियन रु. में)	राशि से संबंधित अवधि	फोरम जहां विवाद लम्बित है।
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	22.57	निर्धारण वर्ष 2000–01	आईटीएटी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	28.04	निर्धारण वर्ष 2004–05	आईटीएटी, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	766.86	निर्धारण वर्ष 2022–23	सीआईटी–अपील (राष्ट्रीय फेस लैस निर्धारण)

(viii)	कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी लेन–देन निष्पादित या प्रकटन नहीं किया है, जो पहले कर निर्धारण में लेखा बहियों में आय के रूप में लेखांकिन न किया गया हो।	यह कथन सही है।
(ix)	(क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। हालाँकि, होल्डिंग कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से लिए गए कुल 26,753.98 मिलियन रु. के ऋण के संबंध में, उस पर पुनर्भुगतान की शर्तें और समय–सारिणी निर्धारित नहीं की गई है और तदनुसार हम ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। पुनर्भुगतान की शर्तों और नियमों के लंबित रहने के कारण, इस अग्रिम को अल्पकालिक उधार के रूप में गिना गया है।	यह कथन सही है।
	(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।	यह कथन सही है।

	(ग)	कंपनी द्वारा कोई सावधिक ऋण नहीं लिया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
	(घ)	कंपनी ने अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नही किया है। इसलिए, खंड 3 (ix) (घ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
	(ङ)	कंपनी ने किसी भी इकाई या व्यक्ति या उसे पूरा करने के लिए इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्व से कोई धन नहीं लिया है इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ङ.) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
	(च)	कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम या संबद्ध कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।	यह कथन सही है।
(x)	(क)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है। वर्ष के दौरान कंपनी ने राइट इश्यू योजना के तहत 100 रुपये अंकित मूल्य वाले 6,00,00,000 इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू किया है। परिणामस्वरूप, कंपनी की जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर 10,022.50 मिलियन रुपये हो गई है और राइट इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे जुटाया गया था।	यह कथन सही है।
	(ख)	कंपनी ने वर्ष के दौरान, शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।	यह कथन सही है।
(xi)	(क)	कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के बही खातों और अभिलेखों की जांच के दौरान, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार की गई और व्हिसिलब्लोअर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर हम यह बताना चाहेंगे कि वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले देखे या रिपोर्ट किए गए हैं। चूंकि व्हिसिलब्लोअर द्वारा उजागर किए गए मामले न्यायालय में विचाराधीन और जांच के अधीन हैं, इसलिए वास्तविक धोखाधड़ी और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का पता सतर्कता विभाग द्वारा जांच के पूरा होने पर चलेगा।	यह कथन सही है।
	(ख)	कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के बही खातों और अभिलेखों की जांच के दौरान, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार की गई और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में अधिनियम की धारा 143 (12) के तहत रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ दायर करने की आवश्यकता नहीं थी।	

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसिलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वित्तीय विवरणी की तिथि के बाद एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा आंतरिक नियंत्रण के उल्लंघन और आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना के कई महत्वपूर्ण मामलों को उजागर किया गया, जो सतर्कता विभाग द्वारा जांच के अधीन है।	यह कथन सही है। समुचित प्रकटन नोट सं. 33 (ख) में दिए गए हैं।
(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(xiii) संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहा लागू हो और ऐसे लेन–देन का ब्यौरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।	यह कथन सही है। समुचित प्रकटन नोट सं. 36 में दिए गए हैं।
(xiv) (क) कंपनी के आकार और प्रकृति के अनुरूप, कंपनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है। लेकिन व्हिसलब्लोअर द्वारा उजागर की गई विभिन्न खामियों के कारण इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।	यह कथन सही है।
(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।	
(xv) कंपनी ने निदेशकों या निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है तदनुसार, पैराग्राफ 3(xv) के आदेश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क) और (ख) लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(ग) समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xvi)(घ) की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।	यह कथन सही है।
(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:	यह कथन सही है।

विवरण (मिलियन मे)	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
कर पश्चात् निवल लाभ एवं पूर्व अन्य व्यापक आय	(6210.20)	(5665.73)
क) जोड़: गैर–नकद व्यय		
ख) मूल्यह्रास एवं परिशोधन	2729.07	2617.77
विदेशी मुद्रा पर अप्राप्य लाभ/हानि	(138.42)	(285.88)
वर्ष के दौरान नकद हानि	**(3619.55)**	**(3333.84)**

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है और तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।	यह कथन सही है।
(xix) वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अवधि और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और भारत सरकार द्वारा समर्थित प्रबंधन योजनाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलन–पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन–पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा अदा किया जाएगा।	यह कथन सही है। कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी है, कंपनी को अपना प्रचालन जारी रखने के लिए भारत सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त है, जिसके लिए एलाइंस एअर को वित्त मंत्रालय ने पहले ही 600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
(xx) (क) कंपनी को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए, धारा–135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, तदनुसार आदेश के खंड 3 (xx)(क) और (ख) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
(xxi) कंपनी को समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xxi) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ख'' पर प्रबंधन के उत्तर

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरणीयों के लिए एलाइंस एअर एविएशन लि. के सदस्यों को ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खण्ड के तहत'' हमारी समतिथि की रिपोर्ट के पैरा 2 के संदर्भ में।

क्र. सं.	कम्पनी अधिनियम 2013 के 143 (5) दिशा निर्देश	निर्देशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	वित्तीय स्थिति पर प्रभाव	प्रबंधन के उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ–साथ खातों की संपूर्णता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का प्रभाव। यदि कोई हो, तो बताएं।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली यानी एसएपी (डाटा प्रोसेसिंग में सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद) के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। 1. नोट संख्या 30(ख) के साथ लेखापरीक्षा नोट संख्या 32 के अनुसार सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के परिणामस्वरूप बुक की जाने वाली इनवेंटरी में कमी दर्ज की गई है। मामला जांच के अधीन है। हालांकि, तब तक प्रावधान चालू वर्ष के लिए उस सीमा तक बही खातों में बनाए जा रहे हैं क्योंकि कमी के वास्तविक कारण की जांच लंबित है। जांच के निष्कर्ष पर, उपभोग में अतिरिक्त प्रावधान या प्रावधान को वापस लिखा जा सकता है। 2. हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 33 (ख) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी ने कहा है कि व्हिसलब्लोअर द्वारा की गई शिकायत के अनुसार क्रमशः एसएपी विक्रेता को भुगतान किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को अधिक पारिश्रमिक दिया गया है। दोनों मामलों की सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है। मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को दिया गया अधिक पारिश्रमिक को उनसे वसूला जा सकता है।	कोई नहीं	यह कथन सही है।

2.	क्या ऋण के भुगतान में असमर्थता के कारण लेंडर द्वारा क्या वर्तमान ऋण मामलों का कोई पुनर्गठन/छूट/ब्याज राइटऑफ करना/ऋण/ब्याज इत्यादि का कोई मामला है। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि एक सरकारी कंपनी ऋणदाता है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)	मूल कंपनी द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता को छोड़कर, कंपनी किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण नहीं ले रही है। जहां तक मूल कंपनी से लिए गए ऋण का सवाल है, मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है या कंपनी की चालू स्थिति में बने रहने में असमर्थता के कारण ऋण/उधार/ब्याज में कोई छूट/बट्टे खाते में डालने की व्यवस्था नहीं की गई है।	कोई नहीं	यह कथन सही है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए (अनुदान/सब्सिडी इत्यादि) प्राप्त धनराशि/प्राप्य की समुचित गणना/इसको निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया है? विचलन मामलों की सूची बनाएं।	क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) और वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत प्राप्त राशि/प्राप्य को छोड़कर, इस वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है, जिसका बही खातों में लेखा–जोखा समुचित रूप से उपयोग किया गया है।	कोई नहीं	यह कथन सही है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ''ग'' पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षा अवलोकन	प्रबंधन की टिप्पणियां
कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड (i) के अनुच्छेद 143 के उप खंड 3 के अधीन आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च, 2024 के एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (''कम्पनी'') के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा, समतिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ की है।	
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन और निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व कंपनी का प्रबंधन, मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित इंड एएस वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।	यह कथन सही है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिपोटिंग (मार्गदर्शन नोट) तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार, जैसा बताया गया है कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू की है दोनों भारत के इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकांउडेंट द्वारा जारी किए गए हैं। हमें नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन व लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करने की आवश्यकता है ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रखे गए हैं तथा क्या सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से ये नियंत्रण प्रभावी रुप से कार्य करते रहे। हमारी लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग उसकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं।वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमियां विद्यमान रहने व जोखिम का आंकलन और जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और उनका मूल्यांकन करना है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत बयान से जोखिम के आकलन सहित, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं। हमारा विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।	
वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग व सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु इंड एएस वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता हेतु उचित आश्वासन उपलब्ध करने हेतु डिजाइन की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां व प्रक्रियाएं शामिल हैं जो–:	

1. रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरणानुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और प्रबंधन को सही और उचित रुप से दर्शाया गया है। 2. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, इंड एएस वित्तीय विवरणी तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार लेन–देन के उचित रिकार्ड हेतु आश्वासन प्रदान करना और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत किए जाने के अनुसार ही किए जाते हैं। 3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जिसका कम्पनी की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या रोकथाम या समय पर पता लगने संबंधी उचित आश्वासन देना।	यह कथन सही है। यह कथन सही है। यह कथन सही है।
<u>वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं</u> आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिली भगत या नियंत्रण पर प्रबंधन को अनुचित प्रत्यादिष्ट करने की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है, जिसकी पहचान नहीं हो पाती है। साथ ही भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन होते हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।	
क्वालिफाइड मत का आधार हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा नमूना जॉच के आधार पर किए गए हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा मानना है कि कंपनी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर उचित आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किए गए हैं। परिणामस्वरूप, एक सामग्री की पहचान की गई है जो वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कार्यान्वित किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समग्र प्रभावशीलता में कमी को इंगित करती है:	

क)	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा और व्हिसलब्लोअर की शिकायत की समीक्षा ने कंपनी की खरीद–से–भुगतान और मानव संसाधन प्रक्रियाओं में भौतिक कमी की पहचान की है। व्हिसलब्लोअर की शिकायत से पता चला कि जाली दस्तावेजों के आधार पर एक एस.ए.पी विक्रेता को धोखाधड़ी से भुगतान किया गया था, जैसा कि 11.07.2024 की आंतरिक लेखा परीक्षक की सत्यापन रिपोर्ट द्वारा पुष्टि की गई है। मामले की जाँच के लिए कंपनी द्वारा गठित आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सीईओ और सतर्कता विभाग को सौंप दी है। साथ ही, बोर्ड की मंजूरी के बिना तीन महीने (जनवरी से मार्च 2024) के लिए सीएफओ को 0.21 मिलियन रु. की उच्च पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया गया, जिसमें सतर्कता विभाग द्वारा जाँच लंबित रहने तक वसूली योग्य अतिरिक्त राशि दर्ज की गई। इसके अलावा, शिकायत से यह भी पता चला कि सीएफओ द्वारा कुछ पार्टियों को नामांकन के आधार पर अनुबंध दिए गए थे, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों से भिन्न थे। ये मुद्दे कंपनी की खरीद और पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण नियंत्रण कमियों को उजागर करते हैं।	समुचित प्रकटन नोट सं. 33 (ख) में दिए गए हैं।
ख)	वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा ने इनवेंटरी प्रबंधन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण कमियों को चिन्हित किया है, जिसमें लैमिनार इनवेंटरी सिस्टम और एस.ए.पी अकाउंटिंग सिस्टम के बीच एकीकरण की कमी शामिल है, जिसके कारण मैन्युअल डेटा अपलोड करना जरूरी होता हैं, जिससे त्रुटियों का जोखिम बढ़ जाता है। लैमिनार में एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण पिछले वर्ष में इनवेंटरी लेनदेन की अधूरी रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें व्यापक सामंजस्य के बिना चालू वर्ष में सुधार किए गए। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022–23 में पिछले रैमको सिस्टम से लैमिनार में संक्रमण की अपर्याप्त निगरानी की गई, जिससे इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन और सामंजस्य में देरी हुई। इसके अलावा, पिछली अवधियों से 46.99 मिलियन रु. की महत्वपूर्ण इनवेंटरी की कमी और वित्त वर्ष 2023–24 में दर्ज अतिरिक्त 170.07 मिलियन रु. की कमी अभी भी अस्पष्ट है, जिसके मूल कारणों की जांच अभी भी लंबित है। ये कमजोरियाँ इनवेंटरी सटीकता और सामंजस्य प्रक्रियाओं पर कंपनी के नियंत्रण में कमियों को दर्शाती हैं।	समुचित प्रकटन नोट सं. 30 (ख) में दिए गए हैं। एक समिति गठित की गई है और इनवेंटरी सत्यापन रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024–25 में लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत की जाएगी।

व्हिसलब्लोअर शिकायत और इनवेंटरी के संबंध में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जैसा कि हमारी मुख्य रिपोर्ट 'क्वालिफाइड मत के आधार' में पूरी तरह से समझाया गया है, प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रहा था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी समायोजन के लिए प्रावधान नहीं कर पा रही थी, यदि कोई हो, जिसे किए जाने की आवश्यकता हो सकती है और इसका वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव पड़ सकता है। 'भौतिक कमी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में वास्तविक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।	
क्वालिफाइड मतः हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, क्वालिफाइड मत के आधार में बताए गए मामलों को छोड़कर, कंपनी को, सभी भौतिक मामलों में, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को मजबूत करने की आवश्यकता है और सतर्कता विभाग द्वारा जांच लंबित होने तक हम यह बताने में सक्षम नहीं हैं कि क्या इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर हैं। हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर चिन्हित और रिपोर्ट की गई भौतिक कमी पर विचार किया है, और भौतिक कमी ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने वित्तीय विवरणों पर एक क्वालिफाइड मत जारी किया है।	

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2024 को (मिलियन रुपये में)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रुपये में)
परिसम्पत्तियां			
गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
1 क) संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	2(क)	326.53	365.86
ख) राइट ऑफ यूज परिसम्पत्तियां	2(ख)	17,788.78	20,171.06
ग) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	2(ग)	65.34	82.00
घ) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
i) व्यापार प्राप्य		-	-
ii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	3	1,077.75	1,038.80
ङ) आयकर परिसम्पत्तियां (निवल)	4	482.44	612.79
च) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)		-	-
छ) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	5	7,148.59	6,105.19
2 चालू परिसम्पत्तियां			
क) इन्वेंटरी	6	181.36	341.43
ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां		-	-
i) व्यापार प्राप्य	7	516.34	1,007.45
ii) नकद और नकद समकक्ष	8	227.86	149.54
iii) बैंक शेष उपरोक्त (ii) के अलावा	9	987.24	801.31
iv) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	10	71.52	76.32
ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	11	471.88	506.28
कुल परिसम्पत्तियां		29,345.63	31,258.02
इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	10,022.50	4,022.50
ख) अन्य इक्विटी	13	(46,861.31)	(40,665.74)
2 देयताएं			
(i) गैर चालू देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार		-	-
ia) लीज देयताएं	14	18,210.44	21,383.58
ii) व्यापार देयताएं			
क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		-	
ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय		-	
iii) अन्य वित्तीय देयताएं			
ख) प्रावधान	15	775.80	793.90
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		-	-
घ) अन्य गैर चालू देयताएं		-	-
(ii) चालू देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
i) उधार	16	26,753.98	24,558.28
ia) लीज देयताएं	17	3,494.71	3,252.68
ii) व्यापार देयताएं	18		-
क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय		-	-
ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय		15,923.18	16,445.69
iii) अन्य वित्तीय देयताएं	19	150.42	415.11
ख) प्रावधान	20	20.59	5.21
ग) अन्य चालू देयताएं	21	855.32	1,046.81
कुल इक्विटी एवं देयताएं		29,345.63	31,258.02

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।
कृते बाटलीबॉय एवं पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 101048W

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएन– 08096220

हस्ता/–
बृजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएन 09835338

हस्ता/–
रमन हैंगेकर
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं: 030615
यूडीआईएन: 25030615BMOCN23297

हस्ता/–
रामबाबू सी
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन– एजीवीपीसी 9371पी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं: एसीएस 49386

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16–01–2025

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरणी

	विवरण	नोट सं.	अप्रैल, 23 से मार्च, 24 तक की अवधि की राशि (मिलियन रुपये में)	अप्रैल, 22 से मार्च, 23 तक की अवधि की राशि (मिलियन रुपये में)
I.	राजस्व			
1	प्रचालन से	22		
	i) अनुसूचित यातायात सेवाएं		6,037.72	6,541.43
	ii) गैर अनुसूचित यातायात सेवाएं		3,331.57	3,759.07
	iii) अन्य प्रचालन राजस्व		178.37	683.68
2	अन्य आय	23	77.87	65.41
II	कुल राजस्व (1+2)		**9,625.53**	**11,049.59**
III	व्यय			
	विमान ईंधन एवं तेल		2,811.30	3,681.34
	अन्य प्रचालन व्यय	24	4,649.72	3,742.54
	स्टॉक इन ट्रेड की खरीद		-	-
	तैयार माल की इनवेंटरी में, कार्य प्रगति पर और स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन		-	-
	कर्मचारी लाभ व्यय	25	1,525.12	1,525.39
	वित्तीय लागत	26	3,809.10	4,988.07
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2(क से ग)	2,729.07	2,617.77
	अन्य व्यय	27	311.42	160.21
IV	कुल व्यय		**15,835.73**	**16,715.32**
V	असाधारण मदों पूर्व लाभ/(हानि) और कर **(II-IV)**		**(6,210.20)**	**(5,665.73)**
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	कर से पूर्व लाभ/(हानि) **(V-VI)**		**(6,210.20)**	**(5,665.73)**
VIII	कर व्यय:			
1	चालू कर			
2	पूर्व वर्ष में आयकर			
3	आस्थगित कर			
IX	वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ/(हानि) **(VII-VIII)**		**(6,210.20)**	**(5,665.73)**
X	अन्य व्यापक आय			
	क. मदें जिन्हें लाभ एवं हानि विवरणी में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन		**14.63**	**8.01**
	– आयकर संबंधी मदों की लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
XI	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (अवधि के लिए लाभ/(हानि)) और अन्य व्यापक आय शामिल है।		**(6,195.58)**	**(5,657.72)**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय (रु. में)	28		
	(1) मूल		(93.14)	(140.85)
	(2) डायल्यूटिड		(93.14)	(140.85)

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार हैं। एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते बाटलीबॉय एवं पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 101048W

हस्ता/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएन– 08086220

हस्ता/–
बजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएन: 09835338

हस्ता/–
रमन हैंगेकर
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं.: 030615
यूडीआईएन: 25030615BMOCN23297

हस्ता/–
रामबाबू सी.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन– एजीबीपीसी 9371पी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16–01–2025

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

क) इक्विटी शेयर पूंजी

(मिलियन रु. में)

01.04.2024 को शेष	पूर्वावधि शेयर में त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2024 को पुनः घोषित शेष	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2024 को शेष
10,022.50	-	10,022.50	-	10,022.50

01.04.2023 को शेष	पूर्वावधि शेयर में त्रुटि के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2023 को पुनः घोषित शेष	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 को शेष
4,022,50	-	4,022,50	-	4,022,50

ख) (1.) अन्य इक्विटी (चालू वर्ष)

(मिलियन रु. में)

विवरण	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2023 को शेष	(40,682.63)	16.89	(40,665.74)
वर्ष के लिए लाभ/हानि	(6,210.20)	-	(6,210.20)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	14.63	14.63
कुल व्यापक आय	**(46,892.83)**	**31.52**	**(46,861.31)**
31.03.2024 को शेष	**(46,892.83)**	**31.52**	**(46,861.31)**

ख) (2.) अन्य इक्विटी (पूर्व वर्ष)

(मिलियन रु. में)

विवरण	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
01.04.2022 को शेष	(35,016.89)	8.88	(35,008.02)
वर्ष के लिए लाभ/हानि	(5,665.73)	-	(5,665.73)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	8.01	8.01
कुल व्यापक आय	**(40,682.62)**	**16.89**	**(40,665.74)**
31.03.2023 को शेष	**(40,682.62)**	**16.89**	**(40,665.74)**

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।
कृते बाटलीबॉय एवं पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 101048W

हस्ता/–
रमन हैंगेकर
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं: 030615
यूडीआईएन: 25030615BMOCN23297

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16–01–2025

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएन– 08086220

हस्ता/–
बृजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएन: 09835338

हस्ता/–
रामबाबू सी.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन– एजीवीपीसी 9371पी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49388

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

विवरण	(मिलियन रु. में)		(मिलियन रु. में)	
	2023–2024		2022–2023	
(क) प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
लाभ–हानि विवरणी के अनुसार कर से पूर्व निवल लाभ और हानि		**(6,210.20)**		**(5,665.73)**
जमा/(घटा) – गैर प्रचालन के लिए समायोजन व्यय/आय और गैर नकद मदें				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2,729.07		2,617.77	
प्रावधान/गैर दावा देयताएं–रिटन बैक	-		(20.19)	
इंड एएस 116 के अनुसार ब्याज वित्तीय लागत व लीज़ पर विनिमय अंतर	551.01		2,173.46	
ब्याज और वित्तीय लागत	73.75		12.92	
जमा पर ब्याज आय	(57.67)		(45.22)	
आयकर के लिए प्रावधान	-		-	
अप्राप्य विदेशी मुद्रा लाभ एवं हानि	(138.42)		(285.88)	
बट्टे खाते वसूली	-		-	
परिसम्पत्ति के निपटान पर हानि/लाभ	0.73		-	
आयकर प्रतिदेय पर ब्याज	(20.20)		-	
हिस्से पूर्जो के अप्रचलन के लिए प्रावधान	(66.63)		66.47	
		3,071.64		**4,519.33**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)		**(3,138.56)**		**(1,146.40)**
प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन				
अन्य बैंक शेष	(185.93)		66.59	
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	(1,043.39)		(1,670.25)	
इनवेंटरी	226.70		(123.22)	
व्यापार प्राप्य	491.11		(202.32)	
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	4.80		32.58	
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां गैर चालू	(38.95)		(191.15)	
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	34.39		(245.34)	
		(511.27)		**(2,333.11)**
प्रचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन				
व्यापार देय	(384.08)		5,648.79	
अन्य चालू देयताएं	(191.50)		714.44	
लघु अवधि ऋण	2,195.70		650.50	
लघु अवधि प्रावधान	15.38		0.87	
अन्य वित्तीय देयताएं	(264.69)		(130.72)	
दीर्घावधि प्रावधान	(20.17)		14.90	
		1,350.64		**6,898.78**
प्रचालन से प्राप्त नकद		(2,299.20)		**3,419.26**
घटाकरः टीडीएस सहित/(रिफंडेड) अदा किया गया आयकर		130.35		(225.07)
प्रचालन गतिविधियों (क) से निवल नकद		(2,168.85)		**3,194.20**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
क) स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	(1.52)		(260.64)	
ख) आरओयू परिसम्पत्तियों में वृद्धि	(290.00)			
ग) जमा पर ब्याज आय	57.67		45.22	

विवरण	(मिलियन रु. में)		(मिलियन रु. में)	
	2023–2024		2022–2023	
घ) स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री	-		-	-
निवेश गतिविधियों (ख) से/(प्रयुक्त) में निवल नकद		**(233.85)**		**(215.42)**
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
क) शेयरों के राइट इश्य से प्राप्त आय/प्राप्ति	6,000.00			
ख) लीज़ भुगतान	(3,465.43)		(2,961.35)	
ग) ब्याज भुगतान	(73.75)		**(12.92)**	**(2,974.27)**
घ) ब्याज भुगतान	20.20			
वित्तीय गतिविधियों (ग) से/(प्रयुक्त) में निवल नकद		**2,481.02**		-
(घ) नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(हानि) (क+ख+ग)		**78.33**		**4.51**
(ङ) वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष		**149.54**		**145.04**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष (घ+ङ)		**227.86**		**149.55**

नोटः उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी "नकदी प्रवाह विवरणी" पर इंडएएस–7 के अनुरुप "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत तैयार की गई है।

जहां आवश्यक है, पिछले वर्ष के आकड़े पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किए गए हैं।

विवरण	मिलियन रु. में 2023–2024	मिलियन रु. में 2022–2023
नकद और नकद समकक्ष		
बैंक में शेष		
चालू खाते में	227.82	149.53
हाथ में रोकड़	0.04	0.02
अंत शेष	**227.86**	**149.55**

नोटः उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी "नकदी प्रवाह विवरणी" पर इंड एएस–7 के अनुरुप "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत तैयार की गई है।

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।
कृते बाटलीबॉय एवं पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 101048W

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएन– 08086220

हस्ता/–
बृजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएनः 09836338

हस्ता/–
रमन हैंगेकर
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं: 030615
यूडीआईएनः 25030615BMOCN23297

हस्ता/–
रामबाबू सी.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन– एजीवीपीसी 9371पी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं: एसीएस 49386

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16–01–2025

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के इंड एएस वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में लेखांकन नीतियां

नोट सं. 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

इस नोट में, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की सूची दी गई है। यह नीतियां प्रस्तुत सभी वर्षों में निरन्तर लागू की गई है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, लेखों के सभी आकड़े रुपए (मिलियन) में हैं।

1. **कंपनी सूचना/ओवरव्यू**

पृष्ठभूमिः

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) कंपनी अधिनियम, 1956 अब पूर्व कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत भारत सरकार की कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है। कम्पनी वायु परिवहन के व्यवसाय में है जिसमें मुख्य रूप से यात्री और कार्गो सेवाएं और अन्य संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं। कंपनी मुख्य रूप से भारत में टायर–2 और टायर–3 शहरों के बीच प्रचालन करती हैं। वर्ष के अंत में, कंपनी के विमान बेड़े में, 21 विमान जिसमें 18 एटीआर 72–600, दो एटीआर–42 विमान और एक डोर्नियर विमान है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एलाइंस भवन, अंतरदेशीय टर्मिनल–1, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली –110037 पर स्थित है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय विवरणियों को कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिनांक 16 जनवरी, 2025 को जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

2. **वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार**

(i) अनुपालन संबंधी कथन

वित्तीय विवरणों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II (समय–समय पर यथासंशोधित) की प्रस्तुति आवश्यकताओं, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणियां गोइंग कर्सन आधार पर लेखांकन की अक्रूअल प्रणाली आधार पर तैयार की जाती हैं।

कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय विवरणियों को दिनांक 16 जनवरी, 2025 को जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

(ii) मापन के आधार

निम्नलिखित परिसंपत्तियों तथा देयताओं को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य पर आंका गया है, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत रीतियों के तहत तैयार किए गए हैं :

- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय प्रलेखों के संबंध में लेखांकन नीति देखें)।
- कर्मचारी लाभ दायित्व (लेखाकंन नीति के संदर्भ में नोट 36 का संदर्भ लें)।

ऐतिहासिक लागत भुगतान हेतु नकद या नकद समकक्ष राशि या उनके अधिग्रहण के समय परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए दी गई राशि का उचित मूल्य या दायित्व के बदले में प्राप्त आय की राशि, या अपेक्षित नकद या नकद समकक्ष की वह मात्रा है, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में दायित्व को पूरा करने के लिए

भुगतान की जाएगी। उचित मूल्य वह है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या बाजार सहभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में देनदारी हस्तांतरित करने हेतु माप तिथि पर भुगतान की जाएगी।

(iii) हाल की घोषणाएं

निगमित कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एमसीए ने लागू कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2015 में संशोधन किया है:

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

नीचे दी गई लेखांकन नीतियां, इन वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई सभी अवधियों पर समान रूप से लागू की गई हैं।

I. प्रचालन चक्र तथा चालू व गैर चालू वर्गीकरण

चालू –गैर चालू वर्गीकरण

वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं का प्रस्तुतीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उपलब्ध चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर किया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों व देयताओं को गैर चालू परिसंपत्तियों व देयताओं में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन चक्र

कंपनी सेवा क्षेत्र में है, कंपनी का कोई विशेष प्रचालन चक्र नहीं है तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को ''प्रचालन साइकल'' के रूप में अपनाया गया है।

II. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

क. प्रारंभिक पहचान व मापन

क) संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के मूल्य को परिसंपत्ति के रुप में मान्य किया जाता है, यदि

(i) संभावना है कि, भविष्य में मद से संबंधित आर्थिक लागत ईकाई को प्राप्त हो, व

(ii) मद की लागत विश्वसनीय रुप से मापी जा सके।

ख) परिसंपत्ति के रुप में मान्यता हेतु योग्य होने के लिए संपत्ति, संयंत्र, संरचना व उपकरण की मद को लागत पर मापना होगा।

संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की मद की लागत में निम्न शामिल हैं:

(i) व्यापार छूट व रिबेट घटाने के बाद, आयात शुल्क व गैर–धन वापसी योग्य क्रय कर सहित, उसका क्रय मूल्यय

(ii) परिसंपत्ति के अधिग्रहण व उसे लोकेशन तक लाने में लगी अनुषंगिक लागत व प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत प्रकार के प्रचालन करने में आवश्यक रुप से सक्षम होना और जहां लागू हो, लिए गए ऋण पर ब्याज, व इसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु संबंधित परिसंपत्ति को कार्य करने लायक स्थिति तक लाने की तिथि तक।

ग) यदि किसी संपत्ति, संयत्र व उपकरण की मदों के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी अवधि भिन्न–भिन्न है, तो उनकी गणना अलग संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के अलग घटक के रुप में की जाती है।

ख. आगामी मान्यता व मापन

आगामी लागत, परिसंपत्ति की कैरिंग राशि में शामिल होती है या अलग परिसंपत्ति के रुप में मान्य

की जाती है, जैसा समुचित हो, जब इस बात की संभावना हो कि भविष्य में व्यय से संबंधित आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे व मद की लागत का मापन विश्वसनीय रुप से किया जा सके। अन्य सभी मरम्मत व अनुरक्षण को खर्च किए जाने के समय लाभ व हानि विवरणियों में दर्शाया जाता है।

कम्पनी द्वारा इंड एएस 16 ''संपत्ति, संयत्र व उपकरण'' के अनुसार कॉस्ट मॉडल अपनाया गया है व संपत्ति, संयत्र व उपकरण का मापन लागत आधार पर, संचित मूल्यह्रास व संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है।

ग. मूल्यह्रास/परिशोधन

क) मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II (अन्यथा उल्लेख होने की स्थितियों को छोड़कर) में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिसंपत्ति, संयत्र तथा उपकरण के उपयोगी अवधि के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि से मूल्यह्रास निर्धारित किया जाता है। प्रबंध वर्ग द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में परिसंपत्ति, संयत्र तथा उपकरण के उपयोगी अवधि की समीक्षा की जाती है।

ख) किसी संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण के अवधि के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में प्रावधान नहीं किया गया है, तो मूल लागत के 5% मूल्य को शेष रखते हुए उनका निर्धारण तकनीकी रूप से क्वालीफाइड व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा उसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उनका विवरण निम्नानुसार है:

1. **रोटेबल्सः**

   विमानों के विमान रोटेबल्स को खरीद के संगत वर्ष से, संबंधित विमान बेड़े के, औसतन शेष उपयोगी अवधि के आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

2. **स्थल सहायता उपस्कर (जीएसई)**

   लीज़ पर लिए गए एटीआर विमानों के स्थल सहायता उपकरणों (जीएसई) पर मूल्यह्रास, का प्रावधान, प्रयोग की तिथि से, कुल विमान लीज़ माह की तुलना में, विमान द्वारा पूर्ण किए गए लीज़ माह पर आधारित होती है।

ग) इंजन तथा एयरफ्रेम से संबंधित प्रमुख अनुसूची ओवरहॉल लागतों को अलग घटक के रूप में दर्शाया जाता है तथा प्रमुख ओवरहॉल के बीच प्रत्याशित अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

घ) आधुनिकीकरण/परिवर्तन पर प्रमुख संशोधनों/साज–सज्जा पर, लगाई गई लागत को उपयोगी अवधि पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

च) अवधि के दौरान खरीदी गई/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रोराटा आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास को निम्न उपयोगी अवधि आधार पर प्रमारित किया गया है:

परिसंपत्तियों का विवरण	**उपयोगी अवधि**
संयत्र व उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर व फिक्चर	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
डाटा प्रोसिंग उपकरण	3 वर्ष
स्थल सहायता उपकरण (एटीआर)	उपरोक्त पॉलिसी II ग ख (2.) के अनुसार

परिसंपत्तियों का विवरण	उपयोगी अवधि
चिकित्सा उपकरण	15 वर्ष
एयरफ्रेम रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित
एयरो इंजन रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित

घ. **अमान्यकरण**

संपत्ति, संयत्र व उपकरण की कोई मद व प्रारंभ में मान्य किसी महत्वपूर्ण भाग को निपटान के समय या उसके उपयोग या निपटान से, भविष्य में कोई आर्थिक लाभ न होने की स्थिति में– अमान्य किया जाता है। संपत्ति, संयत्र या उपकरण के (संपत्ति, संयत्र व उपकरण के निवल निपटान प्राप्तियों/व फेयर वेल्यू व संपत्ति, संयत्र व उपकरण की कैरिंग राशि के अंतर पर गणना की जाती है) को अमान्य किए जाने से होने वाले लाभ या हानि को, संपत्ति व उपकरण के अमान्य किए जाने पर लाभ व हानि विवरणी में शामिल किया जाता है। भिन्न घटक के रूप में गणना किए गए घटक की कैरिंग राशि को बदलने या संपत्ति, संयत्र व उपकरण, जिससे घटक संबंधित है, के अमान्य होने पर अमान्य किया जाता है।

ड. **परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन**

परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन क्रमिक आधार पर किया जाता है ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन दो वर्ष में किया जा सके। प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, पाई गई विसंगतियों, यदि कोई हो तो, का रिकॉर्ड के साथ मिलान किया जाता है और तदनुसार, यदि कोई लेखा कार्रवाई हो, तो बहीखातों में की जाती है।

III. **विक्रय के लिए अभिनिर्धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां**

परिसंपत्तियों को विक्रय के लिए अभिनिर्धारित श्रेणी में तब रखा जाता है जब उनके निरंतर उपयोग के बजाय उनकी वर्तमान स्थिति में उनका विक्रय करने से प्रमुख रूप से उनका मूल्य बढ़ने की बहुत अधिक संभावना रहती है। ऐसी परिसंपत्तियों का निवल बही मूल्य, स्थिर परिसंपत्तियों से ''विक्रय के लिए अभिनिर्धारित'' परिसंपत्तियों में अंतरित कर दिया जाता है तथा इनका निवल मूल्य इनके स्वीकृत मूल्य या उचित मूल्य में से विक्रय की लागत घटाकर अंकित किया जाता है। परिसम्पतियों के विक्रय के लिए अभिनिर्धारण श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने पर, मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता।

क्षति हानि को, परिसंपत्ति की किसी आरंभिक या तदंतर विक्रय कीमत घटाकर उचित मूल्य पर, राइट–डाउन हेतु मान्य किया जाता है। लाभ को उचित मूल्य में, परिसंपत्ति के विक्रय की कीमत घटाकर, परंतु पूर्व में मान्य किए गए किसी संचित क्षति हानि से अधिक नहीं, किसी पूर्ववर्ती वृद्धि हेतु मान्य किया जाता है।

IV. **अमूर्त परिसंपत्तियां**

क. **आरंभिक मान्यता व मापन**

अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण व उन्हें मान्य तभी किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि भविष्य में परिसंपत्ति से संबंधित अपेक्षित आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हों और परिसंपत्ति की कीमत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके।

अमूर्त परिसंपत्तियां अर्जन लागत पर रिकार्ड की जाती हैं जिसमें अर्जन तथा स्थापना से संबंधित आनुषंगिक लागत सम्मिलित होती हैं।

अमूर्त परिसंपत्ति की कीमत में उसका क्रय मूल्य, आयात शुल्क व गैर धन वापसी क्रय कर सहित, व्यापार छूट व रिबेट घटाकर व परिसंपत्ति के अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसे तैयार करने में हुए सीधे व्यय, शामिल हैं।

कंपनी द्वारा अर्जित की गई अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनकी सीमित उपयोगी अवधि होती है, को लागत पर मान्यता दी जाती है। बाद की माप लागत कम संचित परिशोधन और संचित हानियों पर की जाती है।

ख. आगामी लागत व मापन

आगामी लागत को पूंजीकृत किया जाता है जब वह भविष्य में विशिष्ट परिसंपत्ति जिससे वह संबंधित है, के आर्थिक लाभ में वृद्धि करे। अमूर्त परिसंपत्तियों पर अन्य सभी व्ययों को लाभ व हानि विवरणी में, व्यय करने के समय, मान्य किया जाता है।

ग. परिशोधन

जिन अमूर्त परिसंपत्तियों की निर्धारित उपयोगी अवधि है, अनुबंध अवधि के अनुसार कानूनी अधिकार की अवधि में स्ट्रैट लाइन विधि पर परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और निर्धारित उपयोगी अवधि के साथ अमूर्त संपत्ति के परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और जहां भी आवश्यक हो, संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

इंड–एएस 38 के पैराग्राफ 107 के अनुसार अनंत उपयोगी अवधि वाली एक अमूर्त संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, हालांकि, प्रबंधन द्वारा समय–समय पर क्षति के लिए इन परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो तो क्षति की जाती है।

निश्चित उपयोगी अवधि वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की रेजीड्यूल वेल्यू को शून्य माना जाता है।

निश्चित उपयोगी अवधि के साथ अमूर्त संपत्ति का मूल्यांकन वार्षिक वसूली के लिए किया जाता है और जब भी कोई संकेत मिलता है कि उनकी अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक वहन राशि को एक क्षति के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ. अमान्यकरण

अमूर्त परिसंपत्तियों को अमान्य किया जाए:

क) निपटान पर; या

ख) जब उसके प्रयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हों।

अमूर्त परिसंपत्तियों को अमान्य करने से हुए लाभ या हानि को अमूर्त परिसंपत्ति की निवल निपटान प्राप्ति व कैरिंग राशि के अन्तर के रूप में मापा जाता है व परिसंपत्ति के अमान्य होने पर लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

V. लीज़

कंपनी द्वारा लीज़ देयताओं की गणना हेतु निम्नलिखित व्यावहारिक उपाय लागू किए गए। समान परिसंपत्तियों के समान आर्थिक वातावरण में, अंतिम तिथि को समान परिस्थितियों में, लीज़ के पोर्टफोलियो के लिए एकल औसत छूट दर का प्रयोग।

क. लीज़कर्ता के रूप में:

कंपनी अनुबंध के प्रारंभ में ही निर्धारण करती है कि क्या अनुबंध में कोई लीज़ है। अनुबंध या अनुबंध में लीज़ सम्मिलित होती है, यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले कुछ समय तक पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रण का अधिकार सौंपा जाता है। अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग पर नियंत्रण के अधिकार का पता लगाने के लिए, कंपनी निर्धारित करती है कि क्या:

- अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है; और
- लीज़ अवधि के दौरान परिसंपति के उपयोग से वस्तुतः सभी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और;
- कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग पर निर्देश देने का अधिकार है।

1) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

क) प्रारंभिक मान्यता व मापनः

प्रारंभिक तिथि को, परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (आरओयू परिसंपत्तिया) का मापन, लागत पर किया जाता है। लागत में निम्न शामिल हैं –

क) लीज़ देयता के बराबर राशि

ख) प्रारंभिक तिथि से पहले किया गया लीज़ भुगतान

ग) कोई सीधी लागत

घ) रि–डिलीवरी कर्तव्यों के संबंध में किए जाने वाले व्यय की लागत का अनुमान

ङ.) घटाकर, लीज़ की शर्तों में उपकरण उत्पादक से प्राप्त कोई प्रोत्साहन

ख) प्रारंभिक मान्यता प्राप्त आरओयू परिसंपत्तियों का अनुवर्ती मापन

प्रारंभिक तिथि के पश्चात आरओयू परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयत्र व उपकरण हेतु लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाता है यानि आरओयू को लागत, संचित मूल्यह्रास व संचित क्षति हानि घटाकर, लागत पर मापा जाता है।

लीज़ संशोधनों के कारण लीज़ देयताओं में किसी पुनः मापन प्रभाव को दर्शाने हेतु आरओयू परिसंपत्तियों को तद्नुसार समायोजित किया जाता है।

खड्ड सं. VII में उल्लेखित नीति के अनुसार आरओयू परिसंपत्तियों की क्षति अधीन होगी।

ग) बाद की पहचान और उसके बाद की लागतों का मापन

बाद की लागतों को आरओयू परिसंपत्तियों की राशि में शामिल किया गया है या उचित रूप में अलग परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है, केवल जब यह संभव हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को घटना के समय लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है।

2) लीज़ देयताएंः

क) प्रारंभिक मान्यता व मापन

आरंभिक तिथि को कंपनी लीज़ भुगतान, जो उस तिथि तक अदा नहीं किए गए को, वर्तमान मूल्य पर मापती है। लीज़ देयताओं में निम्न सम्मिलित हैं –

क) लीज़ किराए

ख) लीज़ समाप्ति हेतु पैनल्टी का भुगतान यदि लीज़ टर्म में, कंपनी द्वारा समाप्ति के विकल्प का उपयोग प्रकट।

ग) घटाकर, प्राप्त प्रोत्साहन

लीज़ भुगतान को लीज़ में शामिल ब्याज दर यदि तत्परता से प्रयोग कर निर्धारित किया जा सके का उपयोग कर डिस्कांउट किया जाता है। यदि वह दर तत्परता से निर्धारित नहीं की जा सके तो कंपनी द्वारा इन्क्रीमेंटल उधार दर का प्रयोग किया जाता है।

इन्क्रीमेंटल उधार दर वह ब्याज दर है जो कंपनी द्वारा समान अवधि, समान सुरक्षा पर, समान आर्थिक वातावरण में आरओयू परिसंपत्तियों को समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए निधि उधार लेने के लिए अदा की जाएगी।

ख) **आगामी मापन**

प्रारंभिक तिथि के पश्चात्, लीज़ देयता की राशि में ब्याज की संवृद्धि दर्शाने हेतु वृद्धि कर दी जाती है व भुगतान की गई लीज़ पर घटा दी जाती है। साथ ही, लीज़ में कोई संशोधन होने की स्थिति में, जिसमें लीज़ अवधि, लीज़ भुगतान शामिल हैं या आधारभूत परिसंपत्ति की खरीद के विकल्प का निर्धारण होने पर लीज़ देयताओं की कैरिंग राशि का पुनः मापन किया जाता है।

3. **लीज़ अवधि**

प्रारंभिक तिथि को कंपनी लीज़ अवधि का निर्धारण करती है जिसमें, आरंभिक लीज़ की गैर–रद्द किए जाने योग्य अवधि, जिनके लिए परिसंपत्ति का उपयोग किया जाना अपेक्षित है, लीज़ को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प सहित कवर की जाने वाली अवधि, यदि कंपनी यथोचित रूप से प्रारंभिक तिथि को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए आश्वस्त हो, शामिल हैं।

4. **मूल्यह्रास**

आरओयू के रूप में रखी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को स्ट्रेट लाइन आधार पर आरओयू परिसंपत्तियों की आरंभिक तिथि से लेकर उपयोगी जीवन के अंत में शीघ्रातिशीघ्र या लीज़ अवधि की समाप्ति पर, लाभ व हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।

5. **अन्य लीज़**

इंड एएस 116 की परिधि से बाहर अन्य किसी लीज़ से संबंधित लीज़ भुगतान लघु अवधि लीज़ (12 माह या उससे कम अवधि की लीज़) या न्यून मूल्य लीज। इन लघु अवधि या न्यून मूल्य लीज़ हेतु कंपनी लीज़ की शर्तों पर, लीज़ भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में मान्य करती है।

6. **रि–डिलीवरी के लिए प्रावधान**

कंपनी के बेड़े में विमान लीज़ पर हैं। लीज़ के अनुबंधों के तहत अनुबंधित रूप से सहमति के अनुसार, निर्धारित अनुबंध वापसी शर्तों के तहत, लीज़ की अवधि की समाप्ति पर विमानों को लीज़कर्ताओं को फिर से रि–डिलीवर किया जाना है। लीज़ के आरंभ के समय, रि–डिलीवरी दायित्वों को प्रबंधन द्वारा, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और डेटा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और अपेक्षित आउटफ्लो के वर्तमान मूल्य पर उपयोग संपत्ति के अधिकार के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव वास्तविक होता है और इसे देनदारियों के तहत रि–डिलीवरी के प्रावधान में क्रेडिट किया जाता है।

7) **निर्माता क्रेडिट (नकद एवं गैर नकद इंसैंटिव)**

निर्माता क्रेडिट का अर्थ है किसी भी रिबेट, छूट, प्रोत्साहन भुगतान और अन्य क्रेडिट के रूप में नकद इंसैंटिव और गैर–नकद–आधारित इंसैंटिव जो ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) द्वारा प्रदान किए जाते हैं और बाद में लैसर द्वारा लीज़ समझौते के समय ग्राहक को दिए जाते हैं।

नकद इंसैंटिवः

कंपनी लीज़ के तहत विमान के अधिग्रहण के संबंध में ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) या लीज़कर्ता

से प्रोत्साहन प्राप्त करती है। इन इंसैंटिवों को संबंधित विमान या विमान घटकों के लीज़ के प्रारंभ में, उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति की वहन राशि में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है।

<u>गैर–नकद इंसैंटिवः</u>

गैर–नकद इंसैंटिवों को कंपनी को देय होने के समय, आस्थगित संपत्ति और संबंधित आस्थगित इंसैंटिव आरंभ कर दर्ज किया जाता है। इन इंसैंटिवों को स्वामित्व वाले विमानों के मामले में संबंधित विमान और विमान घटकों की लागत में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है। लीज़ के तहत रखे गए विमानों के मामले में, प्रोत्साहन को संबंधित विमान या लीज़ पर लिए गए विमान घटकों के लीज़ के प्रारंभ में संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार की वहन राशि में कमी के रूप में दर्ज किया जाता है।

VI. इनवेंटरियां:

क. इनवेंटरी

1) इनवेंटरी में मुख्य रूप से भंडार एवं पूर्जे तथा खुले उपकरण (संपत्ति, संपदा तथा उपकरण के मानदंडों को पूरा करने के अतिरिक्त) आते हैं।

2) विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कलपूर्जों को प्रारंभिक जारी करने के समय पर प्रभारित किया जाता है। इसमें वे कलपूर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो मरम्मत योग्य कलपूर्जों की मरम्मत के लिए होते हैं और जिन्हें रिपेयर वर्क के पूरा हो जाने के बाद वर्क आर्डर समाप्त हो जाने पर प्रभारित किया जाता है।

ख. इनवेंटरी का मूल्यांकन

1) इनवेंटरी में मुख्य रूप से भंडार, कलपूर्जे और खुले उपकरण शामिल हैं। इसका मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है।

विमान इनवेंटरी के संबंध में अपनाई जाने वाली उद्योग पद्धति के अनुसार, मूल्यांकन उद्योग विशेष के लिए होता है और इनवेंटरी स्वामित्व प्रकृति की होती है तथा यह खुले बाजार में उपलब्ध नहीं होती है।

खुले बाजार में इनवेंटरी की अनुपलब्धता के कारण, वर्ष के अंत में लागत ही इनवेंटरी का मूल्य बन जाती है तथा विवेकपूर्ण अवधारणा का पालन करने तथा इनवेंटरी का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी अप्रचलन के लिए प्रावधान करती है।

2) इनवेंटरी की लागत में गैर वापसी रियायत तथा छूट को घटाकर आने वाली लागत तथा इनवेंटरी को वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लगने वाली सभी लागत सम्मिलित है तथा इसका निर्धारण भारित औसत आधार (फीफो) पर किया जाता है।

3) वर्ष के अंत में, फ्रेट ड्यूटी और बीमा को वर्ष के दौरान इनवेंटरी की खपत की तुलना में क्लोजिंग इनवेंटरी के अनुपात के आधार पर व्यय किया जाता है। विमान के पूर्जों पर भुगतान किए गए अनाबंटित कस्टम ड्यूटी को इनवेंटरी की लागत के साथ जोड़ा जाता है।

ग. इनवेंटरी के मूल्य में कमी

1) विमान भंडार और हिस्से–पूर्जो के लिए अप्रचलन की व्यवस्था निम्नानुसार है:–

i. नीचे दिए गए (ii) एवं (iii) को छोड़कर पांच वर्ष से अधिक समय के लिए (5 प्रतिशत की वसूली योग्य की राशि के बराबर) अचल रहने वाली इनवेंटरी हेतु प्रावधान किया जाता

है तथा इसको इनवेंटरी के मूल्य से हटा दिया जाता है।

ii. फेज़ आउट किए गए विमान बेड़े की इनवेंटरी को अनुमानित विक्रय मूल्य पर दर्शाया जाता है जब तक कि उसका उपयोग किसी अन्य विमान में न किया जा सके।

iii. विशेष रूप से ड्राई/वेट लीज़ पर लिए गए विमानों से संबंधित इनवेंटरीज का प्रावधान, वर्ष के अंत में कुल लीज़ अवधि की तुलना में पूरी की गई लीज़ अवधि के आधार पर किया जाता है।

2) गैर–वैमानिकी भंडार और हिस्से–पूर्जों की पांच वर्षों से अधिक समय तक अचल रहने वाली इनवेंटरी के लिए पूर्ण अप्रचलन प्रावधान किए जाते हैं।

3) स्क्रैप किए गए विमानों के कैनिब्लाइजेशन से प्राप्त पूर्जों को एक रूपए मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

VII. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी द्वारा गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की क्षति के संकेत होने का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार का कोई संकेत होने की स्थिति में परिसंपत्ति की ''वसूली योग्य राशि'' का अनुमान लगाकर इंड एएस–36 के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

क्षति परीक्षण

क्षति परीक्षण हेतु परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में रखा जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकद इनफ्लो उत्पन्न करते हैं, जो अन्य परिसंपत्तियों के नकद इनफ्लो से या नकद उत्पन्न करने वाले यूनिट (सीजीयू) से व्यापक रुप से स्वतंत्र हैं।

किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि, उसके प्रयोग मूल्य से अधिक व उसके उचित मूल्य से विक्रय कीमत घटाकर प्रयोग मूल्य भविष्य के अनुमानित नकद इनफ्लो, छूट, दर का प्रयोग कर वर्तमान मूल्य पर डिस्काउंटिड, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति या सीजीयू से संबंधित विशेष जोखिम को दर्शाता है, पर आधारित है।

क्षति हानि की पहचान

क्षति हानि को इस स्थिति में मान्य किया जाता है जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की कैरिंग राशि उसके अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो। क्षति हानि का लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

क्षति हानि का निरसन

अनुमानित प्रयोग में परिवर्तन होने पर वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने हेतु क्षति हानि का निरसन होता है। इस प्रकार के निरसन उसी सीमा तक किए जाते हैं जिस सीमा तक परिसंपत्ति की कैरिंग राशि निर्धारित कैरिंग राशि से मूल्यह्रास या परिशोधन का निवल से अधिक न हो, यदि कोई क्षति हानि मान्य नहीं की गई है।

किसी परिसंपत्ति हेतु किसी क्षति हानि के निरसन को तुरत लाभ व हानि विवरणी में मान्य किया जाए।

VIII. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान को अनुदान प्राप्त होने के तथा सभी संलग्न शर्तों के अनुपालन के युक्तिसंगत आश्वासन के पश्चात मान्य किया जाता है।

सरकारी अनुदान को लाभ एवं हानि के रूप में उस अवधि में जिसमें कंपनी द्वारा संगत लागतों को व्यय के

रूप में मान्य किया जाता है व जिसकी क्षतिपूर्ति अनुदान द्वारा की जाती है व व्यवस्थित आधार पर मान्य किया जाना चाहिए।

सरकारी अनुदान, जो व्यय या पिछली अवधि में हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्य होता है उसकी उस अवधि को लाभ व हानि में मान्य किया जाता है जिसमें वह प्राप्य होता है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को तुलन पत्र में आस्थगित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा उसकी पहचान संबंधित परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगी अवधि में व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि में की जाती है।

IX. राजस्व निर्धारण

क. प्रचालन से राजस्व

राजस्व को उस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त हो और राजस्व का मापन विश्वसनीय रूप से हो सके।

इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत वस्तुओं या सेवाओं के अधिकार को ग्राहक को सौंपे जाने पर, राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है। राजस्व का मापन छूट को छोड़कर इन्सेन्टिव, थर्ड पार्टी की ओर से एकत्रित राशि या अन्य समान मदों, जो ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध में निर्दिष्ट की गई हैं, प्राप्त या प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

ख. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्य किया जाता है।

क) यात्री, कार्गो तथा डाक राजस्व

यात्री, कार्गो व डाक राजस्व को प्रारंभिक चरण में जब यातायात सेवा, यात्रा किए जाने के आधार पर उपलब्ध करवाई जाती है, यात्री को दी गई छूट, थर्ड पार्टी की और से एकत्रित राशि, लागू कर व एयरपोर्ट कर जैसे यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि यदि कोई हो, मान्य किया जाता है।

ख) ब्लॉक्ड स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर

ब्लॉक्ड स्पेस व्यवस्था/कोड शेयर राजस्व/व्यय को वास्तविक आधार पर कोड शेयर भागीदारों से प्राप्त अपलिफ्ट डेटा के आधार पर मान्य किया जाता है। जहाँ भी कोड शेयर भागीदारों से विवरण उपलब्ध नहीं हैं, राजस्व/व्यय को दस्तावेजों/प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बुक किया जाता है तथा समायोजनों को, यदि कोई हो, इस प्रकार की सूचना की उपलब्धता के समय किया जाता है।

ग) वाइबिलिटी गेप फंडिंग (वी.जी.एफ.) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (आर.सी.एस.)

वाइबिलिटी गेप फंडिंग (वी.जी.एफ.) व क्षेत्रीय संपर्क योजना (आर.सी.एस.) की गणना प्रोद्भूत आधार पर राजस्व व प्रचालन लागत के अंतर के आधार पर की जाती है व इसे प्रचालन आय माना जाता है।

घ) अन्य प्रचालन राजस्व

वस्तुएं डिलीवर करने या सेवाएं प्रदान करने पर ही अन्य प्रचालन राजस्व को मान्य किया जाता है।

ङ.) अन्य राजस्वः

i) ब्याज से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज प्रणाली का उपयोग

करते हुए मान्य किया जाता है। किराए से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर मान्य किया जाता है।

ii) बीमा कंपनियों से प्राप्य दावों को बीमा कंपनियों द्वारा उनकी स्वीकृति पर ही लेखों में दर्ज किया जाता है।

iii) वैंडरों से प्राप्त वारंटी दावे/क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट के दावों/प्राप्ति की स्वीकृति पर मान्य किया जाता है।

iv) अन्य मदें:

स्क्रैप विक्रय, चिकित्सा, शैक्षिक तथा अन्य बिना अवैतनिक अवकाश का उपयोग करने हेतु कर्मचारी से प्रतिपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं से ब्याज के दावों, अन्य स्टाफ दावों तथा लॉस्ट बैगेज दावों की गणना नकद आधार पर की जाती है।

X. ऋण लागत

- परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में चालू पूंजीगत कार्य सहित, अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई ऋण लागत को परिसंपत्तियों के व्यावसायिक प्रयोग के अपने इच्छित उपयोग या बिक्री की तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है।
- क्वालिफाईग परिसंपत्ति वह है जो अपेक्षित प्रयोग हेतु तैयार होने में पर्याप्त समय आवश्यक रूप से लेती है।
- 10.00 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य की अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए उपयोग की गई ऋण की निधियों अथवा दीर्घकालिक ऋणों की प्राप्ति के पूर्वानुमान में अन्य अस्थायी ऋणों पर लगाया गया ब्याज, उस अर्जन के समय के बकाया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर पर पूंजीकृत किया जाता है।
- अन्य उधार लागत को उस विधि में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है, जिस अवधि में वे खर्च किए गए। उधार लागत में उस सीमा तक विनिमय अंतर शामिल है, जिस सीमा तक वे उधार लागत में समायोजित माने जाते हैं।

XI. फंक्शनल मुद्रा और प्रजन्टेशन मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन ईकाई के कार्य मुख्य आर्थिक वातावरण की मुद्रा ''फंक्शनल मुद्रा'' में किया जाता है। वित्तीय विवरणियां भारतीय रू. मुद्रा (आईएनआर) में जो कंपनी की फंक्शनल व प्रजन्टेशन मुद्रा है, में प्रस्तुत की जाती है।

XII. विदेशी मुद्रा लेन–देन और अनुवाद

क) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें

i) विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व तथा व्यय लेन–देनों को निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आयटा दरों पर आधारित) पर रिकार्ड किया जाता है। परिवहन के लिए एयरलाइनों के साथ इंटरलाइन समझौता, संबंधित माह के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेन–देन की प्राप्ति/निपटारे के कारण होने वाले लाभ/(हानि) और मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं के परिवर्तन को लाभ–हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

ख) देयता तथा ऋणों व अग्रिमों जिनके लिए संदेहास्पद प्रावधान किए जाते हैं, वर्ष के अंत में उनके संबंध में किसी भी विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि उनके प्राप्त होने की संभावना नहीं होती।

XIII. कर्मचारी लाभः

क) लघु अवधि कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ देयताएं जैसे वेतन व बोनस इत्यादि जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर, जिसके भीतर कर्मचारी ने अपनी संबंधित सेवाएं दी, 12 माह के भीतर पूर्णतः निपटाए जाने अपेक्षित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी सेवाओं में मान्य किया जाता है और देयताओं के भुगतान पर अदा की जाने वाली अपेक्षित गैर छूट प्राप्त राशि पर मापा जाता है।

ख) रोजगार समाप्ति के पश्चात लाभ योजना

कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ में निश्चित अंशदान योजना व निश्चित लाभ योजना शामिल हैं।

क) परिभाषित अंशदान योजना एक पोस्ट कर्मचारी लाभ योजना है जिसके तहत एक इकाई अलग इकाई (एक निधि) में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और यदि निधि में वर्तमान और पिछली अवधि में कर्मचारी सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी लाभों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है, तो आगे के अंशदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रीपेड अंशदान को उस सीमा तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी उपलब्ध हो।

ख) परिभाषित लाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना से अलग एक पूर्व कर्मचारी लाभ योजना है।

ग्रेच्यूटी व भविष्य निधि योजना के लिए भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता कंपनी की देयता है और परिभाषित लाभ योजना के श्रेणी में आते हैं।

कंपनी भविष्य निधि में, पूर्व निर्धारण दर पर, नियत अंशदान एक भिन्न ट्रस्ट को अदा करती है जो निधि को अनुमत सिक्यूरिटीज़ में निवेश करती है। वर्ष के लिए अंशदान को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है, तथा लाभ और हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व है कि वह नियत अंशदान करे व सदस्य हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम रिटर्न दर सुनिश्चित करें।

कंपनी ग्रेच्यूटी के लिए उत्तरदायी है। योजना के तहत सेवानिवृत्त, रोजगार पर रहते हुए मृत्यु होने या रोजगार की टर्मिनेशन, कर्मचारी के संबंधित वेतन व सेवा कार्यकाल के आधार पर एक मुश्त राशि का भुगतान निहित कर्मचारी को किया जाता है। कंपनी की ग्रेच्यूटी योजना अनफंडिड है।

(ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ छुट्टी नकदीकरण के रूप में होने वाले लाभ को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में दिखाया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का कुल दायित्व भविष्य में उस लाभ राशि की व्यवस्था करना है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान तथा

पूर्व के वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इस लाभ को वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का उपयोग करके एक वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है। पुनर्मूल्यांकन को लाभ प्राप्त होने के वर्ष में लाभ–हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

XIV. आयकर

आयकर व्यय में आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर व्यय को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में सीधे मान्य मदों को छोड़कर, लाभ या हानि खाते में मान्य किया जाता है। उस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

चालू कर वर्ष के दौरान कर योग्य आय, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग कर व पिछले वर्ष के संबंध में देय कर में किसी समायोजन पर देय, अपेक्षित कर है।

आस्थगित कर को तुलन पत्र विधि का प्रयोग कर, वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु व कराधान उद्देश्य हेतु प्रयुक्त राशि, परिसंपत्तियों व देयताओं की कैरिंग राशि के अस्थायी अंतर हेतु प्रावधान करते हुए मान्य किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कानूनों पर आधारित रिवर्स होने पर अस्थायी अंतर पर लागू होना अपेक्षित है। यदि वर्तमान कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो तो, आस्थगित कर संपत्तियां तथा देयताएं ऑफसेट होगी तथा यह उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित है परंतु वे मौजूदा कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का निवल आधार पर निपटान करना चाहते हैं अन्यथा कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं एक साथ वसूली जाएंगी।

आस्थगित कर को लाभ या हानि के रूप में मान्य किया जाता है, उस सीमा तक के अलावा जब वह ओसीआई या इक्विटी में सीधे मान्य की गई मदों से संबंधित हो, इस मामले में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्य किया जाता है, कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके एवज में अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और इस सीमा तक कम की जाती है कि इस बात की संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

XV. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) गणना में बहुत अधिक मात्रा में अनुमान वाले प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा रचनात्मक) होता है तथा यह संभावना होती है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का आउटफ्लो आवश्यक होगा। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, तो प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है तथा उन्हें वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। प्रावधान से संबंधित व्यय को लाभ तथा हानि विवरणी में दर्शाया जाता है।

ख) पूर्व घटनाओं से उद्भूत होने वाली संभावित देयताओं के संबंध में प्रत्येक नोट के माध्यम से प्रासंगिक देयताओं को दर्शाया जाता है किंतु उनकी उपस्थिति की पुष्टि, भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं (जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं होती) के होने या न होने से होती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटने या न घटने से होगी जो कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को उद्घाटित किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का प्राप्त होना संभावित है।

प्रावधान में परिवर्तन

प्रत्येक समीक्षाधीन अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। यदि इस बात की संभावना न हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए, आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देते हुए संसाधनों का आउटफ्लो आवश्यक होगा तो प्रावधान को उलट दिया जाता है।

जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय की अवधि को दर्शाने के लिए प्रत्येक अवधि में प्रावधान की कैरिंग राशि बढ़ जाती है। इस वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है।

XVI. नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्ष में, बैंक और हाथ में नकद राशि तथा तीन माह या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाले अल्पावधि जमा सम्मलित हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम की शर्त के अधीन हैं।

XVII. प्रति शेयर आय

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए मूल एवं डायल्यूटेड आय/(हानि) प्रति शेयर (ईपीएस) का डाटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयर धारकों को देय कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित शेयर संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटिड आय की गणना वर्ष के दौरान कर पश्चात् समायोजित निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं डायल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के कुल योग से भाग देकर की जाती है।

XVIII.उचित मूल्य मापन

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स को प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को उचित मूल्य पर मापती है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगा या खरीद की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है। भले ही वह मूल्य प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित किया गया हो।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 में, उस डिग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य मापदण्ड के लिए इनपुट अवलोकनीय हैं और इसकी संपूर्णता में उचित मूल्य माप के लिए इनपुट महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार वर्णित हैः

- स्तर 1ः इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु उद्धत कीमतें (असमायोजित) निष्क्रिय बाजार हैं, जिन्हें इकाई माप तिथि पर एक्सेस कर सकती है।
- स्तर 2ः इनपुट्स लेवल 1 में शामिल अन्य उद्धृत मूल्य इनपुट हैं, से इतर, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति के लिए पालनीय हैं, और
- स्तर 3ः इनपुट परिसंपत्तियों के लिए अप्राप्य इनपुट हैं।
- या देयताएं

वे परिसंपत्तियां और देयताएं जिनकी पहचान तुलन पत्र में आवर्ती आधार पर की जाती है, उनके लिए कंपनी

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनः आकलन (न्यूनतम स्तर इनपुट, जोकि समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्त्वपूर्ण होती है, के आधार पर) करके निर्धारित करती है कि उनका स्थानांतरण पदानुक्रम में दिए गए स्तरों के बीच हुआ हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य प्रकटनों के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति और देयता की प्रकृति, विशेषता व जोखिमों तथा उपरोक्त वर्णन के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त होगा या खरीद की तारीख पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है।

उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन होता है याः

– संपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में या

– एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी को/द्वारा सुलभ होना चाहिए।

XIX. वित्तीय उपकरण

कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे एक एन्टिटी की वित्तीय परिसंपत्ति तथा दूसरी एन्टिटी की वित्तीय देयता अथवा एक्विटी इन्स्ट्रूमेंट की उत्पत्ति होती है, वित्तीय उपकरण होता है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां

(i) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से, उचित मूल्य या लाभ–हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक नकदी प्रवाह की विशेषताओं के संचालन हेतु इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है।

(ii) आरंभिक पहचान एवं मापन

समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान आरंभ में उचित मूल्य प्लस, जहां वित्तीय परिसंपत्तियां यदि लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज न की गई हों तो, ट्रांज़ैक्शन लागतें जो वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन में देय हैं, पर की जाती है।

(iii) परवर्ती मापन

परवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

क. परिशोधित लागत पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियां:

डेरिवेटिव और विशेष निवेशों को छोड़कर कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य, किसी परिसंपत्ति को संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूल करने के लिए, उस परिसंपत्ति को धारण (होल्ड) करना हो और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एकमात्र रूप से, मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नकदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में परिशोधित लागत पर मापी जाती है।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

विशेष निवेश वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति, यदि वह एक ऐसे बिज़नेस मॉडल में रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूलने एवं वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने जैसे दोनों कार्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदा शर्त में एक मात्र रूप से मूल राशि और बकाया मूल राशि पर ब्याज के भुगतान के नकदी प्रवाह की विशेष तिथियों का वर्णन हो, बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती है। कंपनी ने अपने निवेशों के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव किया है जिन्हें इसके बिज़नेस मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में परवर्ती बदलाव प्रस्तुत करने के लिए इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ग. लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:
डेरिवेटिव्स वाली कोई वित्तीय परिसंपत्ति जो उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नही की गई है वह बाद में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती है।

(iv) मान्यता समापन

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता मुख्यतः तब समाप्त की जाती है जब इस परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हों। जिसमें कंपनी न तो स्वामित्व के सभी जोखिमों और रिवार्ड को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उसे बनाए रखती है। यह वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को बनाए नहीं रखती है।

कोई लाभ या हानि, लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों, जिसमें व्यापार प्राप्य अथवा कॉन्ट्रैक्ट राजस्व और समस्त लीज़ प्राप्य इत्यादि सम्मिलित हैं, पर क्षति हानि के मापन एवं पहचान हेतु प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल के आधार पर क्षति का निर्धारण करती है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि को 12 महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, उस स्थिति में उन वित्तीय परिसंपत्तियों को जीवनकाल ईसीएल में मापा जाता है। ईसीएल मॉडल का उपयोग करके नुकसान भत्ते में परिवर्तन (वृद्धिशील या उलट), लाभ और हानि में, क्षति लाभ या हानि के रूप में पहचाने जाते हैं।

(vi) बट्टे खाते में डालना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि तब बट्टे खाते में (आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः) उस मात्रा में डाल दी जाती है जब उसकी वसूली की वास्तविक संभावना न हो। सामान्यत यह ऐसा मामला होता है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रतिपक्ष के पास ऐसी परिसंपत्तियां अथवा आय के साधन नहीं हैं जो बट्टे खाते में डाले जाने के अधीन राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित कर सकें। तथापि, जो वित्तीय परिसंपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी गई हैं वे अब भी देय राशि की वसूली के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु बाध्यकरण गतिविधियों के अधीन हैं।

ख. वित्तीय देयताएं

(i) आरंभिक मान्यता एवं मापन

समस्त वित्तीय देयताओं की मान्यता आरंभ में, ऋणों, उधारियों और देयों के संबंध में, उचित मूल्य पर और प्रत्यक्ष रूप से देय निवल ट्रांजैक्शन लागतों पर की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड और अन्य देय तथा बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधारियों और डेरिवेटिव वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सम्मिलित हैं।

(ii) वर्गीकरण

कंपनी, समस्त वित्तीय देयताओं को, लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं को छोड़कर, परवर्ती रूप से परिशोधित लागत पर किए गए मापन के अनुसार वर्गीकृत करती है। डेरिवेटिव्स सहित ऐसी देयताएं, परवर्ती रूप से उचित मूल्य पर मापी जाएंगी और किसी भी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ और हानि, लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त हैं।

वित्तीय देयता को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे ट्रेडिंग हेतु रोकी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या यह एक डेरीवेटिव है या इसे प्रारंभिक मान्यता पर इस तरह नामित किया गया है।

(iii) परवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन, नीचे किए गए वर्णन के अनुसार, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है।

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

आरंभिक मान्यता के पश्चात, ब्याज वाले ऋण एवं उधारियां, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधित प्रक्रिया के माध्यम से डि–रिकोनाइज्ड किया जाता है।

परिशोधन लागत की गणना, अर्जन पर किसी छूट या प्रीमियम और फीस अथवा लागत जो कि ईआईआर का अभिन्न भाग होते हैं, को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन को, लाभ एवं हानि विवरणी में, वित्तीय लागतों के रूप में सम्मिलित किया जाता है।

ख) लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से, उचित मूल्य पर, वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग संबंधी व वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरणी के माध्यम से उचित मूल्य के अनुसार आरंभिक पहचान पर विनिर्दिष्ट वित्तीय देयताएं सम्मिलित हैं। वित्तीय देयताओं को तब ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यदि उनका नजदीकी कालावधि में पुनः क्रय करने के उद्देश्य के लिए वहन किया गया हो। इस श्रेणी में, कंपनी द्वारा अपनाए गए डेरिवेटिव फाइनेंशियल इन्स्ट्रूमेंट सम्मिलित हैं, जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज़ रिलेशनशिप्स में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं हैं। अलग किए गए एम्बेडेड डेरिवेटिव्स भी तब तक ''ट्रेडिंग हेतु'' के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं जब तक कि उन्हें प्रभावी हेज़िंग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता।

हेल्ड फॉर ट्रेडिंग संबंधी देयताओं पर लाभ एवं हानियों की पहचान लाभ एवं हानि विवरणी में की जाती है।

(iv) मान्यता समापन

कोई भी वित्तीय देयताएं तब डी–रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है, जब उस देयता के तहत बाध्यता का निर्वहन कर दिया गया हो अथवा उसे रद्द कर दिया गया हो अथवा उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। कंपनी शर्तों को संशोधित करने पर और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी हद तक अलग होने पर वित्तीय देयता को डी रिकोगनाइज़ कर देती है। इस मामले में, संशोधित मूल्य के आधार पर एक नया वित्तीय दायित्व उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है। समाप्त हुई वित्तीय देयताएं की कैरिंग राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता के बीच का अंतर लाभ और हानि के विवरणी में मान्यता प्राप्त है।

(v) वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट की जाती हैं और निवल राशि का उल्लेख तुलन पत्र में किया जाता है, यदि चिह्नित राशि को ऑफसेट करने का कोई चालू प्रवर्तनीय कानून अधिकार विद्यमान है, और परिसंपत्ति के नकदीकरण और देयताओं के निपटान के साथ–साथ निवल आधार पर निपटान करने की मंशा विद्यमान है।

XX. मैटीरियलिटी थ्रेश होल्ड सीमाएं_

कंपनी ने व्ययों/आयों के वर्गीकरण और प्रकटन में निम्नानुसार मैटीरियलिटी थ्रेश होल्ड सीमाओं को अपनाया है:

थ्रेश होल्ड मदें	यूनिट	थ्रेश होल्ड मूल्य
पूर्वावधि व्यय/राजस्व		
– व्यक्तिगत सीमाओं के आधार पर पहचान	मिलियन	15
– समग्र सीमा के आधार पर रिस्टेटमेंट	मिलियन	पिछले वर्ष का टर्नओवर 1%
पूर्वप्रदत्त व्यय	मिलियन	0.010
विदेशी स्टेशन	मिलियन	0.050
घरेलू स्टेशन	मिलियन	0.010
आकस्मिक देयता एवं पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	मिलियन	0.10
वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स का उचित मूल्यांकन	मिलियन	5.0

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार हैं। एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते बाटलीबॉय एवं पुरोहित
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 101048W

हस्ता/–
असंगबा चुबा आओ
अध्यक्ष (नामित निदेशक)
डीआईएन– 08086220

हस्ता/–
बजेश कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएन: 09835338

हस्ता/–
रमन हैंगेकर
(पार्टनर)
आईसीएआई सदस्यता सं: 030615
यूडीआईएन: 25030615BMOCN23297

हस्ता/–
रामबाबू सी.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पैन– एजीवीपीसी 9371पी

हस्ता/–
शिल्पा भाटिया
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं.: एसीएस 49386

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16–01–2025

नोट–2 (क) संयंत्र, परिसम्पत्ति व उपस्कर वित्तीय वर्ष 2023–24

(मिलियन रु. में)

परिसम्पत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अवधि	31.03.2023 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2023–24 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2023–24 के दौरान बेचे/डिस्कार्ड किए गए	31.3.2024 को सकल ब्लॉक	01.04.2023 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2023–24 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2024 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2024 को निवल ब्लॉक	31.3.2023 को निवल ब्लॉक
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
संयंत्र और उपस्कर	5 वर्ष	12.90	0.21	0.41	12.70	9.77	0.99	0.39	10.37	2.33	3.13
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10 वर्ष	10.80	0.95	1.36	10.39	4.57	0.95	1.21	4.31	6.08	6.23
वाहन	8 वर्ष	3.71	0.00	0.80	2.91	2.18	0.38	0.25	2.31	0.60	1.53
डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर	3 वर्ष	33.24	0.36	0.06	33.54	23.40	3.75	0.06	27.09	6.45	9.84
स्थल सहायता उपस्कर (एटीआर)	(पॉलिसी के अनुसार)	5.37	0.00	0.40	4.97	5.36	0.01	0.40	4.97	0.00	0.01
एयरफ्रेम रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित	278.28	0.00	0.00	278.28	137.42	22.08	0.00	159.50	118.78	140.86
एयरो इंजन रोटेबल	लीज अवधि पर आधारित	235.78	0.00	0.00	235.78	31.52	11.97	0.00	43.49	192.29	204.27
31.03.2024 को कुल		580.08	1.52	3.03	578.57	214.22	40.13	2.31	252.04	326.53	365.86

(मिलियन रु. में)

	31.03.2022 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2022–23 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2022–23 के दौरान बेचे/डिस्कार्ड किए गए	31.3.2023 को सकल ब्लॉक	01.04.2022 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2022–23 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2023 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2023 को निवल ब्लॉक	31.3.2022 को निवल ब्लॉक
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
31.03.2023 को कुल	383.52	196.56	0.00	580.08	175.72	38.50	0.00	214.22	365.86	207.80

नोट–2 (ख) परिसम्पत्ति के उपयोग का अधिकार

(मिलियन रु. में)

परिसम्पत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अवधि	01.04.2023 को	वर्ष 2023–24 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2023–24 के दौरान बेचे/डिस्कार्ड किए गए	वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2024 को सकल ब्लॉक	01.04.2023 को संचित मूल्यह्रास इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण	वर्ष 2023–24 के लिए मूल्यह्रास	31.3.2024 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2024 को निवल कैरिंग मूल्य
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ
आरओयू परिसम्पत्तियाँ	लीज अवधि पर आधारित	29772.80	290.00	0.00	0.00	30062.80	9601.74	2672.28	12274.02	17788.78
31.03.2024 को कुल		29772.80	290.00	0.00	0.00	30062.80	9601.74	2672.28	12274.02	17788.78

(मिलियन रु. में)

	01.04.2022 को	वर्ष 2022–23 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2022–23 के दौरान बेचे/डिस्कार्ड किए गए	31.3.2023 को सकल ब्लॉक	01.04.2022 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2022–23 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2023 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2023 को निवल कैरिंग मूल्य
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ
31.03.2023 को कुल	26704.20	3068.60	0.00	0.00	29772.80	7030.35	2571.39	9601.74	20171.06

नोट–2 (ग) अमूर्त परिसम्पत्तियां

(मिलियन रु. में)

परिसम्पत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अवधि	31.3.2023 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2023–24 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2023–24 के दौरान बेचे/डिस्कार्ड किए गए	31.3.2024 को सकल ब्लॉक	01.4.2023 तक संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2023–24 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2024 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2024 को निवल ब्लॉक	31.3.2023 को निवल ब्लॉक
		क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
अमूर्त परिसम्पत्तियां – ट्रेडमार्क	अनंतकाल	2.54	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	2.54
अमूर्त परिसम्पत्तियां – कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	करार के अनुसार	87.63	0.00	0.00	87.63	8.17	16.66	0.00	24.83	62.80	79.46
31.3.2024 को कुल		90.17	0.00	0.00	90.17	8.17	16.66	0.00	24.83	65.34	82.00

(मिलियन रु. में)

	31.3.2022 को सकल ब्लॉक	वर्ष 2022–23 के दौरान जोड़े गए	वर्ष 2022–23 के दौरान बेचे/डिस्कार्ड किए गए	31.3.2023 को सकल ब्लॉक	01.4.2022 तक संचित मूल्यह्रास	वर्ष 2022–23 के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	31.3.2023 को संचित मूल्यह्रास	31.3.2023 को निवल ब्लॉक	31.3.2022 को निवल ब्लॉक
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
31.3.2023 को कुल	26.09	64.08	0.00	90.17	0.29	7.88	0.00	8.17	82.00	25.80

नोट सं. 03

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
आरक्षित खरे माने गए		
सुरक्षा जमा (12 महीने से अधिक परिपक्वता)	1,077.75	1,038.80
अरक्षित संदेहास्पद		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	9.06	9.06
घटाकरः संदेहास्पद ऋण को क्षति भत्ता	(9.06)	(9.06)
कुल	**1,077.75**	**1,038.80**

नोट सं. 04

आयकर परिसम्पत्तियां (निवल)	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
टीडीएस सहित आयकर का अग्रिम भुगतान	482.44	612.79
घटाः कराधान हेतु प्रावधान	-	-
कुल	**482.44**	**612.79**

नोट सं. 05

अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
पूंजी अग्रिम से इतर अग्रिम		
सुरक्षा जमा (अनुरक्षण आरक्षित पॉट)	5,691.85	4,883.25
वसूली योग्य एवं टीडीएस जीएसटी इनपुट कर	1,456.74	1,221.94
कुल	**7,148.59**	**6,105.19**

नोट सं. 06

इनवेंटरी	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
भंडार एवं हिस्से पूर्जे*	551.90	608.52
खुले औजार*	14.07	14.07
मार्गस्थ माल	-	-
घटाकरः अप्रचलन व कमी के लिए प्रावधान	(384.61)	(281.17)
कुल	**181.36**	**341.43**

*मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के खंड 3(VI) (ख) का संदर्भ लें।

नोट सं. 07

व्यापार प्राप्य	31 मार्च, 2024 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)
रक्षित, व्यापार प्राप्य	-	-
अरक्षित व्यापार प्राप्य		
व्यापार प्राप्य खरे माने गए	516.34	1,007.45
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-	-
व्यापार प्राप्य– क्रेडिट क्षति	25.27	25.27
घटाकरः संदेहास्पद प्राप्य के लिए क्षति भत्ता	(25.27)	(25.27)
कुल	**516.34**	**1,007.45**

व्यापार प्राप्य समयावधि अनुसूची (मिलियन रु. में)

विवरण	चालू वर्ष					
	मुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) अविवादित व्यापार प्राप्य – खरे माने गए	198.16	142.71	175.45	0.02		516.34
ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति					25.27	25.27
iv) विवादित व्यापार खरे माने गए						
v) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
vi) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति						

व्यापार प्राप्य समयावधि अनुसूची (मिलियन रु. में)

विवरण	पूर्व वर्ष					
	मुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) अविवादित व्यापार प्राप्य – खरे माने गए	557.89	65.14	59.95	27.43	297.04	1,007.45
ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति					25.27	25.27
iv) विवादित व्यापार खरे माने गए						
v) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि						
vi) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति						

नोटः सं. 8

नकद और नकद समतुल्य	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
बैंकों में शेष		
चालू खातों में	227.82	149.53
बैंक में जमा (3 महीने से कम मैचयोरिटी)	-	-
हाथ में रोकड़	0.04	0.02
कुल	**227.86**	**149.55**

नोट सं. 09

नकद समतुल्य के अलावा बैंकों में शेष	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
बैंकों में शेष		
चालू खातों में शेष*	12.00	12.00
मार्जिन मनी डिपॉज़िट में (3 < मैचयोरिटी < 12)**	975.24	789.31
कुल	**987.24**	**801.31**

*आईओबी में 12 मिलियन रुपए की शेष राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 226 (3) के तहत ग्रहणाधिकार/होल्ड के रुप में चिह्नित किया है।

**विभिन्न गैर–निधि आधारित क्रेडिट लियन का लाभ उठाने के लिए सुरक्षा के रुप में बैंकों के पास जमा है और इसमें 10% मार्जिन मनी और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है।

नोट सं. 10

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
अरक्षित व खरे माने गए		
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	71.19	76.09
कर्मचारियों को अग्रिम	0.33	0.23
अरक्षित व संदेहास्पद माने गए		
कर्मचारियों को अग्रिम	5.45	5.45
घटाकरः संदेहास्पद कर्मचारी अग्रिम हेतु भत्ता	(5.45)	(5.45)
कुल	**71.52**	**76.32**

नोट सं. 11

अन्य चालू परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
क) सुरक्षा जमा		
प्राधिकरणों में जमा	0.11	0.11
उच्च न्यायालय में जमा	2.38	222.38
घटाः संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	(2.38)	(222.38)
ख) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		
संबंधित पार्टियों से प्राप्य	100.60	4.21
ग) अन्य अग्रिम		
पूर्व प्रदत्त व्यय	159.58	160.53
अन्य से प्राप्य	211.60	341.42
कुल	**471.89**	**506.27**

नोट सं. 12

इक्विटी शेयर पूंजी	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 रु. प्रत्येक के 200,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 200,000,000 इक्विटी शेयर)	20,000	20,000
	20,000	**20,000**
जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी 100 रु. प्रत्येक के 1002,25,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	10,022.50	4,022.50
(पिछले वर्ष 100 रु. प्रत्येक के 402,25,000 इक्विटी शेयर)	-	-
	10,022.50	**4,022.50**

12 क) शेयरों की संख्या का समाधान	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	**40,225,000**	40,225,000
जोड़करः जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	60,000,000	-
घटाकरः रीडिम किए इक्विटी शेयर	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	**100,225,000**	**40,225,000**

12(ख) इक्विटी शेयरः इक्विटी शेयर के लिए संलग्न विनिमय एवं शर्तें/अधिकार

कम्पनी के पास एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका अंकित मूल्य 100 रु. प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। लाभांश के भुगतान की कोई बाध्यता नहीं है। कम्पनी के समापन पर इक्विटी शेयरधारक सभी प्रकार की प्राथमिक राशियों के भुगतान के पश्चात अपने स्वामित्व के शेयरों के अनुपात में कम्पनी की बाकी बची परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

12(ग) होल्डिंग कम्पनी के नियंत्रण में इक्विटी शेयर

1002,25,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 40,225,000 इक्विटी शेयर) होल्डिंग कम्पनी, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और इसके नामितों के नियंत्रण में हैं।

2023–24 के दौरान राइट इश्यू दो किश्तों में किया गया। 30,000,000 शेयरों के पहले इश्यू के लिए, इश्यू की तारीख 20.06.2023 थी और आबंटन की तारीख 27.06.2023 थी और 30,000,000 के दूसरे इश्यू के लिए इश्यू की तारीख 12.02.2024 और आबंटन की तारीख 17.02.2024 थी।

12(घ) 5% से अधिक इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौराः

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कम्पनी)		
इक्विटी शेयर	**100,225,000**	**40,225,000**
शेयरों की कुल सं.	**100,225,000**	**40,225,000**
स्वामित्व का प्रतिशत	100%	100%

12(ड) प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटरों के पास कोई भी शेयर नहीं हैं।

नोट सं. 13

अन्य इक्विटी	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
1. लाभ एवं हानि खाते में अधिशेष/(घाटा)		
प्रारंभिक शेष	(40,682.63)	(35,016.89)
जोड़करः वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(6,210.20)	(5,665.73)
अन्य व्यापक आय	-	-
घटाः निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए आयकर का प्रावधान	-	-
जमाः पूर्वावधि समायोजन	-	-
घटाः अवकाश नकदीकरण के लिए ओसीआई के प्रारंभिक शेष का समायोजन	-	-
रिजर्व से स्थानांतरण	-	-
अंतशेष	**(46,892.83)**	**(40,682.63)**
2. अन्य व्यापक आय		
प्रारंभिक शेष	16.89	8.88
जमाः अवकाश नकदीकरण के लिए ओसीआई के प्रारंभिक शेष का समायोजन	-	-
जमा : वर्ष के लिए	14.63	8.01
अंतशेष	**31.52**	**16.89**
कुल	**(46,861.31)**	**(40,665.74)**

नोट सं. 14

लीज़ देयताएं	31 मार्च, 2024 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)
लीज़ देयताएं		
घटाकरः लीज़ देयताओं का चालू भाग	21,705.15	24,636.26
(चालू देयताएं नोट सं. 17 में उल्लिखित)	(3,494.71)	(3,252.68)
गैर चालू लीज़ देयताएं	18,210.44	21,383.58
कुल	**18,210.44**	**21,383.58**

नोट सं. 15

प्रावधान	31 मार्च, 2024 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान हेतु प्रावधान	71.17	80.62
घटाकरः उपदान का चालू भाग (नोट 20 में उल्लिखित)	(14.76)	(3.44)
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	27.19	37.16
घटाकरः छुट्टी नकदीकरण का चालू भाग (नोट 20 में उल्लिखित)	(5.83)	(1.77)
अन्य प्रावधान		
विमानों की रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान	698.03	681.33
कुल	**775.80**	**793.90**

नोट सं. 16

चालू उधार	31 मार्च, 2024 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)
संबंधित पार्टियों से ऋण (आरक्षित)		
एआई एसेट्स होल्डिंग लि. 21/01/2022 से होल्डिंग कम्पनी के कारण (एआईएल के औसत बकायों के आधार पर @9% की दर से ब्याज देय था)	26,191.48	23,995.78
एआई एसेट्स होल्डिंग लि. के कारण वर्ष 2021–22 में एसबीएलसी के नवीनीकरण के लिए 562.50 मिलियन रुपए की राशि प्राप्त हुई है जिस पर एआईएएचएल के बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार प्रतिवर्ष 1% की दर से ब्याज प्रदान किया जा रहा है। पुनर्भुगतान से लंबित नियम और शर्तें, इस अग्रिम को अल्पावधि कार्य के रुप में दर्ज किया गया है।	562.50	562.50
कुल	**26,753.98**	**24,558.28**

नोट सं. 17

लीज़ देयताएं	31 मार्च, 2024 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)
लीज़ देयताएं का चालू भाग **(नोट संदर्भ सं. 14)**	3,494.71	3,252.68
कुल	**3,494.71**	**3,252.68**

नोट सं. 18

व्यापार देय	31 मार्च, 2024 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)
क) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया देय	-	
ख) माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा क्रेडिटर के कुल बकाया देय		
– व्यय हेतु प्रावधान	3,349.75	3,131.58
– वेंडर भारत में	7,987.05	9,010.03
– वेंडर–भारत से बाहर	788.08	942.68
– संबंधित पार्टी–देय	3,577.79	3,169.96
– आपूर्तिकर्ता–रैमको*	111.77	111.77
– एयरपोर्ट कर	108.74	79.67
कुल	**15,923.18**	**16,445.69**

*जीआरएन और पीओ से संबंधित आपूर्तिकर्ता–रैमको लेज़र का मिलान और समाधान प्रक्रियाधीन है।

(मिलियन रु. में)

विवरण	चालू वर्ष				
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					
ii) अन्य	8953.07	3569.11	2309.06	1091.94	15923.18
iii) विवादित देय – एमएसएमई					
iv) विवादित देय – अन्य					
कुल	**8953.07**	**3569.11**	**2309.06**	**1091.94**	**15923.18**

(मिलियन रु. में)

विवरण	पूर्व वर्ष				
	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					
ii) अन्य	2227.39	6784.07	2715.73	4718.50	16445.69
iii) विवादित देय – एमएसएमई					
iv) विवादित देय – अन्य					
कुल	**2227.39**	**6784.07**	**2715.73**	**4718.50**	**16445.69**

नोट सं. 19

अन्य चालू वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2024 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)
अर्नेस्ट धन जमा	37.52	2.01
सुरक्षा जमा	11.61	311.44
अन्य	101.29	101.66
कुल	**150.42**	**415.11**

नोट सं. 20

चालू प्रावधान	31 मार्च, 2024 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)
उपदान देयता हेतु प्रावधान	14.76	3.44
उपदान का चालू भाग (नोट सं. 15 में उल्लिखित)		
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	5.83	1.77
कुल	**20.59**	**5.21**

नोट सं. 21

अन्य चालू देयताएं	31 मार्च, 2024 को (मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 को (मिलियन रु. में)
एजेंट एवं ग्राहक से अग्रिम	170.48	204.04
अग्रिम बिक्री	546.71	253.38
देय सांविधिक भुगतान		
– देय जीएसटी पर टीडीएस	21.66	0.95
– आयकर के अनुसार देय टीडीएस	113.33	533.85
– जीएसटी देय	3.13	19.27
– देय भविष्य निधि	-	4.11
– देय सेवाकर	-	31.13
– अन्य–प्रावधान कर	0.01	0.08
कुल	**855.32**	**1,046.81**

नोट सं. 22

प्रचालन से राजस्व	2023–2024	2022–2023
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
1. प्रचालन राजस्व		
सेवा की बिक्री से		
i) अनुसूचित यातायात सेवाएं		
क) यात्री	5,932.58	6,517.90
ख) अतिरिक्त सामान	95.93	9.99
ग) डाक	1.63	0.99
घ) कार्गो	7.58	12.55
	6,037.72	6,541.43
ii) गैर अनुसूचित–यातायात सेवाएं		
क) चार्टर	94.21	99.14
ख) सरकार से प्रचालन हेतु सहायता	3,237.36	3,659.93
	3,331.57	3,759.07
iii) अन्य प्रचालनात्मक राजस्व		
हैंडलिंग सर्विसिंग तथा प्रासंगिक राजस्व	178.37	683.68
	178.37	683.68
कुल	**9,547.66**	**10,984.18**

नोट सं. 23

अन्य आय	2023–2024	2022–2023
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
1. साविधि जमा पर ब्याज	57.67	45.22
2. आयकर प्रतिदेय पर ब्याज	20.20	-
3. अन्य		
– प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रिर्टन बैक	-	20.19
कुल	**77.87**	**65.41**

नोट सं. 24

अन्य प्रचालन व्यय		2023–2024	2022–2023
		(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
i)	विमान लीज़, हैंडलिंग एवं अनुरक्षण प्रभार		
	विमान इंजन की लीज़	-	-
	हैंडलिंग	610.58	519.70
	अनुरक्षण	2,673.34	1,961.17
		3,283.92	2,480.87
ii)	मार्ग निर्देशन, अवतरण, हाउसिंग एवं पार्किंग		
	अवतरण शुल्क–अनुसूचित एवं अन्य प्रचालन	28.63	28.11
	हाउसिंग और पार्किंग शुल्क	20.14	17.22
	उड़ान वाणिज्य व मार्ग निर्देशन प्रभार	290.39	291.27
		339.16	336.59
iii)	अन्य संचार प्रभार		
	आरक्षण प्रणाली पर व्यय	65.68	80.47
	पोस्टेज़ टेलीग्राम और कुरियर प्रभार	0.10	0.06
	टेलीफोन एवं ट्रंक कॉल प्रभार	2.81	1.93
		68.59	82.46
iv)	यात्री सुविधाएं		
	पैक्स सुविधाएं– स्थल पर केटरिंग	0.10	1.34
	पैक्स सुविधाएं– विमान पर केटरिंग	108.91	97.11
	पैक्स सुविधाएं– होटल व्यय	0.20	0.41
	पैक्स कॉल सेंटर प्रभार	8.90	6.88
		118.11	105.74
v)	बीमा		
	बीमा –विमान	150.77	146.71
	बीमा सामान्य	0.01	0.09
		150.78	146.80
vi)	इनवेंटरी खपत		
	उपभुक्त सामग्री – विमान*	522.09	273.08
	अप्रचलन हेतु प्रावधान (निवल)**	(66.63)	66.47
		455.46	339.55
vii)	बुकिंग एजेंसी का कमीशन (निवल)		
	टिकट विक्रय पर कमीशन	233.70	250.52
		233.70	250.52
	कुल	**4,649.72**	**3,742.54**

*नोट संख्या 30 का संदर्भ लें।

**नोट संख्या 32 का संदर्भ लें।

नोट सं. 25

कर्मचारी लाभ व्यय	2023–2024	2022–2023
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
1. वेतन–मजदूरी और बोनस		
वेतन–भारत में कर्मचारी	1,368.38	1,352.55
बोनस व्यय	7.61	7.38
	1,375.99	1,359.93
2. क्रू भत्ते		
विदेशी करार पायलट शुल्क एवं दावे	17.93	21.05
	17.93	21.05
3. भविष्य निधि व अन्य निधि में अंशदान		
सीसी भविष्य निधि– भारत में कर्मचारी	20.58	20.73
	20.58	20.73
4. स्टॉफ कल्याण व्यय		
अन्य स्टॉफ कल्याण व्यय	30.68	23.69
स्टॉफ प्रशिक्षण व्यय	70.70	82.29
	101.38	105.98
5. उपदान	13.73	15.89
6. छुट्टी नकदीकरण	(4.49)	1.80
कुल	**1,525.12**	**1,525.39**

नोट सं. 26

वित्तीय लागत	2023–2024	2022–2023
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
(i) ऋण पर ब्याज		
– होल्डिंग कम्पनी द्वारा प्रभारित ब्याज*	2,412.06	2,154.49
(ii) लीज़ देयताओं पर ब्याज व्यय	199.58	221.48
(iii) लीज़ देयताओं पर विदेशी मुद्राओं का प्रभाव	351.43	1,951.97
(iv) बैंक प्रभार	73.75	12.92
(v) ईंधन कम्पनियों को विलम्बित भुगतान प्रभार	445.02	378.74
(vi) संबंधित पार्टियों द्वारा प्रभारित ब्याज	327.26	268.47
कुल	**3,809.10**	**4,988.07**

*एआईएएचएल द्वारा बकाया राशि पर औसत @9% की दर से ब्याज लगाया गया है। वर्ष 2021–22 में एआईएएचएल द्वारा 562.50 मिलियन रुपए जमा किए गए जिस पर @1% की दर से ब्याज लगाया गया है।

नोट सं. 27

अन्य व्यय	2023–2024	2022–2023
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
यात्रा व्यय	59.43	63.17
किराया	90.08	89.14
मरम्मत प्रभार	0.31	0.41
परिवहन का किराया	57.25	57.12
विद्युत/तापन एवं ईंधन प्रभार	12.92	8.81
जल प्रभार	0.25	0.01
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	8.57	10.48
प्रचार और विक्रय संवर्धन	5.14	3.19
कोविड व्यय	-	0.67
विधिक प्रभार	0.02	2.51
स्टाम्प शुल्क	0.53	-
लेखा परीक्षकों को भुगतान	1.15	1.21
व्यावसायिक/परामर्श शुल्क व व्यय	26.27	45.24
बुरे एवं संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
इनपुट रिवर्सल	63.80	29.84
मुद्रा विनिमय अंतर (निवल)	(124.97)	(253.53)
डीजीसीए को शुल्क	2.75	5.20
कार्यालय सफाई हेतु व्यय	0.23	0.15
मनोरंजन व्यय–सामान्य	0.49	0.29
पुस्तकें व पत्रिकाएं–जेपसन/तकनीकी	38.02	31.04
परिसम्पत्ति बिक्री या स्क्रैप्ड पर अंतशेष हानि	0.73	-
अन्य विविध खर्चे	5.90	19.27
टीडीएस का देरी से भुगतान करने पर ब्याज	62.54	46.00
सेवा कर/जीएसटी का देरी से भुगतान करने पर ब्याज	0.01	0.02
कुल	**311.42**	**160.21**

नोट सं. 28

प्रतिशेयर आय का प्रकटीकरण इंड–एएस 33	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	(मिलियन रु. में)	(मिलियन रु. में)
क) वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या		
आरंभिक	4,02,25,000	4,02,25,000
जारी	6,00, 00,000	-
वर्ष के आरंभ में भारित औसत शेयरों की संख्या (भाजक के रुप में उपयोग करना)	6,66,75,000	4,02,25,000
ख) इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर पश्चात निवल लाभ (अंश के रुप में उपयोग करना) (मिलियन रु. में)	(6,210.20)	(5,665.73)
ग) प्रति शेयर–बेसिक व डायल्यूटिड आय (रु. में)	(93.14)	(140.85)
घ) शेयर का अंकित मूल्य	100.00	100.00

नोट: शेयरों का राइट इश्यू बराबरी पर रहा है, इसलिए पूर्व वर्ष के लिए ईपीएस की कोई बहाली नहीं की गई है।

29. इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटीकरण–प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

क. आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण

एएएएल के विरूद्ध दावों को, ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है (ब्याज और दंड को छोड़कर जिसके लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया जहां लागू हो) और सुनिश्चियन व परिणाम निर्धारित किए जाने तक प्रतिवादित किए जा रहे हैं।

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	01.04.2023 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़े गए	प्रावधान के विरूद्ध प्रभारित राशि	वर्ष के दौरान हटाई गई अप्रयुक्त राशि	छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	31 मार्च 2024 को शेष
कंपनी को प्राप्त आय कर मांग नोटिस जो अपील के अधीन है	8.38	791.81	0.00	11.97	लागू नहीं	**788.22**
अन्य आकस्मिक देयताओं पर अन्य दावे	25.24	4.09	0.00	0.37	लागू नहीं	**28.96**
सकल योग	**33.62**	**795.90**	**0.00**	**12.34**	0	**817.18**

ख. अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में स्पष्टीकरण विवरण

विविध दावों **817.18 मिलियन** रु. (पिछले वर्ष में 33.62 मिलियन रु.) सहित

- उपरोक्त 788.22 मिलियन रु. का आंकड़ा हमारी गणना की तुलना में ट्रेसेस द्वारा गणना के अनुसार टीडीएस पर ब्याज की अधिकता को दर्शाता है।
- चल रहे कानूनी मामलों के संबंध में 28.96 मिलियन रु. (25.24 मिलियन रु.) के अनिश्चित कानूनी दावे।

ग) पूंजीगत और अन्य प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखों पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
–	कोई नहीं	कोई नहीं

घ) रि–डिलीवरी हेतु प्रावधान

रि–डिलीवरी के प्रावधानों में गतिविधियों का प्रकटन यहां किया गया है:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	681.33	571.65
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	53.30
वर्ष के दौरान प्रावधानों पर ब्याज वृद्धि	6.46	6.09
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि/समायोजन	-	-
प्रारंभिक प्रावधान बहाल करने पर विनिमय हानि का प्रभाव	-	-
अंतशेष प्रावधान बहाल करने पर विनिमय लाभ/हानि का प्रभाव	10.24	50.29
वर्ष के अंत में शेष	**698.03**	**681.33**
वर्ष के अंत में शेष – गैर–चालू	**698.03**	**681.33**
वर्ष के अंत में शेष – चालू	**-**	**-**

30. वास्तविक सत्यापन व समाधान

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

(i) कम्पनी की नीति के अनुसार कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर एवं फिक्सचर, इंजन और एयरफ्रेम रोटेबल आदि से युक्त संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन और मिलान द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के कुल मूल्य का लगभग 98% भाग दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्टेशनों पर स्थित है।

(ii) पूर्व में दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद स्टेशनों पर स्थित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन और मिलान वित्तीय वर्ष 2023–24 में किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बही खातों में 0.004 मिलियन रु. के बही मूल्य लिए गए हैं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित विसंगति के लिए आवश्यक लेखांकन कार्रवाई की गई।

ख) विमान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन

(i) विमान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन द्विवार्षिक आधार पर किया जाता है और सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है जिसमें रिपोर्ट को अंतिम रुप दिया जाता है।

(ii) इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन वित्त वर्ष 2023–24 में किया गया। कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद में आंतरिक लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विमान इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन किया गया।

(iii) एएएल, एअर इंडिया (एआई) के विनिवेश तक एआई के एमएमडी मॉड्यूल यानी रैमको का उपयोग कर रहा था, जिसका उपयोग इनवेंटरी की खरीद और खपत के लिए बुकिंग के लिए किया जाता था, जिसके माध्यम से इनवेंटरी से संबंधित सभी लेनदेन एलाइंस एअर के एसएपी मॉड्यूल से इंटरफेस किए गए थे।

इनवेंटरी एअर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश से पहले एआई स्टोर में रखी गई थी और इसे एअर इंडिया द्वारा नियंत्रित किया गया। एएएएल की आवश्यकता के आधार पर, एआई संबंधित विक्रेताओं को आर्डर देता था और कस्टम प्राधिकरण से मंजूरी भी एआई द्वारा की जाती थी क्योंकि वस्तुएं एअर इंडिया के आयात–निर्यात कोड (आईईसी) पर भारत में आयात होती थी। रैमको इनवेंटरी मॉड्यूल एसएपी के साथ इंटरफेस किया गया और रैमको में की गई खरीद और खपत की प्रविष्टियाँ एएएएल (1200) के कंपनी कोड के माध्यम से एसएपी में पोस्ट की जाती थी।

एआई के विनिवेश के बाद (25 जनवरी 2022), एएएएल ने लैमिनार को एमएमडी प्रणाली में स्थानांतरित किया और यह 18 मई 2022 से प्रचालन में था। 31 मार्च 2022 को रैमको में अंतशेष राशि रैमको से लैमिनार में स्थानांतरित की गई। वर्ष 2022–23 (सितंबर 2022 तक) खरीद और उपभोग की प्रविष्टि भी रैमको द्वारा एसएपी के माध्यम से एएएएल में इंटरफेस की गई।

एलाइंस एअर ने अपने नए इनवेंटरी भंडारण स्थान को बेस स्टेशनों पर स्थापित किया है और यह 2022 से प्रचालन में है।

एआई द्वारा एएएएल को खातों के अनुसार वास्तविक स्टॉक का हस्तांतरण पूर्ण रूप से समायोजित होना शेष था।

ऐसा देखा गया है कि विमान के स्पेयर मुख्य रूप से ओईएम से खरीदे जाते हैं और स्पेयर की वैधता को ध्यान में रखते हुए, फीफो आधार पर जारी किए जाते हैं। एएएएल की लेखा नीति भी एआई पर आधारित है और चूंकि एआई के पास विभिन्न प्रकार के विमान हैं और खरीदी गई उपभोग्य वस्तुएं विभिन्न प्रकार के विमानों के लिए उपयोग की जा रही हैं, उपभोग को भारित औसत आधार पर बुक किया गया। लेकिन वास्तविक परिदृश्य को देखते हुए एएएएल में समान प्रकार के विमान होने के कारण, उपभोग को 2023–24 से फीफो आधार पर बुक किया गया जिसके लिए वित्तीय अनुमोदन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को लेखा नीति में परिवर्तन की पूर्व स्वीकृति दी गई।

चूंकि लैमिनार प्रणाली प्रक्रिया में है, सभी खरीद और उपभोग को इनवेंटरी मॉड्यूल में बुक किया गया है, लेकिन एमएमडी प्रणाली (लैमिनार) में तकनीकी खराबी के कारण, प्रणाली स्पेयर के यूएसडी मूल्य का आरओई (एक्सचेंज दर) सह संबंधित नहीं कर सकी, वास्तविक आईएनआर आंकड़ा लैमिनार प्रणाली में नहीं दर्शाया गया है। इसलिए वास्तविक आईएनआर आंकड़े पर पहुंचने के लिए, एएएएल ने लैमिनार की स्थापना के बाद से खरीदी गई सभी इनवेंटरी को प्लॉट किया और आरओई पर विचार करने के बाद माहवार खरीद और उपभोग का आंकड़ा निकाला गया, ताकि वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके। निवल प्रभाव 2022–23 के लिए 10 मिलियन रु. है जिसे 2023–24 में एसएपी में अतिरिक्त रूप से खरीद के रूप में बुक किया गया है और यह वर्तमान में लैमिनार मॉड्यूल और एसएपी में वित्तीय आंकड़ों के साथ समान है। राशि की महत्वता को ध्यान में रखते हुए और एएएएल की लेखांकन नीति (बिन्दु संख्या XX) के आधार पर, प्रभाव को 2023–24 में दर्शाया गया है। राशि सीमा के भीतर है और तदनुसार पिछले वर्ष के खाते फिर से बहाल नहीं किए गए हैं।

कंपनी की नीति के अनुसार, इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन किया गया और 31 मार्च 2024 को स्टॉक में पाई गई मदों की तुलना लैमिनार सिस्टम में उत्पन्न सूची से की गई, जिसे संबंधित विनिमय दर पर भी मूल्यांकित किया गया।

स्टॉक में वास्तविक रूप से नहीं पाई गई मदों को भी ध्यान में रखा गया है और वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय विवरणों में 170.07 मिलियन रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।

2023–24 के दौरान एएएएल में किए गए प्रावधान और खपत के रूप में दर्शाए गए विवरण निम्नलिखित हैं:

पिछले 2 वर्षों के लिए एसएपी के अनुसार इनवेंटरी शेष (राशि मिलियन रु.में)

विवरण	2022-23	2023-24
प्रारंभिक शेष		
लैगेसी एआई सिस्टम (रैमको)	437.58	254.09
एएएएल एमएमडी सिस्टम (लैमिनार)		186.15
कुल	**437.58**	**440.24**
क्रय		
लैगेसी एआई सिस्टम (रैमको)	59.30	
एएएएल एमएमडी सिस्टम (लैमिनार)	292.90	270.85
कुल	**352.20**	**270.85**
खपत		
लैगेसी एआई सिस्टम (रैमको)	-192.94	-90.56
एएएएल एमएमडी सिस्टम (लैमिनार)	-18.50	-192.47
कुल	**-211.44**	**-283.03**
शेष स्टॉक		
लैगेसी एआई सिस्टम (रैमको)	303.94	163.53
एएएएल एमएमडी सिस्टम (लैमिनार)	274.40	264.53
कुल	**578.34**	**428.06**
घटाः रोटेबल में स्थानान्तरण		
लैगेसी एआई सिस्टम (रैमको)	-2.86	0.00
एएएएल एमएमडी सिस्टम (लैमिनार)	-88.25	0.00
कुल	**-91.11**	**0.00**
रोटेबल में स्थानांतरण के शेष स्टॉक	**487.23**	**428.06**
घटाः कमी का प्रावधान		
लैगेसी एआई सिस्टम (रैमको)	46.99	
एएएएल एमएमडी सिस्टम (लैमिनार)		
कमी प्रावधान के पश्चात अंतशेष		
लैगेसी एआई सिस्टम (रैमको)	254.09	163.53
एएएएल एमएमडी सिस्टम (लैमिनार)	186.15	264.53
कुल	**440.24**	**428.06**
एसएपी में वास्तविक सत्यापन के पश्चात उपलब्ध इनवेंटरी का मूल्य		
लैगेसी एआई सिस्टम (रैमको)		146.64
एएएएल एमएमडी सिस्टम (लैमिनार)		111.35
कुल		***257.99***
लैमिनार और रैमको के अनुसार निवल कमी (वित्तीय वर्ष 2023–24 में एसएपी में अतिरिक्त प्रावधान बुक किया गया)		**170.07**

वित्त वर्ष 2023–24 में इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन पर 170.07 मिलियन रु. की कमी का पता लगाया गया और इसके अलावा 47.00 मिलियन रु. सृजित कर पूर्व प्रावधान भी किया गया। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान प्रबंधन ने इसके कारण की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी के निष्कर्षों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, कमी के संबंध में आगे की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और तदनुसार आगे की लेखांकन कार्रवाई, यदि कोई हो, वित्त वर्ष 2024–25 में की जाएगी।

ग) पुष्टि / समाधान

1) कंपनी ने प्रमुख प्राप्तियों, भुगतानों के लिए शेष राशि की पुष्टि मांगी है। जहां भी पार्टियों द्वारा पुष्टिकृत शेष राशि बहियों के अनुसार सही नहीं है वहां अंतर के समाधान की प्रक्रिया जारी है।

अपुष्टिकृत शेष का विवरण निम्नानुसार सारणीबद्ध है: **(राशि मिलियन रु. में)**

खाता शीर्ष	पुस्तकों के अनुसार शेष राशि	शेष अपुष्ट राशि	अपुष्ट राशि का%
व्यापार देय	15,923.18	1,123.08	7.05%
व्यापार प्राप्य	516.34	3.89	0.75%

2) 31 मार्च 2024 को शेष पुष्टिकरण प्रमाण पत्र सभी विक्रेताओं और ग्राहकों को भेज दिए गए हैं। विक्रेताओं के मामले में कुल राशि के मामले में 92.95% (पिछले वर्ष 97.43%) से पुष्टि प्राप्त हो गई है और ग्राहकों के मामले में सभी पार्टियां सरकारी विभाग/मंत्रालय हैं और 31 मार्च 2024 तक कुल देय राशि का 99.25% (पिछले वर्ष 96.63%) की पुष्टि है।

3) 110.31 मिलियन रु. की राशि आपूर्तिकर्ता सस्पेंस लेज़र के बही खातों पर शेष है। जीआरएन और पीओ से संबंधित आपूर्तिकर्ता रैमको, सस्पेंस लेज़र का समाधान और मिलान प्रक्रियाधीन है और 2024–25 के दौरान आवश्यक लेखांकन कार्रवाई की जाएगी।

4) प्रबंधन का मत है कि समाधान के बाद समायोजन का लाभ और हानि खाते विवरणी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

31. आंतरिक नियंत्रण

विनियामक और संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ निगमित प्रशासन का उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए, कंपनी के पास व्यवसाय के सुचारू और कुशल प्रचालन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रिया है। सुचारू रुप से निर्णय लेने के लिए व्यापक रुप से शक्तियों का प्रत्यायोजन मौजूद है जो कि बदलते व्यवसायिक वातावरण और त्वरित निर्णय लेने के अनुरुप आवधिक समीक्षा करता है। समान रुपी अनुपालन के लिए खातों को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का लगातार पालन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जॉचें और बकाया सही है, सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उचित हैं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की स्वतंत्र फर्म द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की जा रही है। इसके अलावा आंतरिक लेखा परीक्षक के दायरे की समय–समय पर प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और उपयोगकर्ता विभागों और एसएपी में लेन–देन की एक समान और समयबद्ध लेखा प्रविष्टियों के लिए प्रमावी आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर कड़ी नजर रखने हेतु कम्पनी के अलावा लेखा परीक्षा समिति है। एमएमडी और राजस्व लेखांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले बाहरी मॉड्यूल की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और प्रबंधन द्वारा सही वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके पाई गई कमी का निपटान किया जाता है।

एलाइंस एअर ने 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी नया एसएपी पहले ही लागू कर दिया है। वर्ष 2023–24 के दौरान सभी लेनदेन को नए एसएपी में दर्ज किया गया है। 31 मार्च 2023 तक सभी सामान्य बहीखातों का अंत शेष फ्रीज कर दिया है और इसे वित्त वर्ष 2023–24 के लिए नए एसएपी में प्रारंभिक शेष के रूप में माईग्रेट किया जाएगा।

01.04.2013 से 31.03.2023 तक सभी लेनदेन को संदर्भ उद्देश्य के लिए बैकअप क्लाउड सर्वर में रखा गया है।

32. इनवेंटरी

1. इनवेंटरी में मुख्य रूप से विमान के पूर्जे और उपभोग्य वस्तुएं और एटीआर और डीओ 228 विमान के उपकरण शामिल हैं। एटीआर और डीओ 228 विमानों में विशेष उपयोग के लिए पूर्जों को इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से खरीदा जा रहा है और लैमिनार सिस्टम नामक इनवेंटरी प्रबंधन माड्यूल की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है, संपूर्ण एएएल नेटवर्क के इनवेंटरी प्रबंधन को लैमिनार सिस्टम के एलआईएमएस (लॉजिस्टिक्स और इनवेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम) मॉड्यूल के माध्यम से क्रय आदेश, जीआरएन, जारी करने, स्टॉक जांच जैसे विभिन्न लेनदेन द्वारा नियंत्रित किया गया है।

2. लैमिनार और एसएपी के बीच इंटरफेस को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस इंटरफेस के कार्यान्वयन के पश्चात् लैमिनार में होने वाले सभी लेनदेन अब इंटरफेस के माध्यम से सीधे एसएपी में किए जाएगें।

3. वर्ष के अंत में इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन किया गया।

4. विमान के पूर्जे मुख्य रूप से ओईएम से खरीदे जाते हैं और पूर्जों की वैधता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान एमएमडी मॉड्यूल में समाप्त समय सीमा के भीतर पूर्जों के अधिकतम उपयोग के लिए फीफो आधार पर जारी किया जा रहा है। एअर इंडिया के विनिवेश तक, इनवेंटरी की खपत से संबंधित एएएल की लेखांकन नीति होल्डिंग कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप थी क्योंकि आमतौर पर एलाइंस एअर और एआई दोनों के लिए बनाए गए इनवेंटरी पूल में कई आइटम विभिन्न विमानों पर एक साथ उपयोग किए जाते थे। उसी के कारण, इनवेंटरी की खपत भारित औसत आधार पर बुक की गई। एअर इंडिया के विनिवेश के बाद, एएएल के बेड़े में केवल एक प्रकार के विमान (एटीआर) हैं और सूची भी विमान विशिष्ट है। इनवेंटरी की एक निश्चित शेल्फ लाइफ भी होती है और वैधता अवधि के भीतर इनवेंटरी को अधिकतम सीमा तक उपयोग करने के लिए, इनवेंटरी जारी करने पर फीफो आधार पर विचार किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए लैमिनार एमएमडी मॉड्यूल भी कॉन्फिगर किया गया है कि इनवेंटरी की खपत केवल फीफो आधार पर ही होगी।

   हालाँकि, 2023–24 से पहले, चूंकि रैमको और लैमिनार सिस्टम एक साथ लागू थे, वर्तमान अवधि के साथ तुलनीयता प्राप्त करने के लिए पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक जानकारी को समायोजित करना अव्यावहारिक है क्योंकि पूर्व अवधि के दौरान डेटा इस तरह से एकत्र किया जा रहा था कि जानकारी को फिर से बनाने के लिए नई लेखांकन नीति का पूर्वव्यापी अनुप्रयोग अव्यावहारिक है। इसके अतिरिक्त, लेखांकन नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू करते समय या पूर्वव्यापी पुनर्कथन करते समय अनुमान लगाना संभावित रूप से अधिक कठिन होता है, क्योंकि प्रभावित लेनदेन, अन्य घटनाओं या स्थितियों के घटित होने के बाद लंबी अवधि बीत चुकी होगी।

   इसके अलावा, अधिकांश इनवेंटरी पिछले वर्ष एलाइंस एअर में लैमिनार सिस्टम के माध्यम से खरीदी और उपभोग की गई थी और लैमिनार सिस्टम को फीफो पद्धति पर उपभोग रिकॉर्ड करने के लिए कॉन्फिगर किया गया है, लेखांकन नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप पुनर्कथन का वित्तीय पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा। 31.03.2024 तक वास्तविक सत्यापन निष्कर्षों और इनवेंटरी के समापन स्टॉक के आधार पर अप्रचलन का प्रावधान किया गया है।

33. बैलेंस शीट तिथि के पश्चात् होने वाली घटना

क. दिनांक 23 अप्रैल 2024 को शॉर्ट सर्किट के कारण एएएल के कैमो कार्यालय में आग लग गई। परिसर लीज़ पर था और कार्य के रूप में अस्थायी संरचना एअर इंडिया से विरासत में मिली थी। कंप्यूटर सिस्टम सहित परिसंपत्ति आग में नष्ट हो गई, जिसकी बुक वैल्यू लगभग रु. 0.07 मिलियन थी। वित्त वर्ष 2024–25 में आवश्यक लेखांकन प्रभावित होगा।

ख. <u>व्हिसलब्लोअर शिकायत और लंबित जांच</u>

जून 2024 में, तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के खिलाफ कुछ आरोपों के संबंध में अध्यक्ष के पास एक व्हिसलब्लोअर शिकायत दर्ज की गई। इन्हीं आरोपों के आधार पर मामले की जांच के लिए कार्यालय आदेश संख्या दिनांक 10.06.2024 के तहत एक आंतरिक समिति का गठन किया गया। समिति ने 15 जुलाई 2024 को अपनी रिपोर्ट सीईओ और तत्पश्चात् अध्यक्ष को सौंपी।

फिलहाल मामले की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। जब तक सतर्कता विभाग अपना निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं कर देता, तब तक कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता।

<u>लेखांकन उपचार और अनुपालन</u>

तत्कालीन सीएफओ को बोर्ड की मंजूरी के बिना भुगतान किए गए 0.21 मिलियन रु. की वेतन की वसूली के लिए एक प्रावधान बनाया गया है।

फर्जी चालान के आधार पर मैसर्स एलीवायर्ड सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को कथित भुगतान के संबंध में "बकाया वसूली" श्रेणी के तहत 4.85 मिलियन रुपये की राशि सृजित कर संभावित वसूली के लिए प्रावधान बनाया गया है।

दोनों प्रावधानों को अन्य चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इवेंट इंड एएस 10 (रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं) के तहत एक समायोजन इवेंट के रूप में योग्य है। प्रावधानों को समायोजित किया जाएगा, और सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

ग. <u>वित्तीय विवरणों का अनुमोदन एवं हस्ताक्षर</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों सहित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिएः–

i. कंपनी का अध्यक्ष, यदि बोर्ड द्वारा अधिकृत है;

ii. दो निदेशक एक प्रबंध निदेशक होगा (यदि लागू हो);

iii. मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ);

iv. मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ); और

v. कंपनी सचिव, जहां नियुक्त किया गया।

इस संबंध में:

- <u>सीएफओ पद</u>: श्री अंबर मंडल, तत्कालीन सीएफओ, 31.07.2024 से पद पर नहीं रहे। कंपनी नए सीएफओ की भर्ती की प्रकिया में है।
- <u>सीईओ पद</u>: श्री विनीत सूद, तत्कालीन सीईओ ने 21.09.2024 को सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया।

इसके पश्चात् नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएएसएल) के सीईओ श्री रामबाबू सी. को 21.09.2024 से एलाइंस एअर के सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

तद्नुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किए गए हैं:–

- अध्यक्ष (बोर्ड द्वारा प्राधिकृत);
- निदेशक;
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ); और
- कंपनी सचिव

34 एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ समाधान की स्थिति

1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ समाधान किया जा चुका है और 31.3.2024 तक समाधान किया गया है।

2) बीआईएएल, डीआईएएल, एचआईएएल और एमआईएएल के साथ खातों का समाधान 31.03.2024 तक कर लिया गया है।

35. इंड–एएस 108 के अनुसार प्रकटीकरण ''ऑपरेटिंग सेगमेंट''

क. इंड एएस–108 के अनुसार, कंपनी एयरलाइन से संबंधित व्यवसाय में है, जो इसका प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट है और इसलिए सेगमेंट के परिणाम अलग से प्रकट नहीं किए गए हैं। भौगोलिक क्षेत्रवार अर्जित सकल यात्री राजस्व का विवरण (जिस क्षेत्र से यात्री ने यात्रा प्रारंभ की है, उस क्षेत्र में राजस्व आवंटित करके व्युत्पन्न) निम्नानुसार हैं:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2023–24**	**वित्तीय वर्ष 2022–23**
भारत	9,522.79	10,959.06
भारत से बाहर	24.87	25.12
कुल	**9,547.66**	**10,984.18**

कंपनी की प्रमुख राजस्व आय परिसंपत्ति, विमान बेड़ा है, जो कम्पनी के रूट नेटवर्क में लचीले और अनुकूलतम रूप से तैनात है। भौगोलिक सेगमेंट में परिसंपत्तियों और देयताओं के आबंटन के लिए कोई उपयुक्त आधार नहीं है, इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रवार संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा नहीं किया गया है।

36. इंड–एएस 24 के अनुसार प्रकटीकरण ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण''

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–24) के अनुसार वर्ष 2023–24 के दौरान आवश्यक संबंधित पार्टियों के नाम और पदनामों का विवरण नीचे दिया गया है।

1. **प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी**

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन

i) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को पारिश्रमिक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी

क. निदेशक मंडल, एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड (एएएल) (पूर्व में एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड) (वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि से आज तक)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समापन की तिथि
1	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	अध्यक्ष	01/03/2023	31/12/2023
2	श्री असंगबा चुबा आओ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	अध्यक्ष	29/02/2024	आज तक
3	श्री असंगबा चुबा आओ संयुक्त सचिव, डीटी डिवीज़न, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	18/01/2023	आज तक
4	श्री प्रांजोल चन्द्रा निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	11/02/2022	13/12/2024
5	श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	18/01/2023	आज तक
6	श्रीमती न्योनिका दत्ता संयुक्त निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक	12/02/2024	आज तक
7	श्री रोहित राज निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक*	13/12/2024	आज तक

*निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने की तिथि से नियुक्ति प्रभावी होगी।

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और संबंधी (वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि से आज तक)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समापन की तिथि
1.	श्री विनीत सूद	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	31/07/2021	21/09/2024
2.	श्री रामबाबू सी.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	21/09/2024	आज तक
3.	श्री अम्बर कुमार मंडल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	26/07/2019	31/07/2024
4.	सुश्री शिल्पा भाटिया	कम्पनी सचिव	14/01/2022	आज तक

ग. संबंधित पार्टियां:

i. इंड एएस 24 के संदर्भ में, निम्नलिखित संबंधित पार्टियां हैं जो पार्टियां (सरकार) हैं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार):

नाम	संबंधों की प्रकृति	नियंत्रण / प्रभाव
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)	होल्डिंग कम्पनी	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली इकाई
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड	सहयोगी संस्था (एआईएएचएल की सहायक कम्पनी)	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव / नियंत्रण नहीं है।
एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	सहयोगी संस्था (एआईएएचएल की सहायक कम्पनी)	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव / नियंत्रण नहीं है।
भारतीय होटल निगम लिमिटेड	सहयोगी संस्था (एआईएएचएल की सहायक कम्पनी)	इकाई का कम्पनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव / नियंत्रण नहीं है।

घ. संबंधित पार्टी लेनदेन

i. वर्ष 2023–24 के दौरान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 4.06 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष: 4.01 मिलियन रुपये) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी को 1.90 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष: 1.79 मिलियन रुपये) और कम्पनी सचिव को 1.00 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष: 0.80 मिलियन रुपये) से पारिश्रमिक और अनुलब्धियों को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

ii. एयरलाइन व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों में एयरलाइन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने जैसे लेनदेन उपरोक्त में शामिल नहीं हैं।

iii. वर्ष के अंत में कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई ऋण या क्रेडिट लेनदेन बकाया नहीं था।

iv. इंड एएस 24 के संबंध में, कुछ सरकारी संबंधित संस्थाओं यानी महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाएं (भारत सरकार) और गैर सरकारी संबंधित पार्टियोंके साथ लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं।

ङ. लेनदेन विवरण – संबंधित पार्टी

1. मूल कम्पनी एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) एवं एआईएएचएल के अन्य सहायक कम्पनी

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति क) एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल)	2023–2024 (राशि मिलियन रु. में)	2022–2023 (राशि मिलियन रु. में)
व्यय		
स्थान प्रभार	2.84	2.03
ब्याज	2,412.06	2,154.49
अंतशेष (क्रेडिट)*	**29,169.58**	**26,711.28**

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति ख) भारतीय होटल निगम लिमिटेड	2023–2024 (राशि मिलियन रु. में)	2022–2023 (राशि मिलियन रु. में)
<u>व्यय</u>		
होटल आवास	3.50	1.67
आय	0.07	(1.42)
अंतशेष (क्रेडिट)*	**0.49**	**(1.03)**

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति ग) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेस लि. (एआईईएसएल) पूर्व में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लि.	2023–2024 (राशि मिलियन रु. में)	2022–2023 (राशि मिलियन रु. में)
<u>व्यय</u>		
मरमत्त अन्य	566.45	559.58
मानव शक्ति	10.85	26.84
प्रशिक्षण	-	0.28
एएएल द्वारा एसओडी बिलिंग	-	-
ब्याज	210.77	172.81
अंतशेष (क्रेडिट)*	**2,584.75**	**2,302.60**

संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति घ) एआई एयरपोर्ट सर्विसेस लि. (एआईएएसएल) पूर्व में एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लि.	2023–2024 (राशि मिलियन रु. में)	2022–2023 (राशि मिलियन रु. में)
<u>व्यय</u>		
हैंडलिंग प्रभार	312.68	282.06
क्रेडिट प्राप्त हुआ		
आय	(4.43)	(4.27)
ब्याज	114.95	94.53
अंतशेष (क्रेडिट)*	**1,378.91**	**1,284.03**

*वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान सहित अंतशेष

2. भविष्य निधि ट्रस्ट के साथ लेन–देन (राशि मिलियन रु. में)

विवरण	2023–24		2022–23	
	वर्ष के दौरान पीएफ योगदान	31.3.2024 को देय	वर्ष के दौरान पीएफ योगदान	31.3.2023 को बकाया
एएएसएल पीएफ ट्रस्ट	**20.58**	**-**	**20.73**	**4.11**

3. संबंधित सरकारी संस्थाओं से प्रमुख लेनदेन

संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ कंपनी के राजस्व और व्यय के प्रमुख लेनदेन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

(राशि मिलियन रु. में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	2023–24	2022–23
	व्यय		
i)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (स्थान सहित)	**284.92**	297.54
ii)	तेल कंपनियाँ		
	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	**2,018.66**	2390.74
	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	**504.06**	666.19
	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	**480.54**	594.29
	राजस्व		
i)	**सरकार से प्रचालन हेतु सब्सिडी**		
	भारत सरकार	**3,237.36**	3,659.93
ii)	**चार्टर राजस्व – अन्य**		
	भारत सरकार	**14.49**	4.16

नोटः सरकार/सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेन–देन में वे लेन–देन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने, अन्य सरकार संबंधित संस्थाओं के साथ भी अन्य लेनदेन किया है। तथापि, ये लेनदेन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

37. कर्मचारी लाभ

कंपनी भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंड एएस 19 के अनुसार, स्वतंत्र एक्चूरीज़ द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र तिथि के अनुसार ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है।

क. सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी का नकदीकरण सभी योग्य कर्मचारियों को देय है। कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की उच्च दर को ध्यान में रखते हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए नकदीकरण देयता **(4.49) मिलियन** रु. (पिछले वर्ष 1.80 मिलियन रुपये) है।

ख. परिमाषित लाभ योजना–

1) भविष्य निधि (फंडेड)

कंपनी पूर्वनिर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट को भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर का भुगतान सुनिश्चित करे।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास योजना से रिफंड के रूप में या बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित 21 मिलियन रुपये के शुद्ध अधिशेष के

लिए योजना में भविष्य में कम योगदान के रूप में लाभों का कोई अधिकार नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने अधिशेष को एक परिसंपत्ति के रूप में और 'अन्य व्यापक आय' में बीमांकिक लाभ के रूप में मान्यता नहीं दी है, क्योंकि यह भविष्य निधि ट्रस्ट से संबंधित है न कि कंपनी से।

वर्ष के दौरान, 32 कर्मचारियों की पीएफ कटौती नहीं की गई और जून, 2024 माह में 31,908 रुपए की कटौती करके पीएफ ट्रस्ट में स्थानांतरित की गई।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, तुलन पत्र की तारीख पर निम्न तालिका भविष्य निधि योजना की स्थिति निर्धारित करती है।

परिसंपत्तियां / देयताएं		31/03/2024	31/03/2023
क	वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	511,902,718	471,608,047
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	533,370,147	502,326,287
ग	**निवल परिसंपत्तियां / (देयताएं) तुलन पत्र में मान्य प्रावधान**	21,467,429	30,718,240

दायित्व के वर्तमान लाभ में परिवर्तन

		31/03/2024	31/03/2023
क	अवधि के आरंभ में दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	471,608,047	420,471,990
ख	ब्याज लागत	34,657,498	29,102,281
ग	चालू सेवा लागत	20,595,124	20,726,677
घ	योजना प्रतिभागियों / कर्मचारियों द्वारा योगदान	25,952,677	26,650,434
ङ.	लाभ भुगतान	(29,370,517)	(23,421,138)
च	दायित्व पर कुल एक्चूरियल (लाभ) / हानि में परिवर्तन	(11,540,111)	(1,922,197)
छ	निपटान / स्थानान्तरण में	--	0
ज	**अवधि के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**	511,902,718	471,608,047

योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन

		31/03/2024	31/03/2023
क	अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	502,326,287	420,698,749
ख	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	35,288,658	57,671,565
ग	नियोक्ता का अंशदान	20,595,124	20,726,677
घ	योजना प्रतिभागियों / कर्मचारियों का अंशदान	25,952,677	26,650,434
ङ.	लाभ भुगतान	(29,370,517)	(23,421,138)
च	निपटान / स्थानान्तरण में	--	--
छ	**अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य**	533,370,147	502,326,287

2) **ग्रेच्यूटी (अनफंडेड)**

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है जो अनफंडेड है और इसे अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई के रूप में पहचानता है और अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। ग्रेच्यूटी का भुगतान कंपनी द्वारा देय होने पर और कम्पनी योजना के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई योजना संशोधन, कटौती या समझौते नहीं थे।

निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

क) परिभाषित लाभ दायित्व के शेष का समाधान

2.1 (क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को सारणी में दर्शाया गया है:

अवधि	**01–04–2023 से 31–03–2024 तक**	**01–04–2022 से 31–03–2023 तक**
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	8,06,17,906	7,46,69,924
ब्याज लागत	60,46,343	54,13,570
चालू सेवा लागत	76,87,146	1,04,76,509
पूर्वसेवा लागत	0	0
लाभ भुगतान (अन्य कोई)	(85,54,465)	(19,28,078)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(1,46,26,194)	(80,14,019)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,11,70,736	8,06,17,906

2.1 (ख) देयताओं पर कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि का विभाजन

अवधि	**01–04–2023 से 31–03–2024 तक**	**01–04–2022 से 31–03–2023 तक**
जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(79,74,039)	(20,13,526)
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(66,52,155)	(60,00,493)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	(1,46,26,194)	(80,14,019)

2.2 प्रमुख परिणाम (तुलन पत्र में मान्य राशि)

अवधि	**31–03–2024 को**	**31–03–2023 को**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,11,70,736	8,06,17,906
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
कुल देयताएं/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण	7,11,70,736	8,06,17,906
वित्तीय स्थिति – अधिशेष/(घाटा)	(7,11,70,736)	(8,06,17,906)

2.3 (क) लाभ और हानि विवरणी में मान्य व्यय

अवधि	01–04–2023 से 31–03–2024 तक	01–04–2022 से 31–03–2023 तक
ब्याज लागत	60,46,343	54,13,570
चालू सेवा लागत	76,87,146	1,04,76,509
पूर्व सेवा लागत	0	0
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन	(0)	(0)
लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना	1,37,33,488	1,58,90,079

2.3 (ख) अन्य व्यापक (आय)/व्यय (पुनःमापन)

अवधि	01–04–2023 से 31–03–2024 तक	01–04–2022 से 31–03–2023 तक
संचित मान्य एक्चूरियल (लाभ)/हानि आरंभिक शेष अग्रेषित	(2,66,63,257)	(1,86,49,238)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि – दायित्व	(1,46,26,194)	(80,14,019)
एक्चूरियल (लाभ)/हानि – योजना परिसम्पत्तियां	0	0
कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(1,46,26,194)	(80,14,019)
कुल संचित एक्चूरियल (लाभ)/हानि सी/एफ	(4,12,89,451)	(2,66,63,257)

2.3 (ग) निवल ब्याज लागत

अवधि	01–04–2023 से 31–03–2024 तक	01–04–2022 से 31–03–2023 तक
निर्धारित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	60,46,343	54,13,570
योजना परिसम्पत्तियों पर ब्याज आय	0	0
निवल ब्याज लागत (आय)	60,46,343	54,13,570

2.4 अनुभव समायोजन

अवधि	01–04–2023 से 31–03–2024 तक	01–04–2022 से 31–03–2023 तक
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(66,52,155)	(60,00,493)
योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि)	0	0

3.1 मूल्यांकन की तिथि को सदस्यता डाटा और उसके आधार पर सांख्यिकी का सारांश

अवधि	31–03–2024 को	31–03–2023 को
कर्मचारियों की संख्या	865	909
कुल मासिक वेतन	1,78,82,219	1,89,90,869
औसतन विगत सेवाएं (वर्ष)	6.7	6.6
औसतन भावी सेवाएं (वर्ष)	22.3	22.2
औसत आयु (वर्ष)	37.7	37.8

अवधि	31–03–2024 को	31–03–2023 को
वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर)	14	15
औसत मासिक वेतन	20,673	20,892
कमी (वर्षों) को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित भावी सेवा	865	16

3.2 कंपनी द्वारा प्रदान की गई एक्च्युरियल मान्यताएं और गणनाओं के लिए निम्नानुसार लागू हैं:

डिस्काउंट दर	7.10% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	6.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012–14	आईएएलएम 2012–14
नौकरी छोड़ने वाले/निकासी दर (प्रति वर्ष)	18.00% प्रति वर्ष	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)		3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)		2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)

3.3 महत्वपूर्ण लाभ:

सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन	अन्तिम क्वालिफाइंग वेतन
निहित अवधि	5 वर्ष की सेवा	5 वर्ष की सेवा
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	15/26* वेतन* विगत सेवा (वर्ष)	15/26* वेतन* विगत सेवा (वर्ष)
मृत्यु और विकलांगता के कारण जल्दी कार्यमुक्ति पर लाभ	ऊपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है।	ऊपर के अलावा कोई भी निहित स्थिति लागू नहीं होती है।
सीमा	20,00,000.00	20,00,000.00

3.4 चालू देयताएं ('कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान):

अवधि	31–03–2024 को	31–03–2023 को
चालू देयताएं (लघु अवधि)*	1,47,64,984	34,39,871
गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)	5,64,05,752	7,71,78,035
कुल देयताएं	7,11,70,736	8,06,17,906

3.5 इकाई के भविष्य के नकदी प्रवाह पर योजना के प्रभाव

3.5 (क) वित्त प्रबंधन और वित्तीय पोषण नीति–

लागू नहीं

3.5 (ख) आगामी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संभावित योगदान

आगामी वर्ष के दौरान कंपनी के योगदान का सर्वोत्तम अनुमान	96,68,854	1,14,16,844

3.5 (ग) परिभाषित लाभ दायित्व की मैच्यूरिटी प्रोफाइल–भारित औसत

भारित औसत अवधि वर्ष में (डिस्काउंटेड नकद प्रवाह पर आधारित)	14	15

3.5 (घ) परिभाषित लाभ दायित्व की मैच्यूरिटी प्रोफाइलः लाभ दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण।

01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025	1,47,64,984
01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026	61,17,726
01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027	57,25,444
01 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028	49,15,593
01 अप्रैल 2028 से 31 मार्च 2029	68,95,443
01 अप्रैल 2029 से आगे	3,27,51,546

3.6 अगली अवधि के लिए प्रक्षेपणः

अगली अवधि के दौरान योगदान के लिए सर्वोत्तम अनुमान	96,68,854

3.7 संवेदनशीलता विश्लेषणः परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं, छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर हैं। मृत्यु दर में परिवर्तन का प्रभाव नगण्य है। कृपया नोट करें, नीचे प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैः

अवधि	31–03–2024 को
परिभाषित लाभ दायित्व (आधार)	7,11,70,736 / वेतन वृद्धि दरः 6% और डिस्काउंट दरः 7.1%
देयताएं –डिस्काउंट दर में x% वृद्धि सहित	6,83,05,258; x=1.00% [परिवर्तन (4)%]
देयताएं –डिस्काउंट दर में x% कमी सहित	7,42,77,648; x=1.00% [परिवर्तन 4%]
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में x% वृद्धि सहित	7,42,80,592; x=1.00% [परिवर्तन 4%]
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में x% कमी सहित	6,82,51,395; x=1.00% [परिवर्तन (4)%]
देयताएं –निकासी दर में x% वृद्धि सहित	7,11,62,062; x=1.00% [परिवर्तन 0%]
देयताएं –निकासी दर में x% कमी सहित	7,11,72,449; x=1.00% [परिवर्तन 0%]

3.8 तुलन पत्र में देयता का समाधान

अवधि	01–04–2023 से 31–03–2024	01–04–2022 से 31–03–2023
प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	8,06,17,906	7,46,69,924
लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय	1,37,33,488	1,58,90,079
ओसीआई–एक्च्यूरियल (वृद्धि)/हानि– कुल वर्तमान अवधि	(1,46,26,194)	(80,14,019)
लाभ देय (यदि कोई हो)	(85,54,465)	(19,28,078)
अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	7,11,70,736	8,06,17,906

3) छुट्टी नकदीकरण (अनफंडेड)

कंपनी की भारत में परिभाषित लाभ छुट्टी योजना (अनफंडेड) है जिसे अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में माना जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व भविष्य में तय किए जाने वाले लाभ की राशि है, जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछले वर्षों में अपनी सेवा के बदले अर्जित किया है। इसका वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए लाभ में छूट दी गई है। दायित्व को अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है।

2.1 (क) वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन को सारणी में दर्शाया गया है:

अवधि	01–04–2023 से 31–03–2024 तक	01–04–2022 से 31–03–2023 तक
अवधि के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3,71,56,834	3,53,53,415
ब्याज लागत	27,86,763	25,63,123
चालू सेवा लागत	41,83,502	58,61,124
लाभ भुगतान (अन्य कोई)	(54,77,346)	0
एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(1,14,56,287)	(66,20,828)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,71,93,466	3,71,56,834

2.1 (ख) देयताओं पर कुल एक्चूरियल (लाभ)/हानि का विभाजन

अवधि	01–04–2023 से 31–03–2024	01–04–2022 से 31–03–2023
जनसांख्यिकी मान्यताओं में परिवर्तन (मृत्यु दर) से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से एक्चूरियल (लाभ)/हानि	(24,99,929)	(9,59,206)
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(89,56,358)	(56,61,622)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	(1,14,56,287)	(66,20,828)

2.2 प्रमुख परिणाम (तुलन पत्र में मान्य राशि)

अवधि	31–03–2024 को	31–03–2023 को
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,71,93,466	3,71,56,834
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0	0
कुल देयताएं/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्य और संबंधित विश्लेषण	2,71,93,466	3,71,56,834
वित्तीय स्थिति–अधिशेष/(घाटा)	(2,71,93,466)	(3,71,56,834)

2.3 (क) लाभ और हानि की विवरणी में मान्य व्यय

अवधि	01–04–2023 से 31–03–2024 तक	01–04–2022 से 31–03–2023 तक
ब्याज लागत	27,86,763	25,63,123
चालू सेवा लागत	41,83,502	58,61,124
नियोजित परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिर्टन	(0)	(0)
निवल एक्चूरियल (लाभ)/हानि की अवधि में मान्य	(1,14,56,287)	(66,20,828)
लाभ एवं हानि में व्ययों को मान्य करना	(44,86,022)	18,03,419

2.4 अनुभव समायोजन

अवधि	01–04–2023 से 31–03–2024 तक	01–04–2022 से 31–03–2023 तक
योजना देयताएं हेतु अनुभव समायोजन (लाभ)/हानि	(89,56,358)	(56,61,622)
योजना परिसम्पत्तियों हेतु अनुभव समायोजन लाभ/(हानि)	0	0

3.1 मूल्यांकन की तिथि को सदस्यता डाटा और उसके आधार पर सांख्यिकी का सारांश

अवधि	31–03–2024 को	31–03–2023 को
कर्मचारियों की संख्या	865	909
कुल मासिक वेतन	1,78,82,219	1,89,90,869
औसतन विगत सेवाएं (वर्ष)	6.7	6.6
औसतन भावी सेवाएं (वर्ष)	22.3	22.2
औसत आयु (वर्ष)	37.7	37.8
कैप के साथ/कैप रहित कुल अवकाश	37,892/37,892	45,248/45,248
कुल सीटीसी/ उपलब्ध दर	3,57,64,438 / 3%	3,79,81,738 / 3%
वर्षों में भारित औसत अवधि (रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर)	15	17
औसत मासिक वेतन	20,673	20,892

3.2 कंपनी द्वारा प्रदान की गई बीमांकिक मान्यताओं और गणनाओं के लिए नियोजित किया गया।

डिस्काउंट दर	7.10% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	6.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आइएएलएम 2012–14	आइएएलएम 2012–14
नौकरी छोड़ने/निकासी दर (प्रति वर्ष)	18.00% प्रति वर्ष	5.00% प्र.व. (18 से 30 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)		3.00% प्र.व. (30 से 44 वर्ष)
निकासी दर (प्रति वर्ष)		2.00% प्र.व. (44 से 60 वर्ष)

3.3 महत्वपूर्ण लाभः

सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
वेतन	कम्पनी के नियमानुसार	कम्पनी के नियमानुसार
सामान्य सेवानिवृत्ति पर लाभ	1/30 *वेतन *छुट्टियों की संख्या	1/30 *वेतन *छुट्टियों की संख्या
शीघ्र कार्यमुक्त होने पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार
मृत्यु पर लाभ	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार	उपरोक्तानुसार, कम्पनी के नियमानुसार

3.4 चालू देयताएं (*कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अगले वर्ष में अपेक्षित भुगतान):

अवधि	**31–03–2024 को**	**31–03–2023 को**
चालू देयताएं (लघु अवधि)*	58,26,776	17,70,868
गैर चालू देयताएं (दीर्घावधि)	2,13,66,690	3,53,85,966
कुल देयताएं	**2,71,93,466**	3,71,56,834

3.5 संवेदनशीलता विश्लेषणः परिभाषित लाभ दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएं, छूट दर और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर हैं। मृत्यु दर में परिवर्तन का प्रभाव नगण्य है। कृपया नोट करें, नीचे प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण, परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणा में परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

अवधि	31–03–2024 को
परिभाषित लाभ दायित्व (आधार)	2,71,93,466
देयताएं –डिस्काउंट दर में x% वृद्धि सहित	2,60,71,558; x=1.00% [परिवर्तन (4)%]
देयताएं –डिस्काउंट दर में x% कमी सहित	2,84,11,967; x=1.00% [परिवर्तन 4%]
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में x% वृद्धि सहित	2,84,13,133; x=1.00% [परिवर्तन 4%]
देयताएं –वेतन वृद्धि दर में x% कमी सहित	2,60,50,432; x=1.00% [परिवर्तन (4)%]
देयताएं –निकासी दर में x% वृद्धि सहित	2,72,47,759; x=1.00% [परिवर्तन 0%]
देयताएं –निकासी दर में x% कमी सहित	2,71,34,967; x=1.00% [परिवर्तन 0%]

3.6 तुलन पत्र में देयता का समाधान

अवधि	01–04–2023 से 31–03–2024	01–04–2022 से 31–03–2023
प्रारंभिक सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	3,71,56,834	3,53,53,415
लाभ एवं हानि में मान्य किए जाने वाले व्यय	(44,86,022)	18,03,419
लाभ देय (यदि कोई हो)	(54,77,346)	0
अंतशेष सकल परिभाषित लाभ देयताएं/(परिसम्पत्ति)	**2,71,93,466**	3,71,56,834

38. आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता

कंपनी घाटे में रही है, इसलिए इस बात के ठोस प्रमाण नहीं होने के कारण कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके स्थान पर अप्रयुक्त कर नुकसान, कटौती योग्य समय के अंतर या अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग यूनिट द्वारा निकट भविष्य में किया जा सकता है, वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयताओं की गणना नहीं की गई है।

39. इंड–एएस 33 के अनुसार प्रकटीकरण ''प्रति शेयर आय''

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
कर पश्चात लाभ/(हानि) विवरणी के अनुसार लाभ और हानि (रु. में)	(6,210,201,359)	(5,66,57,34,685)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की सं. (संख्या)	66,675,000	4,02,25,000
ईपीएस बेसिक और डायल्यूटिड (रुपये में)	(93.14)	(140.85)

40. प्रकटीकरण के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के संदर्भ में, इन उद्यमों के बकाया राशि का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है। एसएपी प्रणाली में वेंडर मास्टर में एक क्षेत्र, माइनॉरिटी संकेतक होता है, जिसे विक्रेता को एसएसआई के रूप में पहचानने के लिए अद्यतन किया जाता है। एसएसआई विक्रेताओं के अधिक विवरणों को रिकार्ड करने के लिए प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने वाली एजेंसी, वैधता, आदि।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (पहचानी गई सीमा तक) के तहत कवर किए गए उपक्रमों को आपूर्तिकर्ता के साथ निर्धारित समय सीमा/तिथि के भीतर भुगतान किया गया है। एमएसएमई को देरी से भुगतान करने पर कोई ब्याज देयता नही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की 31 मार्च 2024 को सूचना।

विवरण	31 मार्च, 2024 (राशि मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 (राशि मिलियन रु. में)
क) आपूर्तिकर्ता की शेष बकाया राशि		
मूल राशि	शून्य	शून्य
उस पर ब्याज	शून्य	शून्य
ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई राशि, नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि के साथ।	शून्य	शून्य

विवरण	31 मार्च, 2024 (राशि मिलियन रु. में)	31 मार्च, 2023 (राशि मिलियन रु. में)
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज की देय राशि और देय (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	शून्य	शून्य
घ) उपार्जित ब्याज की राशि और भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
च) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट रोकने के प्रयोजन के लिए, आगे के वर्षों तक बकाया व देय ब्याज की राशि शेष राशि तब तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।	शून्य	शून्य

41. गोइंग कंर्सन

एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी होने के नाते कंपनी को पूरी तरह से चालू करने के लिए भारत सरकार से पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

कंपनी ने अपनी परिचालन क्षमता और लागत नियंत्रण उपायों में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं।

31 मार्च 2024 तक कुल 21 विमानों का बेड़ा है। सभी विमान देश के छोटे/असेवित/अल्पसेवित एयरपोर्टों पर सेवा देने के लिए उपयुक्त हैं।

एलाइंस एअर को दूरदराज के क्षेत्रों में आरसीएस एवं वीजीएफ योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से उड़ान योजना के तहत नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक लागू करने के लिए और महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्रों के लिए उड़ान भरने की चुनौती को हमेशा स्वीकार करते हुए आबंटित मार्गों को संचालित करने का काम सौंपा गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार टायर II और टायर III शहरों को जोड़ने और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए उड़ान योजना के वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया गया।

एलाइंस एअर ने वीजीएफ योजना के तहत राज्यों को प्रमुख शहरों जैसे उत्तराखंड, ओडिशा, लक्षद्वीप, दमन और दीव, हिमाचल एवं छत्तीसगढ़ से जोड़ने के लिए विमान प्रचालित करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समझौते भी किए हैं।

कंपनी भारत सरकार की 'उड़ान' योजना में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरी है। 'उड़ान' के तहत एयरलाइन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, कंपनी द्वारा कुल 165 उड़ान मार्ग जीते गए हैं। आबंटित मार्गों में से, कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक 115 मार्ग (पिछले वर्ष 101 मार्ग) पर संचालन किया।

इसके साथ–साथ, नागर विमानन मंत्रालय ने अपने दिनांक 6 अप्रैल 2023 के पत्र डीओ सं एवी.17046/72/2019–एआई, द्वारा स्पष्ट रूप से कहा कि एलाइंस एअर निरंतर आगे बढ़ रही है और आश्वासन दिया कि सरकार एलाइंस एअर को एटीएफ आपूर्ति के बकाये का भुगतान करने हेतु सभी प्रयास करेगी।

एलाइंस एअर को 20 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्रालय से 600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। अनुमोदन के अनुसार, एलाइंस एअर को दो किश्तों में 600 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

26 जून, 2023 को 300 करोड़ रुपए और 16 फरवरी, 2024 को एआईएएचएल से इक्विटी निवेश के रुप में 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

एलाइंस एअर टर्नअराउंड की दहलीज पर है और अगले दशक में भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का नेतृत्व करने और एशिया की एक प्रमुख क्षेत्रीय वाहक बनने की ओर अग्रसर है। एलाइंस एअर ने इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रतिकूल वित्तीय मापदंडों की प्रवृत्ति को उलटने की योजना बनाई और तत्पश्चात् लाभ में वृद्धि हुई।

चूंकि कंपनी को परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है और कंपनी को पूरी तरह से चलाने के लिए भारत सरकार से समर्थन प्राप्त है, इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरण संचित घाटे के बावजूद ''गोइंग कंसर्न'' के आधार पर तैयार किए गए हैं और निवल मूल्य की क्षति हो रही है।''

42. राजस्वः

एलाइंस एअर ने 15 अप्रैल 2022 से नए पीएसएस/डीसीएस सिस्टम, अर्थात् पैक्सलिंक को चालू कर दिया है। टिकटों को ओटीए/एजेंटों से अग्रिम भुगतान रसीद पर नए पीएसएस सिस्टम के माध्यम से बेचा जा रहा है, जिसमें कुल बिक्री का 86% शामिल है।

वेब और एटीओ/सीटीओ के माध्यम से की जा रही बिक्री ग्राहक से प्राप्त भुगतान के रूप में है।

अन्य संबंधित पार्टी के अधिकारियों को जारी किए गए टिकटों के अलावा क्रेडिट बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है, जिसका बिल बनाया जाएगा और राशि उनके बकाया से समायोजित की जाएगी।

उड़ान भरे गए यात्रियों के आधार पर राजस्व को एएएल के बही खातों में दर्ज किया जाता है।

बिक्री के कारण उड़ान भरे गए आंकड़ों से अधिक की अतिरिक्त राशि को कंपनी की देयताओं के रूप में अग्रेषित किया गया है।

आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा दैनिक आधार पर सत्यापन/समाधान के उपयोग हेतु पैक्सलिंक से स्रोत डेटा को एक अलग एफटीपी सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है। पार्टियों के बीच आदान–प्रदान किए जा रहे डेटा की गैर–प्रकटीकरण और सत्यनिष्ठा के संबंध में उचित सतर्कता बरती जा रही है। संसाधित रिपोर्ट और डेटा आउटसोर्स एजेंसियों के पोर्टल पर सत्यापन और लेखांकन उद्देश्यों के लिए उपलब्ध हैं। यह संसाधित डेटा और प्राप्त रिपोर्ट एएएल राजस्व की पहचान का आधार है।

इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार, एएएल द्वारा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संसाधित डाटा की प्रामाणिकता और सटीकता का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है।

कार्गो और डाक से संबंधित राजस्व का प्रबंधन और प्रसंस्करण अभी भी एआईएल द्वारा किया जा रहा है।

43. क्षेत्रीय सम्पर्क योजना

31.3.2024 तक आरसीएस के तहत 11 राउंड तक एएएल को (बोली प्रक्रिया के माध्यम से) 137 मार्ग (पूर्व वर्ष में 127 मार्ग) आंबटित किए गए मार्गो में से जिनमें से 111 (पूर्व वर्ष में 101) प्रचालन में हैं। 31.03.2024 तक सम्मानित लेकिन गैर– प्रचालनात्मक मार्गो को एयरपोर्टों की तैयारी के आधार पर आने वाले महीनों में लांच करने का प्रस्ताव है। विवरण इस प्रकार हैः–

- आबटन के दूसरे राउंड में 04 मार्ग आबंटित किए गए
- आबटन के तीसरे राउंड में 06 मार्ग आबंटित किए गए

- आबंटन के 3.1 राउंड में 04 मार्ग आबंटित किए गए
- आबंटन के 4.2 राउंड में 02 मार्ग आबंटित किए गए और
- आरसीएस–उड़ान के शासन प्राधिकरण द्वारा एयरपोर्टों की तैयारी पूरी न होने के कारण आरसीएस–उड़ान बोली के विभिन्न राउंड में से 10 मार्गों को रद्द किया गया।

प्रबंधन का विचार है कि मार्गों को प्रचालनात्मक करने में विलम्ब विभिन्न कारकों पर आधारित है। एएएल की ओर से विलम्ब नहीं हुआ है, इसलिए एएएल मार्ग प्रचालनात्मक करने में उपर्युक्त विलम्ब का उत्तरदायी नहीं है।

44. मैसर्स गति

एअर इंडिया लि. व मैसर्स गति के बीच मालवाहक चार्टर प्रचालन (एएएल द्वारा किए जा रहे) हेतु करार गति द्वारा मार्च, 2009 में समाप्त कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप गति के पास जमा करवाए गए 300 मिलियन रु. की बैंक गारंटी एअर इंडिया द्वारा इन्वोक की गई। मध्यस्थता अभिकरण द्वारा अधिनिर्णय दिया गया जिसके विरूद्ध एअर इंडिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में अपील दायर की गई है जिन्होंने मध्यस्थता अभिकरण के निर्णय को मान्य ठहराया। दिल्ली उच्च न्यायालय (डबल बेंच) में इस आदेश के विरोध में अपील फाइल करने हेतु एअर इंडिया लि. द्वारा 17/11/2015 को माननीय उच्च न्यायालय में डिपॉजिट मनी के रूप में 220 मिलियन रु. जमा करवाए गए हैं। इस जमा के विरुद्ध आवश्यकतानुसार संदिग्ध रक्षा जमा के रुप में 220 मिलियन रु. का प्रावधान किया गया था। एअर इंडिया और गति ने आपसी सहमति से मामलों को सुलझा लिया और शर्तों के मुताबिक दोनों ने अपनी अपील वापिस ले ली है। तदनुसार चालू वर्ष में सुरक्षा जमा, उच्च न्यायालय में जमा और जारी किए गए चालान पर सेवा कर हेतु आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियों का ध्यान रखा गया है।

45. प्रावधान व्यय पर टीडीएस

वर्ष 2024–25 के दौरान वेंण्डर से प्राप्त बिलों के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन वर्ष 2023–24 में सेवा का लाभ लिया है। (अर्थात, 2023–24 के बाद के सभी बिल) अपनाई गई प्रणालीनुसार वर्ष 2023–24 के लिए बनाए गए प्रावधानों को वर्ष 2024–25 में रिवर्स कर दिया गया और 2024–25 में प्राप्त वास्तविक बिलों को वर्ष 2024–25 में लागू टीडीएस में कटौती के बाद वेंण्डर के बही खातों में बुक किया गया है। जीएसटी परिदृश्य के कारण, वर्ष 2023–24 के बिल जोकि वर्ष 2024–25 मे प्राप्त हुए को वर्ष 2024–25 के बिलों के लिए टीडीएस की कटौती के बिना प्रावधान किए गए। इसके अलावा, विभिन्न विक्रेताओं के साथ सुलह के आधार पर 2023–24 में जारी किए गए बिलों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन प्रमाणित बिल 2023–24 में प्रस्तुत नहीं किए गए।

46. इंड एएस 116 के प्रकटीकरण के अनुसार "लीज़"

क) कंपनी द्वारा 18 एटीआर 72–600, 02 एटीआर–42 600 एवं 01 डोर्नियर डीओ–228 एयरक्राफ्ट लीज पर लिए गए हैं। लीज़ के संबंध में भविष्य के न्यूनतम लीज़ किराये के आधार पर देयताएं निम्नानुसार हैः–

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	गैर–चालू	चलू	गैर–चालू	चालू
लीज देयताएं	18,210.44	3,494.71	21,383.58	3,252.68

ख) <u>**लीज के लिए प्रकटीकरण जहां कंपनी इंड एएस 116 में लीज़कर्ता है–**</u>

कंपनी की लीज़ परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से विमान और इंजन के लीज़ शामिल हैं।

अन्य प्रकटीकरण

1) लीज़ देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण **(राशि मिलियन रु. में)**

विवरण	2023-24	2022-23
एक वर्ष से कम	3,548.17	3,443.66
एक से पांच वर्ष	14,456.42	12,884.26
पांच वर्ष से अधिक	4,090.50	9,058.97
31 मार्च 2023 को कुल गैर छूट प्राप्त लीज़ देयताएं	**22,095.09**	**25,386.88**
31 मार्च 2024 को वित्तीय स्थिति विवरणी में शामिल लीज़ देयताएं	**21,705.15**	**24,636.26**

2) लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य की गई राशि

विवरण	2023-24	2022-23
आरओयू परिसंपत्ति पर मूल्यहास व्यय	2,657.00	2,571.39
लीज़ देयताओं पर ब्याज	351.43	221.48
लीज़ देयताओं की माप में शामिल नही वैरिएबल लीज़ भुगतान	0	0
राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति को उप लीज़ पर देने से आय	0	0
अल्पावधि लीज़ से संबंधित व्यय*	0	0
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के अल्पावधि लीज़ को छोड़कर, कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लीज़ से संबंधित व्यय	0	0

***लीज़ पर लिए गए इंजनों को अल्पावधि लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि लीज़ अवधि 12 महीने से कम है। इसके कारण प्रबंधन ने व्यावहारिक प्रणाली का लाभ उठाया है।**

3) नकदी प्रवाह विवरणी में मान्य की गई राशि

विवरण	2023-24	2022-23
वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह में दिखाई गई राशि लीज़ के लिए कुल नकद आउटफ्लो	3,465.43	2,961.35

47. लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिकः

लेखापरीक्षा शुल्क और लेखा परीक्षकों के व्यय का विवरणः –

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	2023-24	2022-23
सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान		
सांविधिक लेखा शुल्क (व्ययों की प्रतिपूर्ति सहित)	0.88	1.20
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.16	0.16
विशेष प्रयोजन लेखा परीक्षा शुल्क	0.01	0.01
कुल	**1.05**	**1.37**

विवरण	2023-24	2022-23
अन्य लेखा परीक्षकों को भुगतान		
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.22	0.22
अन्य मामलों के लिए शुल्क	0.49	0.10
कुल	**0.71**	**0.32**
कुल योग	**1.76**	**1.69**

48. कंपनी अधिनियम 2013 के कंपनियों के अनुच्छेद 77 के अनुसार रजिस्ट्रार के साथ कम्पनी के 3460.45 मिलियन रु. (पिछले वर्ष 3,205.03 मिलियन रु.) के पंजीकृत प्रभार हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 82 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर कंपनी इन प्रभारों को चुकाने की प्रक्रिया में है।

49. पूंजी प्रबंधनः

कंपनी का उद्देश्य एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखते हुए शेयर धारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करना है। प्रबंधन, पूंजी पर रिटर्न तथा ऋण इक्विटी अनुपात को मॉनीटर करती है तथा व्यापार के विकास के लिए पूंजीगत संरचना में आवश्यक समायोजन करता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना के प्रबंधन से संबंधित उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए।

ऋण इक्विटी अनुपातः

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
उधार	26,753.98	24,558.28
कुल ऋण (क)	**26,753.98**	**24,558.28**
इक्विटी शेयर पूंजी	10,022.50	4,022.50
अन्य इक्विटी	(46861.31)	(40665.74)
कुल इक्विटी (ख)	**(36838.81)**	**(36,643.24)**
ऋण इक्विटी अनुपात (क/ख)	**(0.73)**	**(0.67)**

इक्विटी पर रिर्टन और पूंजी गियरिंग अनुपातः

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(6191.61)**	**(5665.73)**
इक्विटी शेयर पूंजी	10,022.50	4,022.50
अन्य इक्विटी	(46861.31)	(40665.74)
कम्पनी के स्वामित्व वाली इक्विटी	**(36838.81)**	**(36643.24)**
इक्विटी अनुपात (%) पर रिर्टन	**(16.81%)**	**(15.46%)**

50. फेयर वेल्यू मैजरमेंट तथा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट

फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट – श्रेणी तथा उचित मापन क्रम के अनुसार

नीचे दी गई तालिका कैरिंग राशि तथा वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य, जिसमें निष्पक्ष बाज़ार मूल्य क्रम के अनुसार उनके स्तर शामिल हैं, को दर्शाती है:–

i) 31 मार्च, 2024 को **(राशि मिलियन रु. में)**

विवरण	वर्ग				उचित मापन मूल्य		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	अमार्टराइज्ड लागत	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति							
गैर चालू							
अन्य			1077.75	1077.75	0.00	0.00	0.00
चालू							
व्यापार प्राप्य*			516.34	516.34	0.00	0.00	0.00
नकद और नकद समकक्ष*			227.86	227.86	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त (ख) के अलावा बैंक शेष*			987.24	987.24	0.00	0.00	0.00
ऋण*			-	-	-	-	-
अन्य			71.52	71.52	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं							
गैर–चालू							
लीज़ देयताएं	18210.44			18210.44	0.00	0.00	0.00
अन्य							
चालू							
उधार			26753.98	26753.98	0.00	0.00	0.00
लीज़ देयताएं	3494.71			3494.71	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय			15923.18	15923.18	0.00	0.00	0.00
अन्य			150.42	150.42	0.00	0.00	0.00

ii) 31 मार्च, 2023 को (राशि मिलियन रु. में)

विवरण	वर्ग				उचित मापन मूल्य		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओ सीआई	अमार्टराइज्ड लागत	कुल	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3
वित्तीय परिसंपत्ति							
गैर–चालू							
अन्य**			1038.80	1038.80	0.00	0.00	0.00
चालू							
व्यापार प्राप्य*			1007.45	1007.45	0.00	0.00	0.00
नकद और नकद समकक्ष*			149.54	149.54	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त (ख) के अलावा बैंक शेष*			801.31	801.31	0.00	0.00	0.00
ऋण*			-	-	-	-	-
अन्य			76.32	76.32	0.00	0.00	0.00
वित्तीय देयताएं							
गैर–चालू							
लीज़ देयताएं	21383.58			21383.58	0.00	0.00	0.00
अन्य							
चालू							
उधार			24558.28	24558.28	0.00	0.00	0.00
लीज़ देयताएं	3252.68			3252.68	0.00	0.00	0.00
व्यापार देय			16445.69	16445.69	0.00	0.00	0.00
अन्य			415.11	415.11	0.00	0.00	0.00

*व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, नकदी एवं नकदी तुल्यों, नकदी एवं नकदी समकक्ष को छोड़कर बैंक शेष तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की कैरिंग राशि अपनी अल्पावधि प्रकृति के कारण लगभग उचित मूल्य के बराबर होती है।

**अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्ति रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने के बाद परिपक्वता बैंक जमा व अर्जित ब्याज पर वित्तीय साधनों पर देय नहीं है, को दर्शाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर इसका कैरिंग मूल्य उचित मूल्यों को अनुमानित करता है।

51. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां:

कंपनी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों से प्रभावित होती है:–

i. क्रेडिट जोखिम

ii. लिक्विडिटी जोखिम

iii. बाज़ार जोखिम

क) ब्याज दर जोखिम

ख) मुद्रा जोखिम

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और डेरिवेटिव शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्षों को वित्त उपलब्ध करवाना है जो सीधे इनके परिचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी क्रेडिट जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन देखता है जिसकी सहायता एक ट्रेजरी (सरकारी) टीम द्वारा की जाती है। यह ट्रेजरी टीम कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित हैं और उन वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंध कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार किया जाता है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए समस्त डेरिवेटिव गतिविधियां विशेषज्ञ टीमों द्वारा कराई जाती है जिनके पास उपयुक्त कौशल, अनुभव और पर्यवेक्षण होता है। यह कंपनी की नीति है कि सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए डेरिवेटिव में कोई ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम का प्रबंध करने के लिए नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन करते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i) क्रेडिट जोखिम

किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का कोई ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष अपने कॉन्ट्रेक्ट के दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो कंपनी की वित्तीय हानि का जोखिम, क्रेडिट जोखिम कहलाता है।

कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्यतः व्यापार प्राप्यों) और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में जमा विदेशी विनिमय लेन–देनों एवं अन्य वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स सहित, निवेश गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम से प्रभावित है।

रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट में अधिकतम एक्सपोज़र मुख्यतः व्यापार प्राप्यों से होता है। व्यापार प्राप्य आरक्षित हैं व ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त किए जाते हैं। कंपनी उस आर्थिक वातावरण को मॉनीटर करती है जिसमें यह प्रचालन करती है। कंपनी अपने क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन क्रेडिट अनुमोदनों के माध्यम से, क्रेडिट सीमाएं निर्धारित कर तथा उन ग्राहकों, जिन पर कंपनी व्यवसाय की सामान्य स्थिति में क्रेडिट शर्तें लगाती है, की क्रेडिट योग्यता को निरंतर मॉनीटर करके करती है।

कंपनी अपनी अधिकांश यात्री सेवाओं को एजेंटों (ग्राहकों) को जमा योग्यता द्वारा ऑन लाइन माध्यमों से बेचती है।

इंड एएस 109 को स्वीकार करने पर, कंपनी लाभ या हानि की क्षति का निर्धारण करने के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है। व्यापार प्राप्य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करने के लिए कंपनी एक प्रोविजन मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रोविजन मैट्रिक्स उपलब्ध आंतरिक क्रेडिट जोखिम घटक जैसे ग्राहकों के लिए कंपनी का ऐतिहासिक अनुभव, पर विचार करती है। जिस व्यावसायिक वातावरण में कंपनी प्रचालन करती है उसके आधार पर प्रबंधन यह मान लेता है कि यदि भुगतान 36 महीनों से अधिक समय से देय हैं तो व्यापार प्राप्य (सरकारी विभागों से प्राप्त प्राप्यों को छोड़कर) डिफाल्ट में हैं।

वर्षान्त में व्यापार प्राप्य में यात्री सेवाओं से उत्पन्न राजस्व के **1077.75 मिलियन** रु. (1007.45 मिलियन रु.) शामिल है।

व्यापार प्राप्य के लिए कंपनी का क्रेडिट जोखिम निम्नानुसार है:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31/03/2024 तक		31/03/2023 तक	
	सकल कैरिंग राशि	हानि भत्ता	सकल कैरिंग राशि	हानि भत्ता
अदेय ऋण				
अतिदेय ऋण	541.61	25.27	1032.72	25.27

व्यापार प्राप्यों के संबंध में क्षति हेतु भत्तों में परिवर्तन:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के आरंभ में शेष	25.27	25.27
वर्ष के दौरान जोड़े गए	0.00	0.00
वर्ष के दौरान बट्टे खाते/समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	25.27	25.27

(ii) लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को डिलीवर करके निपटाया जाता है।

लिक्विडिटी का प्रबंध करने के लिए कंपनी की पद्धति यह है कि अस्वीकार्य हानियों अथवा कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति का जोखिम उठाए बिना सामान्य और दबाव वाली दोनों प्रकार की परिस्थितियों में उचित समय पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी रखी जाए।

कम्पनी यह मानती है कि इसकी लिक्विटी की स्थिति जिसमें (अमारित बैंक जमा प्रोद्भूत परंतु देय नहीं ब्याज को छोड़कर) नकदी, प्रत्याशित भविष्य में प्रचालनों से आंतरिक रूप से सृजित निधियां, व्यवसाय की सामान्य स्थितियों में, भविष्य के निर्धारित दायित्वों को पूरा करने में समर्थ बनाएगी तथापि यदि लिक्विटी को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी हो तो, कम्पनी यह मानती है कि उसके पास मूल कम्पनी के साथ वित्त पोषण, व्यवस्था करने का मार्ग है जिससे वह इसकी वर्तमान ऑनगोईंग पूंजीगत, प्रचालनात्मक और लिक्विटी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगी। कम्पनी जरूरत के अनुसार लिक्विटी को बढ़ाने और नकदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उधारियों अथवा लिज़िग विकल्पों पर विचार करना जारी रखेगी।

प्रबंध वर्ग द्वारा किए गए मॉनीटरिंग के अनुसार कंपनी की लिक्विडिटी प्रबंधन प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित है :–

- भावी नकदी प्रवाह की मॉनीटरिंग द्वारा दिन प्रतिदिन की फंडिंग का प्रबंध किया जाता है जिससे आवश्यता की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती हो।

- अनुमानित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति के (अनवरत) रोलिंग पूर्वानुमान को मेंटेन करना।
- विविध क्रेडिट लाइनों को मेंटेन करना।
- पारंपरिक बकाया के निपटान हेतु भारत सरकार ने पहले ही शेयर पूंजी के रूप में 600 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है, जिससे बकाया और वित्त लागत में काफी कमी आएगी।

लिक्विडिटी जोखिम में एक्सपोज़र

रिपोर्टिंग डाटा में वित्तीय देयताओं की बकाया संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नानुसार हैं। संविदात्मक नकदी प्रवाह राशि समग्र है एवं छूट प्राप्त नहीं है और इनमें उपार्जित ब्याज सम्मिलित है।

(राशि मिलियन रु. मे)

31 मार्च, 2024 तक	कैरिंग राशि	संविदात्मक नकद फ्लो			
		1 वर्ष तक	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
होल्डिग कंपनी को देय	26,753.98	2,195.70	24,558.28		26,753.98
व्यापार देय	15,923.18	8,953.07	6,970.11		15,923.18
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	150.42	150.42			150.42
विमान लीज़	22,095.09	3,548.17	14,456.42	4,090.50	22,095.09
कुल	**64,922.67**	**14,847.36**	**45,984.81**	**4,090.50**	**64,922.67**

(राशि मिलियन रु. मे)

31 मार्च, 2023 तक	कैरिंग राशि	संविदात्मक नकद फ्लो			
		1 वर्ष तक	1–5 वर्ष	5 साल से अधिक	कुल
होल्डिग कंपनी को देय	24558.28	24558.28			24558.28
व्यापार देय	16445.69	16445.69			16445.69
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	415.11	415.11			415.11
विमान लीज़	25,386.88	3,443.66	12,884.26	9,058.97	25,386.88
कुल	**66,805.96**	**44,862.74**	**12,884.26**	**9,058.97**	**66,805.96**

(iii) बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाज़ार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के उचित मूल्य और भावी नकदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार जोखिम में दो प्रकार के जोखिम सम्मिलित हैं, जिनके नाम हैः मुद्राजोखिम और ब्याज दर जोखिम। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य लाभ को इष्टतम बनाते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाज़ार जोखिम का प्रबंध एवं नियंत्रण करना है।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाज़ार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नकदी प्रवाहों में उतार–चढ़ाव होता है। बाज़ार ब्याज दरों मे परिवर्तनों के जोखिम का संबंध मुख्य रूप से कंपनी की फ्लोटिंग ब्याज दरो वाली उधारियों से होता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रबंध वर्ग को रिपोर्ट किए गए के अनुसार ब्याज दर परिवर्तनों के लिए कंपनी की उधारियों से संबंधित एक्सपोज़र निम्नानुसार है:–

(राशि मिलियन रु. मे)

परिवर्तनशील दर इन्स्ट्रूमेंट	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
होल्डिंग कम्पनी एआईएएचएल को देय	26,753.98	24,558.28
कुल	**26,753.98**	**24,558.28**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज दरों में तार्किक रूप से संभव 0.50 प्रतिशत का परिवर्तन लाभ एवं हानि को नीचे दर्शाई गई राशि तक प्रभावित करेगा। विश्लेषण के अनुसार अन्य सभी परिवर्तनशील दरें विशेष रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, अपरिवर्तनीय रहती हैं।

(राशि मिलियन रु. मे)

विवरण	लाभ और हानि का विवरण	
दूसरों से लिए गए विदेशी मुद्रा आवधिक ऋण पर तथा वित्त लीज़ देयता पर ब्याज में वृद्धि/(कमी)	0.50% तक वृद्धि	0.50% तक कमी
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	108.53	(108.53)
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	123.18	(123.18)

ख) मुद्रा जोखिम

मुद्रा जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाहों पर प्रचलित विदेशी मुद्रा दरों में उतार–चढ़ाव के प्रभावों से प्रभावित है। एक्सपोज़र मुख्य रूप से कार्यात्मक मुद्रा और कंपनी की प्रचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के कारण होता है।

निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च, 2024 तक आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम से संबंधित जानकारी दी गई है:

	यूएसडी	यूरो	अन्य
निवल वित्तीय परिसंपत्तियां	80.66 मिलियन		
निवल वित्तीय देयताएं	9.45 मिलियन		

विभिन्न विदेशी मुद्राओं के संबंध में कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा में 10% की वृद्धि/मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप कर पूर्व कम्पनी के लाभ में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लगभग 593.93 मिलियन रु. की वृद्धि/कमी हुई।

निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च, 2023 तक आरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम से संबंधित जानकारी दी गई है:

	यूएसडी	यूरो	अन्य
निवल वित्तीय परिसंपत्तियां	71.47 मिलियन		
निवल वित्तीय देयताएं	11.11 मिलियन		

विभिन्न विदेशी मुद्राओं के संबंध में कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा में 10% की वृद्धि / मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप कर पूर्व कम्पनी के लाभ में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लगभग 495.98 मिलियन रु. की वृद्धि / कमी हुई।

52. इंड–एएस 115 के अनुसार प्रकटन, ग्राहकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट से प्राप्त राजस्व:

राजस्व को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने की संभावना हो और राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सके भले ही भुगतान कभी भी किया जाए।

कंपनी का प्रमुख राजस्व सेवाओं (यात्री और कार्गो) से प्राप्त होता है। प्रमुख गतिविधि का विवरण निम्नानुसार है।

प्रकृति, कार्य निष्पादन दायित्व की पूर्ति का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

यात्री राजस्व को यात्रा करने वाले यात्रियों के आधार पर अर्थात् सेवाएं प्रदान करने पर, यात्रियों को दी गई छूट के पश्चात् निवल मान्यता प्राप्त राजस्व, लागू कर और यात्री सेवा शुल्क, प्रयोक्ता विकास शुल्क इत्यादि जैसे एयरपोर्ट कर के आधार पर मान्य किया जाता है।

कार्गो राजस्व को वस्तुओं के परिवहन, एयरपोर्ट करों व लागू करों के निवल जैसी सेवाएं प्रदान करने पर मान्य किया जाता है।

कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार संबंधित राशि के बिल तैयार किए जाते हैं एअर इंडिया के साथ मास्टर सर्विस समझौते के तहत संविदात्मक आधार पर सहमत क्रेडिट अवधि के दौरान इनका भुगतान किया जाता है।

राजस्व का विभाजन

राजस्व मान्यता सेवाओं की प्रकृति व प्रकार के आधार पर राजस्व का विभाजन किया जाता है।

सेवाओं का प्रतिपादन

(राशि मिलियन रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	यात्री	5,932.57	6,517.90
2	अतिरिक्त सामान	95.93	9.99
3	डाक	1.63	0.99
4	कार्गो	7.58	12.55
5	चार्टर	94.21	99.14
6	सरकार से प्रचालन हेतु अनुदान	3,237.36	3,659.93
7	हैंडलिंग सेवाएं एवं आकस्मिक राजस्व	178.37	683.68
	कुल	**9,547.66**	**10,984.18**

निम्नलिखित सारणी में व्यापार प्राप्य के प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष की सूचना प्रदान की गई है:

(राशि मिलियन रु. में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
व्यापार प्राप्य	516.34	1007.45

31 मार्च 2024 तक कंपनी 137 मार्गों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के तहत प्रचालन कर रही है, यह मार्ग बोली प्रक्रिया के माध्यम से 3 वर्ष की वैधता के लिए सात राउंड में कंपनी को प्रदान किए गए हैं। आरसीएस समझौते के अन्तर्गत, कंपनी को करों के समावेशी रियायती किरायों पर निर्दिष्ट सीटें बेचनी आवश्यक होती हैं। समझौते की शर्तों के अनुपालन पर, कंपनी वीजीएफ दावा राशि के लिए पात्र है।

चूंकि आरसीएस मार्ग 3 वर्ष की अवधि के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से आबंटित किए जाते हैं, इसलिए यह मार्ग स्लॉट की उपलब्धता और अन्य आवश्यकताओं के अधीन इस अवधि के बाद सभी वाहकों के लिए खुले हैं।

इंड एएस 115 के अनुसार लागू व्यावहारिक प्रणाली:

31 मार्च, 2024 और 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई भी ग्राहक कम्पनी के कुल राजस्व का 10% या उससे अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

इंड–एएस 115 के पैरा 120 के अनुसार शेष निष्पादन कर्तव्य के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकता के रूप में इंड–एएस 115 के पैरा 121 के अनुसार व्यावहारिक प्रणाली को देखते हुए नहीं किया जा रहा है।

53. पिछले वर्ष के आंकड़े इंड–एएस की अपेक्षाओं के अनुसार पुनः प्रस्तुत/पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।

54. अतिरिक्त नियामक सूचना (कम्पनी अधिनियम–2022 की अनुसूची 3, खंड 2 के अनुपालन में)

क. कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति और निवेश संपत्ति नहीं है।

ख. कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ग. कंपनी के पास कोई विकासशील पूंजी डब्ल्यूआईपी और अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है।

घ. कंपनी ने प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है।

ङ. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

च. कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है।

छ. किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को जानबूझकर डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

झ. आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए कोई शुल्क या समाधान लंबित नहीं है

अनुपातः

क्र. सं.	विश्लेषणात्मक अनुपात	अंश गणक	भाजक	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	% परिवर्तन	कारण
1.	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	चालू देयताएं	0.05	0.06	-17.32%	लेनदारों के निर्वहन के कारण की राशि
2.	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयर होल्डर इक्विटी	(0.73)	(0.67)	8.42%	6000 मिलियन रुपए की राशि के शेयरों का निर्गमन
3.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा हेतु आय उपलब्ध है	ऋण सेवा	0.09	0.24	-61.65%	लीज़ पर लिए गए विमानों पर आरओई
4.	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	कर के पश्चात् निवल लाभ प्राथमिक लाभांश	औसत शेयर होल्डर इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वर्ष के दौरान नकारात्मक शेयरधारक की इक्विटी और हानि के कारण अनुपात विनिमय नहीं है।
5.	इनवेंटरी टर्नओवर अनुपात	सीओजीएस	औसत स्टॉक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एएएएल सेवा उद्योग में है न कि विनिर्माण ईकाई में
6.	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट विक्रय	औसत व्यापार प्राप्य	4.25	4.04	5.22%	वर्ष 2022–23 में यात्री राजस्व 6541 मिलियन रु से घटकर वर्ष 2023–24 में 6038 मिलियन रु. हो गया। हालांकि, व्यापार प्राप्य भी वर्ष 2022–23 में 1007.45 से घटकर वर्ष 2023–24 में 516. 34 मिलियन रुपए हो गया।
7.	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट विक्रय	औसत व्यापार देय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	मुख्य व्यवसाय यात्री वाहक है और व्यवसाय की प्रकृति तथ्यों को प्रतिबंधित नहीं करेगी।
8.	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	निवल विक्रय	औसत कार्य पूंजी	(0.21)	(0.24)	-12.87%	वर्ष 2022–23 की तुलना में यात्री राजस्व 2023–24 में 931 मिलियन रुपए कम हो गया और औसत कार्यशील पूंजी वर्ष 2022–23 की तुलना में 1901 मिलियन रु. बढ़ गई।
9.	निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ/हानि	(विक्रय)	(0.66)	(0.55)	20.03%	प्रचालन में कमी के कारण
10.	नियोक्ता पूंजी पर रिर्टन	(ब्याज और कर से पूर्व आय)	नियोजित पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	वर्ष के दौरान नकारात्मक शेयरधारक की इक्विटी और हानि के कारण अनुपात विनिमय नहीं है।
11.	निवेश पर रिर्टन	(निवल निवेश पर रिर्टन)	निवेश पर लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–

यह हमारी समतिथि की अलग रिपोर्ट में उल्लेखित के अनुसार है।

कृते बाटलीबॉय एवं पुरोहित

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण सं. 101048W

हस्ता/–

रमन हैंगेकर

(पार्टनर)

आईसीएआई सदस्यता सं.: 030615

यूडीआईएनः 25030615BMOCN23297

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 16–01–2025

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/–

असंगबा चुबा आओ

अध्यक्ष (नामित निदेशक)

डीआईएन– 08086220

हस्ता/–

बृजेश कुमार श्रीवास्तव

निदेशक

डीआईएनः 09835338

हस्ता/–

रामबाबू सी.

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पैन– एजीवीपीसी 9371पी

हस्ता/–

शिल्पा भाटिया

कम्पनी सचिव

सदस्यता सं.: एसीएस 49388

एलाइंस एअर एविएशन लिमिटेड

एलाइंस भवन, अंतर्देशीय टर्मिनल–1,
आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037
CIN No. U51101DL1983GOI016518
www.allianceair.in

@allianceair 9i @allianceair.in @allianceair @allianceair